

**ECONOMIC REVIEW
OF
NIMACHAL PRADESH**

1990

(Economic Conditions and Development Activities)

NIEPA DC



D05229

- 5452

330.723

HIM-E

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, SriAurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....287529
Date.....28/5/90

PREFACE

Economic Review is one of the budget documents which covers almost the entire gamut of economic activities of the Government through its departments. The economic survey presented in Part-I gives the salient features of the State's economy during 1989-90 while statistical tables on various subjects are given in Part-II, Graphs and Charts are given in respective chapters.

I am thankful to all the departments and public undertakings for their co-operation in making available the material included in the review. The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in a concise and inter-related form was borne by the Economics and Statistics Department, Himachal Pradesh. I highly appreciate and commend the hard work done by the officers and officials of this Department.

KR. SHAMSHER SINGH
Commissioner-cum-Secretary
(Finance, Planning and Economics & Statistics),
Government of Himachal Pradesh.

CONTENTS

Part-I Economic Survey, 1989-90

				Page
1. General Appraisal	1
2. Population	4
3. State Income	6
4. Agriculture	9
5. Industries	28
6. Electricity	32
7. Employment	36
8. Price Situation	43
9. Civil Supplies & Social Services	44
10. Trade and Commerce	59
11. Transport and Communications	62
12. Co-operative Movement	65
13. Local Bodies	67
14. Special Studies	69

PART-I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1989-90

1 GENERAL APPRAISAL

Economic Situation in the country

1.1 The performance of the economy during 1989-90 shows signs of a slow down in output growth. There has been some deceleration in the industrial growth rate and agricultural production has not increased much beyond the peak level reached in the previous year. The economy recovered very quickly during 1988-89 from the set back of the drought of 1987-88. The net national product recorded a growth of 11.1 per cent as compared to 3.5 per cent in the previous year. During 1988-89 the growth of agricultural production was up by 20.8 per cent and industrial production had gone up by 8.8 per cent. As against this the growth in agricultural production during 1989-90 is expected to go up by only 1 per cent or so and the industrial production by about 5.2 per cent. The annual rate of inflation according to the wholesale price (W.P.I) during 1989-90 was 8.8 percent as the index which was 156.9 in the last week of March, 1989 increased to 170.7 in the last week of March, 1990. The corresponding inflation rate in the previous year was 5.7 percent.

1.2 During 1988-89 the ~~food grains~~ production was of the order of 170 million tonnes and it is expected to touch the target of 175 million tonnes fixed for 1989-90. The ~~net~~ **GDP growth** during 1989-90 has been estimated to be around ~~4~~ 4.5 per cent. With this position the average 7th Plan growth at the national level is expected to be around 5.4 per cent. The per capita income at the national level stood at Rs. 3835 during 1988-89.

1.3 As has been the case during the first four years of the Seventh Plan, India's balance of payments situation has remained under considerable pressure during 1989-90 despite a buoyant trend in exports and a slow-down in the growth of imports. Exports in rupee terms increased by 14.3 per cent in 1986-87, 26.4 per cent in 1987-88 and 28.9 per cent in 1988-89. On the other hand, imports recorded an increase of 2.2 per cent in 1986-87, 11.5 per cent in 1987-88 and 25.9 per cent in 1988-89. Provisional data available so far indicate that during the first three quarters of the current year exports recorded an increase of 38.3 per cent over the corresponding period of last year. Imports have registered a relatively slow growth at 20.7 per cent in terms of rupee. Consequently, the trade deficit at Rs. 5518 crores during April-December, 1989 declined by 16.4 per cent over the same period of the last year.

Economic Situation in Himachal Pradesh

1.4 The economy of Himachal Pradesh is largely dependent on Agricultural production because our industrial base is comparatively weak. Agricultural production is

still dependent on timely rainfall and weather conditions. During the Seventh Plan period Himachal Pradesh had to face a severe drought during 1987-88 while in the subsequent years also the weather conditions were not very favourable. The foodgrain production in the past five years has been as below:-

Year	Foodgrains production (lakh tonnes)
1985-86	12.01
1986-87	11.72
1987-88	8.87
1988-89	11.24
1989-90 (anticipated)	13.40

1.5 The fruit production including apple is showing gradual improvements and it touched the level of 4.60 lakh tonnes during 1989-90 which is a record. Vegetable production is also showing signs of increasing trend and the output is expected to be around 3.70 lakh tonnes during 1989-90. Seed potato of Himachal Pradesh was known for its disease free qualities and was in considerable demand all over the country till recently. Now this demand is gradually declining because certain states like U.P. are producing their own requirements of seed potato while Punjab has started growing it at a low cost of production. Nevertheless the Pradesh was able to export 62,000 tonnes of potato during this year.

1.6 The State Domestic Product of Himachal Pradesh registered a growth of 6.9 per cent during 1988-89 and is expected to be around 4.0 per cent during 1989-90. With this growth pattern, the average Seventh Plan economic growth of the Pradesh will stand at a level of about 5.8 per cent. The Per Capita Income in the Pradesh is estimated at Rs.3,614 during 1988-89.

1.7 In the field of rural electrification, although 100 per cent villages have been electrified, yet much requires to be done in the sense that a large number of left out hamlets have to be covered. Upto December, 1989, the number of pumsets energised was 139 against the target of 85 for the year. During 1989-90, 791 million kwh of electricity was generated upto December, 1989 against a target of 945 million kwh for the year. During 1988-89, 698.8 million kwh of electricity was generated.

1.8 At the end of 1st quarter i.e. January to March, 1989 the total employment in the State was 2.78 lakh. The number of unemployed on the live register of the

employment exchanges stood at 4.28 lakh at the end of December, 1989. Several programmes have been taken up by the government to generate more employment opportunities. The number of Mandays worked under the National Rural Employment Programme during April, 1989 to February, 1990 was 29.46 lakh mandays and 2,090 community assets were created upto December, 1989 under this programme. Under I.R.D.P. and TRYSEM schemes also, a large number of persons were benefited.

1.9 The loans advanced by the Agricultural Societies in 1988-89 stood at Rs.2265.32 lakh to 7.7 lakh members as against the advance of Rs.1950.78 lakh to 7.5 lakh members in 1987-88. The average loan advanced by the agricultural societies per member in 1988-89 was Rs.294 while it was Rs.260 in 1987-88.

1.10 Himachal Pradesh has a vast potential for tourism development. The snowy mountains, picturesque valleys, water falls, lush green forests, exotic culture are all attractions for the tourists. There are eight complexes namely Shimla, Chail, Solan-Parwanoo, Mandi, Kullu-Manali, Dharamsala-Palampur, Dalhousie-Chamba and Poanta-Renuka which are working under the aegis of Himachal Pradesh Tourism Development Corporation. In the year 1972, the corporation started with 857 beds only which have increased to about 2,330 beds at the end of December, 1989 in its hotels and tented accommodation. Besides, there are a number of Hotels operated by the private entrepreneurs which are also catering to the needs of tourists. The corporation has been planning to open more hotels, yatri niwas and inns etc. at various important places of tourist interest. The corporation also runs a number of air conditioned, luxury and deluxe coaches.

1.11 Prior to the Seventh Plan, there was only one air strip in Himachal Pradesh at Bhuntar (Kullu). In 1987, an airstrip at Jubbarhatti (Shimla) was completed and made operational. Another airport at Gaggal (Kangra) is also to start shortly. The Pradesh Government is laying stress on the development of tourism as it will boost up the economy of the State.

2. POPULATION

2.1 The population of Himachal Pradesh which was 42.81 lakh according to 1981 population census is estimated to have increased to 50.26 lakh as on 1st March, 1990. The density of population (per sq. km.) was 77 for the State and 216 for All India. The data on some important features of the population of Himachal Pradesh and India are given in the table below:-

Population Statistics (1981 Population Census)		
Item	Himachal Pradesh	India
1.	2.	3.
1. Population (in lakh):		
(a) Male	: 21.70	3,544.0
(b) Female	: 21.11	3,307.8
Total	: 42.81	6,851.8
2. Decadal growth rate (1971-81)		
(Percent)	: 23.71	25.00
3. Density (no. per sq. km.)		
	: 77	216
4. Sex ratio (no. of females per thousand males)		
	: 973	933
5. Literacy (Percent)		
	: 42.48	36.23
6. Urban population (percentage to total)		
	: 7.61	23.31

Growth of population

2.2 During 1971-81, the decadal rate of growth of population in Himachal Pradesh was 23.71 per cent whereas it was 23.04 per cent during 1961-71. At all-India level the decennial growth during 1971-81 and 1961-71 was 25.00 percent and 24.80 per cent respectively.

Household Size

2.3 The number of households in the State was 7.84 lakh according to 1981 population census and the household size was 5.5.

Sex Ratio

2.4 The sex ratio i.e. the number of females per thousand males has been continuously increasing in the state since the beginning of this century from 884 in 1901 to 973 in 1981. At the all-India level the sex ratio in 1901 was 972 which declined to 930 in 1971 while according to 1981 population census it was 933.

Urbanisation

2.5 The percentage of urbanisation in the State has been lower than that in the country all along and 7.61 per cent of State's population was urban in 1981 as against 23.31 per cent at national level. Besides Shimla district where the urban population is 15.69 per cent, the other district with high percentage of urban population were Solan(10.76), Sirmaur(8.74), Una(7.72), Mandi(7.33), Kullu(7.09), and Chamba(6.84).

Scheduled Castes and Scheduled Tribes population

2.6 The population of Scheduled Castes was 10,53,958 and that of Scheduled Tribes was 1,97,263 in 1981 in the State. The percentage of Scheduled Castes population to total population was 24.62 and that of Scheduled Tribes population was 4.61. Of the total Scheduled Caste population 94.6 per cent was rural. Similarly, 98.4 per cent of the Scheduled Tribes population lived in rural areas. The decadal growth rate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes population was of the order of 36.95 per cent and 39.30 per cent, respectively. Compared with the decadal growth rate of overall population in the State of 23.71 per cent, the growth rate is higher among the Scheduled Castes and Tribes and has resulted from preponderance of poverty, low literacy levels and poor living conditions.

Population by Religion

2.7 There were four major religions in the State. Of these, the most prominent was Hindu which accounted for 40,99,706 persons(95.8 per cent of population of the Pradesh) followed by Muslims 69,613(1.6 percent), Budhists 52,629(1.2 per cent) and Sikhs 52,209(1.2 per cent). The Christians were only 0.1 per cent and Jains 0.02 per cent of the total population.

Population by Age

2.8 Age group-wise break-up of the population of the State shows that in 1981 there were 17.0 lakh persons(39.7 per cent) in the age-group of 0-14 years, 22.6 lakh persons(52.8 per cent) in the age-group 15-59 years and 3.2 lakh persons(7.5 per cent) in the age-group of 60 years and above.

3. STATE INCOME

State Domestic Product

3.1 The State Domestic Product (S.D.P.) is the most appropriate composite economic indicator for measuring the economic growth. The total State Domestic Product (at 1980-81 prices) of Himachal Pradesh increased to Rs. 957.03 crores in 1988-89 from Rs. 895.44 crores in 1987-88 thereby registering a growth of 6.9 per cent. The corresponding growth rate at national level was 11.1 per cent. The growth, in Himachal Pradesh, of course, fluctuates more as compared to the position in the country mainly because we do not have a good industrial base to help the economic growth in agriculturally weak years. The economy of Himachal Pradesh is significantly dependent upon agriculture as about 29 per cent of the share in total S.D.P. still comes from agriculture. Due to favourable weather conditions the growth rate during the current year i.e. 1989-90 is expected to come to about 4.0 percent. This means that during the Seventh Plan period, the average growth would come to about 5.8 per cent as compared to the average growth of 6.3 per cent in the first four years. The figures given below show the growth of economy in Himachal Pradesh and at all-India level during the Seventh Plan:-

Annual Economic Growth Rate		
(Percent)		
Year	Himachal Pradesh	All India
1.	2.	3.
1985-86	13.1	4.8
1986-87	7.5	3.6
1987-88	(-)2.3	3.5
1988-89(Quick)	6.9	11.1
1989-90(Expected)	4.0	4.0
Average Seventh Plan	5.8	5.4

Per Capita Income


3.2 According to quick estimates, the per capita income of Himachal Pradesh in 1988-89 stood at Rs. 3,614 while at National level it was Rs. 3,835.

Sectoral Growth

3.3 The sectoral analysis reveals that during 1988-89, the percentage contribution of Primary sector to total income of the State was 36.6 per cent followed by Secondary sector 21.7 per cent, Community and Personal services 21.6 per cent,

STATE INCOME


Rs. IN CRORES



PER CAPITA INCOME

IN RUPEES

(At Current Prices)



Transport, Communications and Trade 11.3 per cent and Finance and Real Estate 8.8 per cent. The percentage contribution of these broad sectors during the first four years of the Seventh Plan, however, is given in the following table:-

**PERCENTAGE CONTRIBUTION TO STATE
DOMESTIC PRODUCT BY VARIOUS SECTORS**

(percent)				
Sectors	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
1. Primary	43.16	41.28	37.58	36.61
2. Secondary	20.43	21.25	21.80	21.75
3. Transport, Communication and Trade	11.48	11.29	11.44	11.27
4. Finance and Real Estate	8.38	8.80	8.52	8.80
5. Community & Personal Services	16.55	17.38	20.66	21.57
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00

3.4 The growth as observed by these broad sectors during the first four years of Seventh plan was as discussed below:-

Primary Sector

3.5 The average annual growth rate observed during the first four years was 2.7 percent only. The growth rate under this sector during these years had wide fluctuations owing to the rise or fall in the output of agriculture. The highest rate recorded was 12.9 percent in 1985-86 when there was a bumper foodgrains production of 12.01 lakh tonnes. In 1987-88 there was a great dip of about 14.6 percent as the foodgrains production was only 8.87 lakh tonnes. The sector achieved a growth rate of 5.2 percent during the year 1988-89. However, an impressive growth is expected in 1989-90 also due to good monsoon.

Secondary Sector

3.6 The overall growth during the period 1985-86 to 1988-89 was recorded as 9.6 percent under the secondary sector of the economy. It is expected that this growth will be maintained during the last year of the Seventh Plan.

Transport, Communications and Trade

3.7 The average annual growth rate during the four year period was 5.9 percent in this sector. This sector also recorded the highest growth rate of 15.5 percent in 1985-86

and a dip of 0.9 per cent in 1987-88 as the growth of trade (a constituent of this sector) is also affected considerably by the foodgrains production and the production of apple. The sector recorded a growth rate of 5.8 percent during 1988-89.

Finance and Real Estate

3.8 This sector is comprised of Banking and Insurance, Ownership of dwellings and business services and had an annual growth rate of 8.9 percent during this period. The growth rate observed during 1988-89 was 10.1 percent against 4.8 percent in 1987-88.

Community and Personal Services

3.9 The average annual growth during the first four years of the Seventh Plan was 10.8 percent which is quite impressive. In 1988-89, this sector registered a growth of 10.1 percent and it is likely that this growth will be maintained during 1989-90 also.

4. AGRICULTURE

4.1 Agriculture being the largest single industry and main occupation of the people in Himachal Pradesh, the importance of agriculture in the economy of the State can hardly be over-emphasised. It provides direct employment to about 71 per cent of the working population. Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares, an area of 6.21 lakh hectares is under cultivation which is cultivated mostly by the small and marginal farmers. Besides, providing improved technology to the farmers of the State, adequate and timely supply of agricultural inputs like improved seeds, fertilizers, plant protection material and improved agricultural implements is also arranged. Under the 20 point programme, emphasis is being laid on the technology of dry land farming, development of oil-seeds and pulses, installation of bio-gas plants as an alternative source of energy in the State. The following achievements have been made in the field of agriculture under 20-point programme:-

Point No.1: Increasing irrigation potential development
dissemination of technology and inputs for
dry land farming

4.2 In Himachal Pradesh, about 80 per cent of the area is rainfed and to stabilize the production of crops under such conditions dry land farming technology such as conserving moisture in the field after harvesting kharif crops and introduction of crop varieties suited to dry land farming by optimum use of improved seeds and fertilizers, line sowing, weed control, use of improved agricultural implements, contingency crop planning, water harvesting and its recycling etc. are provided to the farmers of the State.

4.3 Under this programme 90 micro-water sheds were selected for intensive development during 1989-90 and 87 micro water sheds have been completed upto December, 1989. These micro-water sheds are expected to cover an area of 9,000 hectares besides covering an area of 71,000 hectares outside these micro-water sheds. As many as 17,000 improved agricultural implements are expected to be distributed to the farmers in this year. In addition, 983 water harvesting and storage structures were completed upto December, 1989.

Point No.2 : Increasing the productivity of pulses and oil seeds

4.4 In order to increase the productivity of pulses and oil seeds in the State during 1989-90 about 2,107 quintals seed of pulses and 2,000 quintals of oilseeds were distributed to the farmers upto December, 1989 to achieve the target of producing 20,000 tonnes of pulses and 20,000 tonnes of oilseeds.

Point No. 7 : Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4.5 Under this programme, agricultural inputs and implements at subsidised rates were distributed under Special Component Plan scheme to the scheduled castes and scheduled tribes farmers in the State. Besides, effective technical know-how was rendered to this category of farmers.

Point No 12: Bio-Gas development

4.6 Under this programme, 2,993 bio-gas plants were installed upto December, 1989 against the target of installing 3,000 plants during 1989-90.

Agricultural Production

4.7 The production during 1985-86 was 12.01 lakh tonnes. During 1986-87 a total of 11.77 lakh tonnes of foodgrains was produced against the target of 13.20 lakh tonnes. There has been severe drought in Himachal Pradesh during kharif, 1987 which resulted in shortfall of achievement. The production picked upto during 1988-89 and reached a level of 11.24 lakh tonnes. For the year 1989-90 it is expected to reach 13.40 lakh tonnes. To achieve this target the following programmes were undertaken:-

(i) High Yielding Varieties Programme




4.8 Efforts to bring more areas under high yielding varieties of major cereals were made and the achievements made in this regard have been given in the table below:-

Crop	Unit	Area under H.Y. variety		Target for 1990-91
		1988-89	1989-90 (Likely)	
1.	2.	3.	4.	5.
Maize ..	,000 hectares	96.30	100.00	110.00
Paddy ..	-do-	91.25	91.50	92.00
Wheat ..	-do-	335.00	337.00	340.00


(ii) Fertilizers

4.9 Chemical fertilizers play an important role in increasing the agricultural production particularly when used with high yielding varieties which are responsive to the recommended doses of fertilizers. Sustained and dedicated efforts made to popularize the use of fertilizers have made the farmers fertilizer minded and demand for fertilizers is increasing considerably. There has been an increase in the

FOODGRAINS PRODUCTION



1981-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88



consumption of fertilizers in the State and it is expected to be around 27 thousand tonnes during 1989-90.

(iii) Plant Protection

4.10 In order to increase the production of cereals, vegetables and cash crops etc. plant protection measures are of paramount importance. Regular campaigns are, therefore, organised in different parts to fight the menace of crop diseases, insects and pests and field rats etc. It is proposed to cover about 4.24 lakh hectares of cropped area under various plant protection measures during 1990-91 against an estimated achievement of about 4.18 lakh hectares during 1989-90. During the current financial year 3.90 lakh hectares have been covered under plant protection measures upto December, 1989.

(iv) Soil Testing

4.11 During 1989-90, 46,378 soil samples were collected and analysed in various soil testing laboratories upto December, 1989. During 1990-91, 68,000 soil samples are proposed to be collected and analysed.

COMMERCIAL CROPS

(i) Potato

4.12 Potato is one of the most important cash crops in the Pradesh on which the economy of the farmers specially in Shimla and Lahaul-Spiti districts depend. In order to arrange remunerative prices to the growers and quality seed to the buyers, the "Himachal Pradesh Seed Potato Control Order" was enforced in the State to ensure quality of grading, purity of seed and accurate weight etc. The Seed Certification Agency certified 20,000 tonnes of seed potato and 62,223 tonnes of seed and table potato was exported to the potato growing states in the country.

(ii) Vegetables

4.13 As the agro-climatic conditions in the Pradesh are very much conducive for the production of off-season vegetables, timely technical guidance and necessary inputs are provided to the farmers. It is proposed to produce 3.80 lakh tonnes of vegetables during 1990-91 against the likely achievement of about 3.70 lakh tonnes during 1989-90.

(iii) Ginger

4.14 Ginger is predominantly grown in Sirmour, Solan, Bilaspur, and Shimla districts of the Pradesh. During 1989-90 2,100 tonnes dry ginger is likely to be produced and 2,900 tonnes of dry ginger is envisaged to be produced during 1990-91

Agricultural Marketing

4.15 With a view to ensuring remunerative prices to the growers for their produce, the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1969 remained in operation in the State. During 1989-90, 3 regulated markets/yards/sub-yards were constructed upto December, 1989 and it is proposed to construct 2 yards and 8 sub-yards during 1990-91.

4.16 Besides, above, centrally sponsored schemes namely (i) Timely Reporting Scheme (TRS) for estimation of area and production (ii) Improvement of crop statistics continued under implementation during 1989-90. In addition, 4,656 mini kits each for kharif oilseeds and Rabi oilseeds were distributed to the farmers upto December, 1989 under centrally sponsored scheme 'National Oilseed Development Project'. Under this scheme, the farmers are also educated through demonstrations to adopt improved package of practices for cultivation of oilseeds and adoption of plant protection measures. Similarly, 550 mini kits of pulses were distributed to the farmers upto December, 1989 under the centrally sponsored scheme 'Development of Pulses'. With a view to accelerate the agricultural production of the small and marginal farmers effective technical knowhow is disseminated to them under centrally sponsored scheme 'Massive Assistance to Small and Marginal Farmers' for increasing their agricultural production. Under this scheme, 25,908 mini-kits of oilseeds and pulses were distributed to the small and marginal farmers upto December, 1989.

Soil Conservation


4.17 For adopting soil conservation measures on agricultural land, the State Government provides 50 per cent subsidy and 50 per cent loan to the farmers in the State. It is proposed to treat an area of 1,950 hectares under soil and water conservation under State sector during 1990-91 against the likely achievement of 1,690 hectares during 1989-90. In addition, it is proposed to treat an area of 1,570 hectares under soil conservation measures during 1990-91 under Central sector. An area of 1,097 hectares was brought under various soil conservation measures upto December, 1989.

HORTICULTURE

4.18 The varied agro-climatic conditions in Himachal Pradesh are suitable for growing a wide range of fruit crops. Due to higher productivity and income per unit area from fruit crops, horticulture in the State is playing a vital role in improving the socio-economic conditions of the rural population. Apple, so far, is the dominant fruit crop in the State. Other fruit crops like citrus, mango, stone fruits etc. are also steadily coming up in the potential areas. A brief description of the salient achievements made during


HORTICULTURE PRODUCTION

AREA
'000 Hect.



PRODUCTION

'000 Tonnes



ALL FRUITS



APPLE



1989-90 is as under:-

Area under Fruits

4.19 During 1989-90, it was envisaged to bring 6,500 hectares of additional area under fruit plants. Upto December, 1989, an additional area of about 4,000 hectares was covered with fruit plants and the target is likely to be achieved by the end of the year since the fruit plantation in mid hills and higher hills is mainly done during winter months. Against the target of distribution of 16.25 lakh plants, 10.70 lakh fruit plants of different species were distributed to the fruit growers upto December, 1989.

Fruit Production

4.20 The year 1989-90 was a good fruit year for the State. Against the production target of 4.64 lakh tonnes of fruits, about 4.49 lakh tonnes of fruits have been recorded upto December, 1989 and is likely to increase to 4.60 lakh tonnes by the end of current year. This will be the record fruit production level so far achieved. The total apple production in the State was recorded as 3.95 lakh tonnes. The mango production was not good because the crop was damaged due to bad weather conditions during flowering and fruit setting stage. The citrus crops is very good and about 12,000 tonnes of citrus fruit production is expected during 1989-90. With a view to increase the quality and productivity of temperate fruit crops in the State as many as 29 varieties/strains and 15 root stocks of apple, pear, cherry and walnut having high yield potential and good quality have been introduced at departmental progeny-cum-demonstration orchards for evaluation and multiplication so as to make the same available to fruit growers.

Improvement of Wild Fruit Trees into Superior Varieties

4.21 Under this programme, 1.24 lakh wild fruit trees were top worked with improved varieties upto December, 1989 to make them more profitable against the target of 5.00 lakh trees during 1989-90. Since the major top working operations are carried out during the spring season as such the target is expected to be achieved by the end of the plant protection year.

Plant Protection

4.22 Under this programme, an area 0.90 lakh hectares was covered under the plant protection measures upto December, 1989 against the target of 1.40 lakh hectares of orchard area during 1989-90. Besides about 40 thousand hectares of applied orchards area was sprayed for the control of apple scab disease against the target of 90 thousand hectares area to be sprayed with anti scab fungicides. In addition to plant protection operations, plant protection

inputs viz 125 M.T. of fungicides/pesticides, 345 power sprayers and 2,318 foot sprayers were supplied to the fruit growers upto December,1989 for combating the pests and other diseases in the fruit crops.

Diversification of Horticulture Industry

4.23 To bring about diversification in the horticulture industry, special efforts are being made to promote other horticultural crops like, olive, figs, hops, mushroom, pistachionuts etc. and ancillary horticultural industry like bee-keeping etc. in the State. For promoting olive cultivation in mid-hill areas of the Pradesh, the phase I of the Indo-Italian olive development project has already been implemented from November,1984 to December,1987 and about 60 cultivars of different fruit crops were introduced from Italy at project base Bajaura in Kullu district out of which 17 cultivars are of olive alone. The phase two of the project which is on three years duration is likely to commence from the year 1990-91. At present hops cultivation is confined to Lahaul Valley only and efforts are being made to promote its cultivation in Kinnaur and Pangti areas also. About 12.00 tonnes of dried hops were produced during the current year in the State. The Indo-Dutch Mushroom Development Project, Palampur, initiated in the year 1985-86 for the introduction of Dutch technology in mushroom production has almost been completed and is likely to be commissioned in 1990-91. Under this programme, about 200 mushroom growers are expected to be benefitted. Upto December,1989 about 348 tonnes of mushroom have been produced and 108 mushroom growers have been imparted training in mushroom cultivation under mushroom development programme. Further, for the development of flower cultivation in the Pradesh, efforts are being made to import improved germ/plasm from advanced countries for propagation and multiplication at departmental flower nurseries for supplying to the interested floriculturists in the Pradesh. During 1987-88, there were about 1,267 Bee-colonies at 42 departmental bee-keeping stations and about 4,947 Bee-colonies with the private bee-keepers in the Pradesh. Besides, during 1988-89, about 387 Bee-colonies were distributed to the fruit growers in the State upto December, 1988. During 1989-90, honey production is estimated to be about 60 tonnes upto December,1989.

Marketing and Processing of Fruits

4.24 During 1989-90 about 3.95 lakh tonnes of fruit was exported from the State upto December,1989 out of which 3.55 lakh tonnes(1.95 crore boxes) were of apple alone. With a view to ensure remunerative prices to the growers for their produce, the State government provided support price to the fruit growers for fruit crops viz apple/orange/kinnow and galgal @ Rs. 2.75, Rs. 3.65 and Rs. 1.20 per kg. respectively. For the procurement of fruits 209 collection centres in apple growing and 34 collection centres in citrus

growing areas were opened. During 1989 apple season, about 1.10 lakh tonnes of apple valuing Rs. 30.50 crore were procured on support price whereas the procurement work of citrus fruit is still going on. In order to popularise the use of cartons in place of wooden boxes the State Government procured through the HPMC 29 lakh c.f.b. cartons for supplying to the fruit growers for the packing of fruits during 1989-90.

4.25 To acquaint the orchardists with the technique of scientific grading and packing of fruits, 2.36 lakh fruit boxes were graded and packed by way of demonstration and 2,044 farmers were imparted training in grading and packing of fruits upto December, 1989. Besides this, about 3.28 lakh boxes were graded and packed by modern methods in the six grading and five packing houses in apple growing areas. In the nine departmental canning units, 205 tonnes of fruit products were manufactured upto December, 1989. In addition, 43 tonnes of fruit products were prepared in community canning service and 1,470 persons were imparted training in fruit preservation upto December, 1989.

Horticulture Development for the Weaker Sections

4.26 Under this programme, 74 S.C. families against the target of 1,500 families and 144 S.T. families against the target of 175 families were assisted in order to bring them above poverty line upto December, 1989. The targets are likely to be achieved by the end of the year.

Relief Under Natural Calamities

4.27 To mitigate the losses caused due to natural calamities like hail storms, heavy rains, cyclones etc. to the fruit crops by the farmers, a sum of Rs.30.00 lakh was provided during 1989-90. Under this scheme fruit plants are distributed on 50 per cent subsidy subject to the maximum of 75 plants per family. Besides, Rs. 7.40 lakh was kept under non-plan for providing relief to fruit growers in the form of subsidy on various horticultural inputs during the year.

IRRIGATION

4.28 The total geographical area of Himachal Pradesh is 55.7 lakh hectares. Of this a high percentage of area is under perpetual snow or under forests or area comprising steep barren slopes. Due to these natural factors extensive irrigation is difficult in the Pradesh. However, cultivated area exists in patches in villages along the hill slopes which is basically suited for minor irrigation. The economy of the State largely depends upon agriculture. Improved methods of cultivation, irrigation and better seeds can boost production of foodgrains. Surface and underground water sources are sufficient which can be harnessed to increase the grain output. Ground water can be exploited in valleys by

boring tubewells. The work of boring tubewells has been going on since the Fourth Five Year Plan whereas minor irrigation using surface water was being provided since the inception of the Five Year Plans. According to revenue papers about 19 per cent of the cultivated area is under irrigation. It is estimated that the existing potential through major, medium, and minor irrigation schemes can irrigate 3.35 lakh hectares approximately of cultivated area which is about 58 per cent of the net area sown.

Major Irrigation Scheme

4.29 Shah-nehar irrigation project which is expected to extend irrigation facilities to an area of 15,287 hectares of land in Kangra district is the first major irrigation project in Himachal Pradesh. During the first four years of the seventh plan period a sum of Rs. 190.55 lakh has been incurred on this project. An outlay of Rs. 64.00 lakh for the year 1989-90 has been provided for this project.

Medium Irrigation Scheme

4.30 During the year 1989-90, an amount of Rs. 183.00 lakh has been provided for medium irrigation to extend irrigation facilities to an area of 400 hectares. Out of this, 80 hectares has been brought under irrigation facilities upto December, 1989.

Minor Irrigation Schemes

4.31 During 1989-90, an amount of Rs. 653.00 lakh has been provided in state sector for providing minor irrigation facilities to an area of 300 hectares out of which 219 hectares were provided irrigation facilities upto December, 1989.

4.32 Under the USAID programme, a sum of Rs. 652.80 lakh was spent during 1987-88 under the schemes of IPH and provided irrigation facilities to about 1,805 hectares. During the year 1988-89, irrigation facilities were provided to an area of about 1,769 hectares and a sum of Rs. 888.78 lakh was spent under this programme. During 1989-90, an amount of Rs. 1,098.00 lakh has been provided under this programme to IPH Department for creating minor irrigation facilities to an area of 2,500 hectares and for providing comprehensive field channels to an equivalent area. During 1989-90, 537 hectares have been covered under minor irrigation USAID programme upto December, 1989.

Command Area Development

4.33 It is essential to carry out command area development in order to utilise the irrigation potential already created. The programme is limited to schemes executed under major and medium irrigation schemes. During 1987-88, a sum of Rs. 35.42

lakh was spent under State Sector and field channels were constructed in 795 hectares, warabandi in 208 hectares and land levelling in 40 hectares. During 1988-89, an amount of Rs. 70.19 lakh was spent and field channels in 1,407 hectares and wara-bandi in 505 hectares was provided. During 1989-90, a sum of Rs. 49.00 lakh has been provided for constructing field channels in 1,900 hectares and wara-bandi in 600 hectares. Upto December, 1989 field channels were constructed in 824 hectares and wara-bandi in 259 hectares.

Flood Control

4.34 During 1987-88 and 1988-89, an amount of Rs. 60.50 lakh and 67.11 lakh were spent and 40 hectares and 139 hectares respectively were protected against floods. During 1989-90 a sum of Rs. 120 lakh has been provided to protect an area of 240 hectares against floods. Out of this an area of 168 hectares has been protected upto December, 1989.

Agriculture Census

4.35 According to agricultural census held in Himachal Pradesh during 1985-86, there were 7.53 lakh holdings in the Pradesh which showed an increase of 18 per cent over 1980-81. Total area of the operational holdings during 1985-86 and 1980-81 was almost the same i.e. 9.80 lakh hectare. As a result, the average size of holding which was 1.53 hectares in 1980-81 went down to 1.30 hectares in 1985-86. The number of marginal holdings i.e. holdings of size below 1.0 hectare has increased to 4.63 lakh in 1985-86 from 3.52 lakh in 1980-81 whereas the number of small holdings, i.e. holdings of size between 1.0-2.0 hectare has increased to 1.55 lakh in 1985-86 from 1.40 lakh in 1980-81. The holdings of size upto 0.5 hectare increased to 2.96 lakh in 1985-86 from 2.23 lakh in 1980-81 and those of size 0.5 to 1.0 hectare increased to 1.67 lakh in 1985-86 from 1.29 lakh in 1980-81. As against the increase in small holdings the number of holding with size 10.0 hectare and above has increased to 5,643 in 1985-86 from 6,954 in 1980-81. In the case of small holdings of size 2.0 hectares or less, the percentage to total holdings increased from 77.2 per cent in 1980-81 to 82.2 per cent in 1985-86 and the percentage of area held by them increased from 35.4 per cent in 1980-81 to 43.2 per cent in 1985-86. On the contrary in the case of larger holdings of size 10.0 hectares and above, the percentage declined from 1.1 per cent in 1980-81 to 0.7 per cent in 1985-86 and the percentage of areas of these holdings declined from 12.7 per cent in 1980-81 to 9.7 per cent in 1985-86.

Land Reforms

4.36 The policy of reforming the agrarian system in the Pradesh continued during 1989-90. Under this policy (a) ownership rights are conferred on tenant cultivators, (b) inequalities in respect of land holdings are reduced and (c)

fragmentation of holding is prevented by consolidation.

Conferment of Proprietary Rights

4.37 Chapter ten of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 provides for acquisition of proprietary rights by non-occupancy tenants. There were 4.29 lakh non-occupancy tenants in the State (1.03 lakh in Shimla division, 1.02 lakh in Mandi division and 2.24 lakh in Kangra division) out of which about 3.91 lakh have been conferred proprietary rights so far (0.97 lakh in Shimla division, 0.90 lakh in Mandi division and 2.04 lakh in Kangra division). The remaining 38 thousand odd tenants fall under the protected categories of landowners such as minors, widows, army personnel, disabled and infirm persons etc.

Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act, 1972

4.38 The Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act, 1972 which came into force in 1972 was enacted on the basis of National guidelines. The provisions of this act are almost similar to those of other such Acts enforced by the various States of the country except for variations in the ceiling limits and such other conditions which had to be kept in view particularly the small size holdings of land class etc. in the Pradesh. In Shimla division out of 1,022 cases as many as 1,016 cases have been decided and the remaining six cases are under process in various courts upto December, 1989. Similarly in Kangra division out of 48,059 acres of land which was declared surplus 2,069 acres have been allotted under the utilisation of surplus area scheme. 24,818 acres transferred to Forest Department, 6,929 acres transferred to the tenants, 1,793 acres of land is allotable with note of Khudro drakhtan malkiat sarkar and the remaining 12,450 acres are charand/Ghasni/uncultivable land.

Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization Act, 1974)

4.39 Under section 3 of the Act, all shamlat lands have vested and are being utilised for the purposes of allotment to landless and other eligible persons and for such common purposes of estate right holders. The land wherever available for allotment is being granted under 20-Point Economic Programme. In Shimla division all the landless and other eligible persons have already been granted land and fresh surveys are being conducted to find out landless and other eligible persons and land is being allotted on finding the genuineness of landless persons. In Kangra division, upto November, 1989 in all 2,125 landless and 578 houseless persons out of the persons identified during 1981 and 1983, surveys have been allotted land for cultivation and construction purposes. The remaining identified persons could not be allotted land for want of suitable land for cultivation

or construction purposes. In Mandi division, out of 5,037 landless and 28,999 other eligible persons 5,037 landless and 28,020 other eligible persons have been allotted land so far. As regards the allotment of land to the remaining 979 other eligible persons the land could not be allotted to them due to the enforcement of Forest(Conservation)Act,1980.

Consolidation of Holdings

4.40 According to an old survey report, the total feasible area for consolidation of holdings in the State was 49 lakh acres. Upto March,1989, 17.09 lakh acres stood consolidated. The consolidated work remained in progress in Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, and Mandi districts. During 1989-90, consolidation of holdings work in an area of 44,271 acres has been completed upto December,1989 against the target of 77,250 acres. The proposed target for the year 1990-91 is 77,250 acres.

ANIMAL HUSBANDRY

4.41 The development programme of Animal Husbandry in the Pradesh includes (i)animal health and disease control, (ii)cattle development, (iii)sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v)feed and fodder development, (vi)dairy development and milk supply schemes and (vii)veterinary education. The achievements made/likely to be made in these spheres during 1989-90 are given in the following paragraphs:-

Animal Health and Disease Centres

4.42 At present 230 veterinary hospitals, 514 dispensaries and 83 outlying dispensaries are functioning in the State to provide the veterinary aid and prophylactic vaccination against various contagious diseases. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating which provide immediate veterinary aid besides control of out break of epidemics. As many as 4 clinical laboratories are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One surveillance unit is also functioning at the State headquarters for detection and control of diseases of the animals. Rinderpest is a highly contagious animal disease for which 4 check posts at Pandoga and Mandli in Una district, Swarghat in Bilaspur district and Milwan in Kangra district continued functioning in the state during 1989-90. Through these check posts about 48,000 incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1989-90.

4.43 Achievements likely to made during 1989-90 under veterinary aid programme in various institutions are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1989-90 ('000)
1.	2.	3.
1.	Cases treated for contagious diseases (indoor and outdoor)	51.00
2.	Cases treated for non-contagious diseases (indoor and outdoor)	1,706.00
3.	Cases supplied with medicine but not brought to the hospitals/ dispensaries	22.00
4.	Vaccinations performed	32.00
5.	Castrations performed	96.00
6.	Cases treated on tour:	
	(i) Contagious	19.00
	(ii) Non-contagious	453.25
7.	Castrations performed on tour	101.15
8.	Vaccinations performed on tour	617.00

Cattle Development

4.44 As jersey breed has been found the most suitable of all breeds for cross breeding purposes, emphasis is being laid on cross breeding of hill cows with jersey germ plasm. At some places where feed and fodder are found in plenty, however, Holstein Friesian breed has also been introduced. With a view to improving the existing non-descript breed of buffaloes and further augmenting breeding facilities artificial insemination with deep frozen semen in buffaloes is being done in all the districts except Kinnaur, Kullu and Lahaul & Spiti. Besides, natural services for cows and buffaloes are also available in 37 bull centres/hospitals (31 cow bulls and 6 buffalo bulls) and under key village scheme and intensive cattle development programme. The effective implementation of the cattle development programme is being done through the following schemes:-

- (i) Key Village Scheme:- Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 key village blocks with 51 key village centres. This scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur, and Una districts.
- (ii) Hill Cattle Development Programme:- The programme is in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts and 33 centres/sub-centres are functioning under the scheme. At these centres/sub-centres, jersey/holstein and Red Sindhi

jersey semen is being utilised for artificial insemination purposes.

(iii) Intensive Cattle Development Project.- The scheme is in operation in Shimla and Suni tehsils of Shimla district and Arki tehsil of Solan district through 22 centres/sub centres with semen bank at Ghanahatti.

(iv) Breeding Facilities through Hospitals/Dispensaries/Bull Centres:- With a view to boost up milk production, the work of cross-breeding and artificial insemination facilities are being provided through 444 hospitals and dispensaries in the State. Besides, natural services are being done through 31 cow bulls and 6 buffalo bulls centres in the far-flung areas where semen supply is not otherwise possible.

(v) Artificial Insemination Centres.- In areas where hospital and dispensary facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 49 artificial insemination centres in the Pradesh.

4.45 For subsidising the cost of rearing of cross-bred female calves, the Government has launched a calf rearing subsidy scheme. Under the scheme, subsidy in the shape of concentrates is being given to the small and marginal farmers. The achievements likely to be made under this programme during 1989-90 are given below:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1989-90	
		Cow	Buffaloes
1.	2.	3.	4.
1.	Artificial insemination	1,75,000	26,000
2.	Natural services	1,200	2,500
3.	Progeny born by artificial insemination	72,000	8,000
4.	Progeny born by natural services	900	1,800

4.46 For meeting the demand for pure and cross-bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are functioning at Kamand(Mandi), Bhangrotu(Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur(Kangra) and Bagthan(Sirmaur). The herd strength of animals at these farms as on 30th September, 1989 was 560. These farms also help in studying the management problem of exotic animals. Three semen banks with deep frozen laboratory and six liquid nitrogen plants

are supplying the frozen pedigree bulls semen straws to various artificial insemination centres in the Pradesh. As a result of the implementation of these programme, the milk production in the Pradesh is likely to be 515 thousand tonnes during the year 1989-90.

Sheep Breeding and Development of Wool

4.47 With a view to improving the quality of sheep and wool, Government sheep breeding farms at Jeori(Shimla), Sarol(Chmaba), Nagwain(Mandi), Tal(Hamirpur), Karchham (Kinnaur) and sheep and wool centre at Choori (Chamba) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms as on 30th September, 1989 was 1,992. During 1989-90 about 680 improved sheep are likely to be distributed to the farmers. In view of the increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Merino and American Rambouilets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government farms. Four sheep extension centres are in operation in Kothikohar(Kangra), Swar(Mandi), Bagipul (Kullu) and Dodra-Kawar(Shimla). Under the special livestock production programme for sheep development, sheep at subsidised rates are supplied and loans for this purpose are also provided to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive sheep development project which is in operation in Bharmaur, Chamba and Bhattiyat tehsils of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep and training programme for progressive sheep breeders were also organised. During 1989-90, the production of wool is likely to be of the order of 14.00 lakh kilograms.

Poultry Development

4.48 For providing improved poultry birds and hatching eggs, 14 poultry farms/centres are functioning in the Pradesh. Likely achievements in this field during 1989-90 are as under:-

Sr. No.	Item	Likely achievements during 1989-90
1.	2.	3.
1.	Average number of layers maintained at Govt. farms	4,565
2.	Eggs production	8,95,500
3.	Chicks production	2,13,500
4.	Eggs used for hatching	2,54,000
5.	Sale of eggs for table	5,95,000

1.	2.	3.
6.	Sale of eggs for hatching	6,600
7.	Sale of birds for breeding	1,21,000
8.	Sale of birds for table	82,000

4.49 Under special livestock(Poultry)production programme, 100 poultry units are proposed to be established during 1989-90 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts.

Feed and Fodder Development

4.50 The State Government is concentrating on activities directed towards improving feeding resources by way of increasing production and distribution of seed/planting material of fodder crops and grasses. Cultivation of fodder crops is being encouraged by distribution of fodder minikits of Kharif and Rabi fodder crops. There is vast potential of improving fodder availability by raising improved grasses. Seeds and planting material of improved species are being distributed at nominal prices to the farmers/orchardists of the State.

Dairy Development and Milk Supply Scheme

4.51 For providing remunerative rates to the milk producers and wholesale milk at reasonable rates to the consumers, four milk supply schemes continued functioning at Chamba, Kangra, Kullu and Nathpa-Jhakri as departmental schemes during 1989-90. The target for milk collection through these milk schemes is 16.60 lakh litres.

FISHERIES

4.52 The scientific studies indicate that there are approximately 98 species of endemic and exotic species thriving in the waters of the State. These species include indian major and minor carps, cat fishes, cobitids, lesser barils, exotic trout, prussian carps mighty mahseer, snow trout, pahari trout etc. Himachal Pradesh is blessed with vast and variegated fishery resources in the shape of network of rivers, sprawling reservoirs, fast flowing cold waters etc. harbouring wide array of temperate, sub-temperate and tropical fish species. Mainly classified into riverine, lacustrine, recreational and pond fisheries, the state waters offer considerable potential for the development of fisheries. During 1989-90, fish production in the State from all these resources is expected to achieve the target of 4,300 tonnes. The Gobindsagar reservoir of the State is likely to yield a record average production of 80 kg. per

hectare during 1989-90 which is almost 6 times more than the national average production of 14.5 kg. per hectare. The fish production from this reservoir till December, 1989 was 565 tonnes whereas it was 563 tonnes during the corresponding period of previous year. The fish seed production recorded an increase from 8 million fry during 1987-88 to 15 million fry during 1989-90. Breeding of Indian major carps the highly commercial variety was undertaken in four departmental farms. In addition, 5.77 lakh major carp fry were also produced at National fish seed farm, Milwan upto December, 1989 where the fish breeding operations were initiated only during 1988-89. Conservation efforts were strengthened and 1,236 cases of illegal fishing were registered during the year. With a view to popularize trout farming on commercial basis, an Indo-Norwegian project has been initiated in Kullu Valley. The machinery and few other farm equipment have been imported and a first consignment of one lakh eyed ova of improved strain is likely to be received by March, 1990. as well as a strain of the improved variety of rainbow trout is being imported this year.

4.53 Under the Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan subsidy was given to 265 fishermen families and production of 20,836 ova was undertaken at trout seed-farm, Sangla. The physical achievements under the various activities have been given in the table below:-

Sr.No.	Item	Target for 1989-90	Achievements	
			Upto Dec., 89	Expected Upto March 1990
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Fish production (tonnes)	4,300	2,916	4,300
2.	Seed production- Mirror carp, Major carp, Trout ova(million)	22.00	15.00	20.00
3.	Licensed fishermen(No.)	11,000	10,108	11,000
4.	Number of illegal fishing cases detected		1,236	

FORESTS

4.54 Forests in Himachal Pradesh cover an area of 37,691 square kilometres and form about 67.7 per cent of the total geographical area of the State. The well wooded area is much less. These forest resources bear a rich potential for industries like news print, rayon grade pulp, art paper, hardboard and textile accessories, etc.

In addition, a large number of aromatic and medicinal plants can be utilized for the pharmaceutical and ayurvedic medicines. Besides, forests are also essential to conserve soil and to regulate the flow of water in the rivers so as to ensure the longevity of multipurpose hydro-electric projects. The strategy of Himachal Pradesh Government in forestry development is one of protecting and rationally managing its existing resources and side by side expanding its base. With this object in view, a State forest policy within the ambit of national forest policy was enunciated in September, 1980 which provides for the following frame work:-

- (i) To increase the forest cover in Himachal Pradesh to the level of 50 per cent geographical area by 2000 A.D. which is maximum achievable limit taking into view the compulsion of land use and about one third area of the State being above the snow line.
- (ii) Adopting massive social and farm forestry programmes with people participation for raising plantations of broad leaved species capable of yielding fodder, fuel fruit and small timber on waste land in village community lands and field bunds under food for work and other forestry schemes;
- (iii) Pantation of fast growing species in appropriate areas for industrial wood;
- (iv) Improvement of pastures to increase their yield;
- (v) Intensive road side and irrigation kuhl-side plantation;
- (vi) Regulation of private land holder's rights in forests;
- (vii) Working plan revisions and updating of working plans to be expedited and this work in no circumstances allowed to suffer;
- (wiii) Moratorium on commercial felling to be clamped by reducing fellings gradually;
- (ix) Intensifying research for finding substitute material for horticulture purposes;
- (x) Nationalisation of entire forest exploitation works including resin trade thus eliminating contractors agency entering into forests.

4.55 The plan programmes taken up by the Forest Department aim at fulfilling these policy measures. Some of the important plan programmes are as below:-

Forest Plantation

4.56 Under the productive forestry schemes, 3,612 hectares of plantation were covered under quick growing species, economic plantations and regeneration of chilgoza pine and pasture land improvement upto December, 1989 against the total target of 4,840 hectares for the year 1989-90. Besides, 13,953 hectares were covered under Social Forestry Programmes at a cost of Rs. 7.45 crore upto 31st December, 1989 against the target of 24,707 hectares for the year 1989-90. In addition rural fuelwood plantations were raised on 1,801 hectares at the cost of Rs. 1.16 crore upto 31st December, 1989.

Dhauladhar Farm Forestry Project

4.57 This project came to an end on 31.3.89. This was an Integrated Indo-German Project involving afforestation, improved animal husbandry practices and conservation of fuel saving devices. The soil conservation measures have been very helpful in maintaining and improving the ecological balance of the project area and conserving the soil moisture.

Indo-German Economic Development Project (Changer Area Project)

4.58 While the Dhauladhar Farm Forestry Project came to an end on 31st March, 1989, a similar project for Changer area of Palampur Sub-Division for Rs. 18.71 crore with the West German assistance proposed to be started. The project will have multi-disciplinary approach by intergrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry.

World Bank Aided Water Shed Development Project for Himalayan Hills (Kandi Project)

4.59 This Integrated Water Shed Development Project (Hills) with the assistance from the World Bank aims at ecological rehabilitation of the catchment areas of five rivers, viz., Chakki, Swan, Sirsa, Ghaggar and Markanda and to increase agricultural/horticultural production in the catchment areas through the application of dry land farming techniques. Kandi area falls in the catchment of the above five rivers where soils are highly eroded and are subjected to drought conditions throughout the year. The project shall have multi-disciplinary approach by integrating the departments of Forest, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry.

Wild Life and Nature Conservation

4.60 Himachal Pradesh is known for a variety of games, both animals and birds. The scheme aims at improving

the game sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. An amount of Rs. 27.16 lakh (including central share) has been utilised for this purpose upto December, 1989 against the target of Rs. 90.00 lakh for the year 1989-90.

Forest Protection

4.61 Forests are exposed to dangers of fires, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established, fire fighting equipments are introduced and telephones are installed. During the year, this scheme continued functioning and Rs. 16.24 lakh have been spent upto December, 1989 against the target of Rs. 25.00 lakh for the year 1989-90.

5. INDUSTRIES

5.1 Himachal Pradesh is industrially a backward State. However, the peaceful climate, political harmony and stability in the State have gone a long way in attracting entrepreneurs both from outside and within the State to set up their industrial projects in the Pradesh. At present there are about 118 medium and large scale units functioning in the Pradesh which provide employment to about 14,580 persons and have an investment of nearly Rs. 300.00 crore. In the small scale sector, the number of units functioning is 19,500 and provide employment to about 73,000 persons. These small scale units have capital investment of about Rs. 242 crore. During the year 1989-90, the following industrial activities were carried out:-

Industrial Project Approval and Review Authority(IPARA)

5.2 The main function of this authority is to help the entrepreneurs in implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of IPARA is obligatory in case of medium and large scale industries. Upto December, 1989, 28 new projects were approved by the IPARA having a capital investment of Rs. 315 crore and employment potential of 6,000 persons.

District Industries Centres

5.3 District Industries Centres(DIC) have been functioning in all the districts of the Pradesh and assisting in the promotion of cottage and small scale industries. Upto December, 1989, 4,848 artisans and 3,912 entrepreneurs were identified. Besides, 2,992 SSI units were provisionally registered and 904 small scale industrial units were registered on permanent basis. The number of employment opportunities generated under Small Industries Development Organisation(SIDO) and Non-SIDO were 2,000 and 936 respectively. In addition, project profiles of 2,020 small scale industrial units were approved.

Industrial Areas

5.4 In order to provide infrastructural facilities to the entrepreneurs, (i) Industrial areas were established at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta Sahib, Mehatpur, Shamshi, Nagrota Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo and Sansarpur Terrace, Electronic complex at Solan(Chambaghat), Mandi, Parwanoo, Hamirpur, Shoghi, Chamba, Amb and Taliwala and (ii) Industrial Estates at Solan, Dharampur, Kangra, Jawali, Dehra-Gopipur, In addition, more industrial areas/estates have been identified in the Pradesh.

Arts and Exhibitions

5.5 With a view to exposing and promoting the sale of products being manufactured by various industrial units in the State, the Pradesh has been participating in various fairs, festivals and exhibitions organised at national and inter-national levels. During the year 1989-90, the State participated in International trade fair at New Delhi, Expo handloom, New Delhi Kanpur, Bombay, Kullu, Nehru Udyog Mahotsava Bangalore, National Exhibition of tribal festival at Ranchi, Dussera fair, Kullu, and Lavi fair, Rampur.

Entrepreneurs Development Programme

5.6 Entrepreneurial development courses including institutional in-plant training and out-surveys were held during 1989-90. In addition, short-term quick exposure courses of fortnight duration have been designed to provide package information to the capable entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up industrial units. During the year 1989-90, 14 entrepreneurial development programmes (EDPs) courses were conducted in which 348 persons were imparted training and 8 industrial awareness programmes were conducted in which 209 persons were trained.

Sericulture Industry

5.7 Sericulture is one of the important cottage industry of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers to supplement their income by rearing silk worms and selling cocoons produced by them. During 1989-90, 80,320 kgs. of reeling cocoons and 5,910 M.T. of raw silk was produced.

Incentives/Concessions to Industrial Units

5.8 Under this programme, an amount of Rs.5.84 crore has been disbursed as central capital investment subsidy and Rs. 64.40 lakh as central transport subsidy to various industrial units upto January,1990.

Investment in Government Undertakings

5.9 During the year 1989-90, the following investments are proposed to be made in different Corporations and Boards under the administrative control of the Industries department.

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Name of the Corporation	Budget provision for 1989-90
1.	2.	3.
1.	Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation	230.00
2.	Himachal Pradesh Financial Corporation	200.00
3.	Himachal Pradesh State Small Industries and Export Corporation	8.00
4.	Himachal Pradesh Handicrafts and Handloom Corporation	11.00
5.	Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation	80.00

Tea Industry

5.10 Tea is grown in Kangra and Mandi districts of the Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 metres above sea level. There are 1,385 tea estates covering an area of 3,212 hectares in the Pradesh. During 1989-90, a provision of Rs.22.00 lakh has been made for the development of tea industry in the Pradesh.

Mineral Development

5.11 During the year 1989-90, the following investigations were carried out by the Geological wing of the Industries Department:-

- (i) Arki area(District Solan).- Detailed proving of lime stone deposits in Arki and adjoining areas is in progress to assess mineable reserves for its utilisation in cement and steel industries.
- (ii) Mulk-Madan-Bhojpur Belt Sundernagar(District Mandi).- Detailed proving of lime-stone deposits of Mulk-Madan-Bhojpur Belt of Sundernagar is in progress and is likely to be completed this year.
- (iii) Bagga area(District Solan).- Detailed mapping and sampling is in progress to know its grade and economic viability for its utilisation for manufacturing Portland cement.
- (iv) Kamru-Sangrah(District Sirmaur).- Mining plans of the quarries which are in operation are being prepared to improve the mining operation and to suggest remedial soil erosion and ecological measures.

- (v) Drang-Gumma area(District Mandi).-Drilling operations are in progress to find out the proveable exploration of salt body for its utilisatin in salt based industries through solution mining.
- (vi) Kaslog area (District Solan).- Detailed speed/ exploration work has been started to prove the lime stone deposits of Kaslog area in tehsil Arki of Solan distict for setting up of one million tonne plant based on these deposits.
- (vii) Haritalanger(District Hamirpur).- Successful drill hole has been drilled at Haritalanger to provide drinking water to the local inhabitants. A hand pump namely India Mark-II has also been installed.

Besides, these investigations, the Geological wing of Industries Department also carried out Geological investigations of bridge sites, investigations of land slide/soil erosion problems and irrigation projects during the year,1989.

6. ELECTRICITY

6.1 Himachal Pradesh State Electricity Board is engaged in the execution and investigation of various hydro-electric projects found to be economically exploitable. Simultaneously, the work on expansion of transmission net work throughout the Pradesh has been taken up to achieve accelerated industrial growth. It is a matter of satisfaction that despite very difficult and mountaneous terrain all the inhabited villages in the State have already been electrified.

6.2 Himachal Pradesh has a vast hydel potential and through preliminary hydrological, topographical and geological investigations, it has been estimated that 12,700 MW of hydel power can be generated in the State by constructing various major, medium, small and mini/micro hydel projects on the five river basins. In addition, a large number of unidentified areas have still been left in the river basins which can contribute substantially to the power potential of Himachal Pradesh by way of mini/micro, medium and even large projects. Also in view of the rising cost of thermal and nuclear generation, many identified projects which have been excluded from the above mentioned hydel potential on account of non-suitability due to high cost of generation, will also become viable in future. On these two considerations, a conservative estimate of the total potential in Himachal Pradesh could well be put up at 20,000 MW or even more. Out of the total hydel potential only, 3,229.44 MW only has been harnessed so far, out of which only 152.07 MW is under the control of Himachal Pradesh as bulk of the potential has been exploited by the Central Govt. and other agencies. The huge hydel potential of the State can play a major role in power development programmes in the northern region and will provide economic base for the overall development of Himachal Pradesh.

6.3 Hydel power generation in the Pradesh has been accorded top priority from the Sixth Plan onwards because it will not only meet the increasing power demand within the State but also to bridge the gap in the demand and supply in the northern region as a whole. In view of this a phased programme was chalked out to take up various major, medium, small and mini/micro hydel projects in the State during the seventh five year plan besides completing the ongoing projects as early as possible.

6.4 To match the increasing activities on construction of hydel projects there is an immediate need to lay emphasis on adequate transmission and distribution net work in order to transmit power from these projects and its distribution for power utilisation within the State. Keeping this in view, various transmission and distribution schemes have been prepared and some of these have already been taken up. Special transmission and distribution schemes are proposed

to be taken up to meet the power requirement of various industrial complexes being set up in the State.

6.5 In the field of rural electrification the State had made remarkable achievements. In spite of the fact that Himachal Pradesh was a late starter in field of rural electrification and because of very difficult and mountaineous terrain, it is a matter of satisfaction that all the inhabited villages of the State numbering 16,807 according to 1981 census were electrified by the end of June, 1988. In Himachal Pradesh where 93 per cent of population lives in villages, rural electrification has significant role to play not only to provide lighting but also to encourage cottage industries in rural areas.

A. GENERATION

Sanjay Vidyut Pariyojna (Bhaba 120 MW)

6.6 This project with an installed capacity of 120 MW comprising three units of 40m MW each was completed in March, 1989 and the commercial generation started from May, 1989.

ON GOING PROJECTS

Thirot Hydel Project (4.5 MW)

6.7 This project with an installed capacity of 4.5 MW is located in the tribal valley of Lahaul in Lahaul & Spiti district. The latest estimated cost of this project is 26.79 crore. The power generated from this project shall be utilised in the remote tribal areas of Lahaul and Pangi and the surplus power whenever available shall be utilised in Manali area of Kullu district. This project is scheduled for commissioning during the year 1990-91.

Baner Hydel Project (12 MW)

6.8 This project was sanctioned during the year 1981 for an installed capacity of 6 MW which has subsequently been raised to 12 MW. The latest estimated cost of the project is Rs. 31.63 crore. The work of civil components of the project has been awarded and order for the generating equipment has also been placed. The project is estimated to be commissioned during 1992-93.

Gaj Hydel Project (10.5 MW)

6.9 The project was sanctioned during the year 1982. The latest revised estimated cost of the project is Rs. 30.75 crore. The work on the civil components of the project has been awarded and the order for the generating equipments has also been placed. The project is likely to be completed during 1991-92.

Bhaba Augmentation Scheme

6.10 Bhaba Augmentation Scheme with an estimated cost of Rs. 9.64 crore was approved by the Planning Commission in June, 1987. However, the latest revised estimated cost is Rs. 13.75 crore. The scheme will afford an additional generation of 54 MW annually from the Bhaba Power House and will enhance the firm power by 3 MW. The construction work has been awarded during August, 1988.

Killar Hydel Project (300 KW)

6.11 The State Electricity Board has sanctioned the scheme amounting to Rs. 1.73 crore and is being executed under the State plan.

Sal Stage-II Hydel Project

6.12 The estimated cost at current level prices is Rs. 6.45 crore. The expenditure estimated to be incurred till the end of the Seventh Plan is Rs. 0.93 crore.

Nathpa Jakhri Hydro Electric Project (1,500 MW)

6.13 Nathpa Jakhri Hydro Electric Project with an installed capacity of 1,500 MW is to be executed jointly by the State and the Central governments through the Nathpa Jakhri Power Corporation. According to the Memorandum and Articles of Association approved by the Govt. of India for the Corporation, the debt equity ratio would be 1:1. World Bank loan amounting to 437 million dollars has been sanctioned for the generation component of this project. This loan will directly come to the Nathpa Jakhri Power Corporation and the sources for the equity portion shall be funded by the Central and State Governments. The estimated cost of this project is Rs. 6,678 crore. The financing plan of this project in terms of percentage cost is bank loan lent to Nathpa Jakhri Power Corporation 17 percent, Govt. of India loan 33 percent, Govt. of India equity 37 percent and Govt. of Himachal Pradesh equity 13 percent.

6.14 The electricity generated during 1988-89 was 698.8 million units while during current year upto December, 1989 it is 791 million units. As many as 139 pumpsets have been energised upto December, 1989.

B. TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

6.15 The need of strengthening the transmission and distribution system in the State is being felt for the last few years in order to ensure uninterrupted power supply in the State and for evacuation of power from new projects as also to receive our share of power from various inter-State

and Central projects. As such the State Electricity Board is engaged in strengthening the transmission and distribution system in the State. The following achievements were made in respect of transmission lines and sub-stations during the year 1989-90:-

- (i) 220 KV D/C Bhaba-Panchkula line with 220/132 KV sub-station at Kunihar.
- (ii) 220 KV Khodri-Majri line with 220/132 KV sub-station at Majri.
- (iii) 132 KV Solan-Kunihar line
- (iv) 132 KV D/CF Kunihar-Barotiwala line with 132/33 KV sub-station at Barotiwala
- (v) 40/36/4 MVA, 220/132 KV transformer at Dehar.

The work on the following 220/132 KV transmission and sub-stations remained under progress during 1989-90:-

- (i) 220 KV Khodri-Majri line(second circuit)
- (ii) 132 KV D/C line from Jassore-Dehra with sub-station at Dehra
- (iii) Augmentation of Parwanoo and Barotiwala sub-stations
- (iv) 66 KV transmission line from Pong to Sansarpur Terrace with sub-station at Sansarpur Terrace.

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, SriAurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....*D-5229*
Date.....*28/5/90*

7. EMPLOYMENT

7.1 According to the 1981 population census nearly 42 per cent of the persons in the State were workers. The percentage for males was 53 and for females 32. Of the total workers 19 percent were classified as marginal workers i.e. those who had worked in the reference year for less than six months. Of the total state population, 34 per cent were main workers i.e. those who had worked in the reference year for more than six months. Further, about 50 per cent of the male population and about 19 per cent of the female population were main workers. Of the total main workers, about 71 per cent were cultivators and agricultural labourers, 2 per cent engaged in household industry, manufacturing, processing, servicing and repairs whereas only 27 per cent were other workers.

Manpower and Employment Schemes

7.2 The employment service schemes include (i) to assist employment seekers possessing diverse qualifications and experience in finding suitable jobs. (ii) to enable workers and surplus retrenched employees to find out alternative employment. (iii) to serve employers by referring to them suitable workers to fill up vacant posts in their establishments and (iv) to collect employment information regarding job opportunities, training facilities, and related matters in re-orienting their programme etc. according to the market needs. The employment assistance/information service in the Pradesh continued to be rendered through the 3 regional employment exchanges, 9 district employment exchanges, 35 sub-office employment exchanges, one state employment market information unit, 12 district level employment market information units, 3 vocational guidance units, a special cell for physically handicapped persons, and a central employment cell for placement of Himachalies in the various industrial units, institutions and establishments in private sector during the year under review.

Employment Exchange Information

7.3 The employment in general at the end of 31st December, 1989 as compared to the corresponding period of last year reveals that the number of applicants on the live Register increased by 16.3 percent while the number of vacancies notified by the various employers increased by 26.9 per cent. The placements has also increased by 4.9 per cent. During the period from 1st January, 1989 to December, 1989 in all 1,19,204 applicants were registered and 7,804 placements were done. The number of vacancies notified by various employers were 11,643. The consolidated live register of all employment exchanges stood at 4.28 lakh on 31st December, 1989.

Employment Market Information Programme

7.4 At the district level the employment data is being collected under the Employment Market Information Programme since 1960. At the end of first quarter i.e. January to March, 1989, the total employment in the state was 2.78 lakh (public sector 2.51 lakh and private sector: 0.27 lakh). Of the total employment in public sector 6.24 per cent were borne on the Central Government establishments, 69.85 per cent on State Government establishments, 6.24 per cent on the quasi-Government (Central), 16.39 per cent on the quasi-Government (State) and 1.28 per cent on the local bodies establishments.

Vocational Guidance Activities

7.5 The Vocational Guidance and Employment Counselling programme has been designed to give intensive Vocational Guidance to those who seek such assistance. The term Vocational Guidance is more appropriately connected with assistance to youth whereas Employment Counselling refers to the assistance to the adult. The State Directorate of Employment administers this service in collaboration with the Education Department of the Pradesh. The central nit of vocational guidance (VG) at DGE&T assists the Director of Employment Exchanges of the state in all the matters pertaining to policies and procedures, the training of staff, the preparation of tools and material and coordination of services at the national level. At an employment exchange, the programme is implemented by the VG section under the administrative control of the officer in charge of the exchange. Under this programme the following achievements have been made upto December, 1989 during 1989-90:-

Item	(Number)
	Achievement Upto December 1989
1.	2.

A-Individual Programme :

1. Persons received individual guidance ..	11,963
2. Persons received guidance at the time of registration ..	11,581
3. Persons received individual information:	
(i) Information sought by post ..	3,571
(ii) Information sought by persons ..	3,701
(iii) Old cases received from live register ..	1,587

1. 2.

B-Group Programme:

1. Group discussions conducted ..	993
2. Career/Group guidance talks delivered at schools/colleges etc. ..	602
3. Persons attended group discussions ..	13,623

C-Coordination Activities:

1. Visit in schools/colleges for promotion of such guidance, activities as setting up of career corners, guidance units arranging career conferences/seminars/exhibitions etc. ..	463
2. Visits to employment institutions for collecting information on job opportunities/training facilities etc. ..	222

During the year under report a Vocational Guidance fortnight to provide Vocational Guidance and Employment Counselling was celebrated throughout the Pradesh w.e.f. 24th July to 8th August, 1989.

Central Employment Cell

76 With a view to provide technical and highly skilled manpower to the industrial units, institutions and establishment being set up in the private sector in the Pradesh. A central employment cell has been set up in the Directorate of Labour and Employment of the State. The main objective of setting up of this cell is to make available the technical manpower to the industrial units in the private sector as per their requirements. Thus under this scheme, the assistance is provided to the employment seekers in finding suitable jobs in private sector according to their qualifications and experience on the one hand and employers in this sector to recruit suitable workers on the other hand. Under this scheme there were 17,890 registrants who were registered on the basis of the duplicate registration cards received from their parent employment exchanges belonging to the category of technically/highly skilled personnel. As many as 982 vacancies of various nature were notified by 274 employers of private sector establishments out of which 275 vacancies were of technical and highly skilled nature which were notified by 216 employers. The central employment cell sponsored 7,591 candidates of various trades to the various industrial units out of which 3,870 candidates were of technical and highly skilled nature Upto December, 1989, in all 474 persons were placed in various private sector industrial units in the Pradesh.

of which 82 were of technical and highly skilled nature.

Special Cell for the Placement of physically Handicapped Persons

7.7 During the period from January to December, 1989, 749 physically handicapped persons were brought on the live register of this cell bringing the total number to 3,658. Besides, 59 reserved vacancies were notified and 206 physically handicapped persons were sponsored against these vacancies. 54 physically handicapped persons were placed in gainful employment during the year.

Rural Development and Employment

7.8 The main objectives of the rural development programmes are (i) more production, (ii) more employment, (iii) more equitable distribution of income, (iv) more investment on rural poor, and (v) more awakening of rural masses towards health and hygiene, nutrition & social, economic and cultural activities. To achieve these objective the following state and centrally sponsored development schemes/ programmes remained under implementation during 1989-90 :-

Community Development Programmes

7.9 The main objective of this programme is to achieve integrated development of the rural people with the initiative and participation of the village community itself. Under this programme, grants-in-aid are provided to Panchayat Samities for the construction/repair of primary school buildings under general education and for organising various cultural programmes, rural sports and meets etc., under social education. Further grants-in-aid are also given to panchayat samitis for the construction of kaccha roads and bridal paths in rural areas. In addition, grants are also provided for the promotion and strengthening of mahila mandals and yuvak mandals, training of associate women and workers, incentive awards to mahila mandal organisations and sammelans of non-officials etc. under composite programme. Besides above housing needs of the staff in field and office buildings etc: at block headquarters are also constructed under this programme.

Integrated Rural Development Programme (IRDP)

7.10 It is a centrally sponsored programme and the target group of the programme consists of small farmers, marginal farmers, agricultural labourers, rural artisans and others who are below the poverty line. The main objective of this programme is to provide productive assets and employment to the poor people by providing income generating assets including working capital where ever necessary through package of assistance comprising subsidy and institutional

credit. Under this programme 25,951 old and new families have been assisted upto February, 1990. The target of assisting 7,558 new families was fixed for 1989-90. An amount of Rs. 485.43 lakh has been spent under this programme.

Training of Rural Youths for Self Employment (TRYSEM)

7.11 This programme is a part of IRDP and the main objective of it is to provide necessary technical skills to rural youths from the families below poverty line in the age group of 18-35 years to enable them to take up self employment ventures in the broad fields of agriculture and allied activities, industry services and business activities. The training to the interested rural youths is imparted free of cost in various Govt. training institutions and after the completion of the training a free tour kit is given to them. Upto February, 1990, 1,838 youths were trained, 648 youths were self-employed, 290 youths were provided waged employment and 1,611 youths were undergoing training in various trades.

Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA)

7.12 This programme is being implemented in the State as a part of IRDP with the objective to increase employment opportunities for the rural women who are below poverty line dividing them into groups so as to enable them to take up income generating activities which are acceptable to them such as bamboo work, bee-keeping, knitting and weaving, poultry farming, vegetable production etc. This scheme is in operation in Kangra, Shimla, Chamba and Mandi districts. Upto December 1989 41 groups have been formed with the membership of 469 women and an amount of Rs. 4.68 lakh was incurred under this programme.

Jawahar Rojgar Yojna

7.13 Jawahar Rojgar Yojna, which was launched throughout the country by merging the erstwhile programmes of NREP and RLEGP, aims at generating larger employment opportunities for un-employed and under employed persons in the rural areas and creating productive community assets for direct and continuing benefits to the poor sections of the society. This programme is implemented through village panchayats which are responsible for the planning and execution of the programme. Against the target of generation of 32.04 lakh mandays of employment 29.46 lakh mandays (upto February, 1990) were generated and 2,090 community assets were created upto December, 1989.

Indira Awas Yojna

7.14 The Indira Awas Yojna is being financed from the earmarked 6 percent funds out of the total allocation under Jawahar Rojgar Yojna. Under this scheme houses are

constructed for the scheduled caste and scheduled tribe families living below the poverty line. Houses for the freed bonded labourers are also constructed under this scheme. A sum of Rs. 12,000 is given to the beneficiaries as assistance for the construction of houses including facilities for sanitary latrines and smokeless chullas. During 1989-90 448 houses were constructed upto February, 1990 against the target of construction of 576 houses. An amount of Rs 57.67 lakh has been incurred on the houses completed/under construction.

Minimum Wages

7.15 Himachal Pradesh Government has constituted a Minimum Wages Advisory Board under the Minimum Wages Act, 1948 for the purpose of advising the State Government generally in the matter of fixing and revising the minimum rates of wages for the employees in the 15 scheduled employments. On the recommendation of this Board, the State Government fixed/revised the uniform minimum rates of unskilled workers in all the 15 scheduled employments at Rs. 18/- per day or Rs 540 per month except in tea plantation in which the minimum rates of wages have been revised to Rs. 15 per day or Rs 450 per month. The Govt. has further proposed the minimum rates of wages of unskilled workers to Rs 20 per day w.e.f. 26.1.1990. In all the scheduled employments as in the employment of tea plantation, the minimum rates for unskilled workers have been proposed at par with of scheduled employments besides, 11.11 percent further increase to other categories such as semi skilled, skilled, highly skilled and other categories of workers. An increase of 20 per cent was given to the semi-skilled, skilled and highly skilled workers etc. on the wages which were applicable prior to 15.4.1989. Similarly an increase of 25 percent and 12.5 percent over and above the minimum rates of wages is allowed to the persons engaged/working in the scheduled tribe areas and backward areas as notified by the Government respectively working in agriculture, construction or maintenance of roads and buildings, stone breaking or crushing and forestry and timber operations scheduled employments. Besides, 20 per cent increase over and above minimum rates of wages is also applicable to the workers working inside the tunnels. Under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 the State Government has constituted 37 vigilance committees at the Sub-divisional level and 12 vigilance committees at district level besides a screening committee at the State level. The Pradesh Government has constituted a Labour Court and an Industrial Tribunal with headquarters at Shimla for adjudication of industrial disputes. Under the industrial disputes act 1947 an independent presiding officer of labour court/industrial Tribunal of the rank of District and Session Judge has been appointed. The Employees State Insurance Scheme is applicable in the areas of Solan, Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Mehatpur and about 229


establishments with an estimated employment of 13,573 workers are covered at present. Similarly, about 473 establishments with an estimated employment of 39,932 workers are covered under Employees Provident Fund Act, 1952.

Industrial Relations

7.16 The problem of industrial relations has assumed considerable importance in the light of 20-Point Economic Programme. Conciliation machinery has been functioning in the Pradesh and has proved an important method for the settlement of industrial disputes and maintaining industrial peace. The functions of conciliation officers have been entrusted to the District Employment Officers in the field within their respective jurisdiction. Besides, the powers of conciliation officers have also been vested with the respective Labour Inspectors in respect of all those establishments in which the employment of workers does not exceed one hundred. The higher authorities intervene in cases where the conciliatory methods fail to bring about any amicable settlement.

MOVEMENT OF WHOLESALE PRICE INDEX

1981-82 = 100



8. PRICE SITUATION

8.1 The price situation has remained under pressure from the beginning of the year despite a satisfactory monsoon and a good crop production. The annual rate of inflation according to the Wholesale Price Index(W.P.I.) during 1989-90 was 8.8 per cent as the index which was 156.9 in the last week of March, 1989 increased to 170.7 in the last week of March, 1990. The corresponding inflation rate in the previous year was 5.7 percent.

8.2 A measure of price stability is essential for sustaining the momentum of growth and ensuring equitable distribution of the benefits. Inflation especially hurts the poor since their incomes are not indexed to prices. It also reduces the willingness to save in financial assets, encourages speculation and generation of black money and distorts investment priorities. The containment of inflation in the current year and the past few years has been largely on supply management with food stocks and imports being used to check the upward pressure on prices of essential commodities.

8.3 The price situation in Himachal Pradesh remained under constant watch and prices were not allowed to increase much through the deft handling of public distribution system. The essential consumer commodities were supplied through a network of 3,139 fair price shops in the Pradesh. A system of regular weekly monitoring of prices of essential commodities has also been initiated by the Pradesh Government so that effective measures could be taken in time to check price rise.

9. CIVIL SUPPLIES AND SOCIAL SERVICES

9.1 Besides foodgrains, controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth, edible oils, pulses, salt, tea, exercise books, stationery, coal/coke and kerosene oil, etc. were supplied to the people through the public distribution system during 1989-90.

Public Distribution System

9.2 The Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation has been established for wholesome procurement of essential commodities from the source and to make available the same through fair price shops for further distribution to the public. The Corporation is handling the distribution of essential commodities like pulses, levy sugar, controlled cloth, edible oils, salt, kerosene oil, wheat atta, rice, tea, stationery, washing and toilet soap, torch cells, footwear, match boxes etc. through a net work of 3,139 fair price shops. During the year 1988-89, the sales turnover of the State Civil Supplies Corporation reached a level of Rs.68.23 crore as against Rs.63.92 crore in 1987-88 registering an increase of 6.7 per cent.

Storage and Preservation

9.3 For storage of Government foodgrains and other essential commodities, 44 godowns with storage capacity of 13,650 tonnes have been constructed at different places of the Pradesh. In addition, 93 godowns with a storage capacity of 5,535 tonnes have been hired from the private parties. The department of Food and Civil Supplies has also rented out 4,920 tonnes of capacity godowns to the Food Corporation of India and Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation. As many as 27 foodgrains godowns are under construction.

Levy Sugar

9.4 To arrange distribution of levy sugar to the card holders, the Government of India generally allots 2,020 tonnes of levy sugar to the Pradesh every month, but sometimes due to festivals etc. the State quota is increased by the Central Government. The levy sugar was made available to the consumers at the scale of 400 grams per head per month from January, to September, 1989 and 500 grams per head during October, 1989, 450 grams during November, 1989 and 400 grams for December, 1989 at the rate of Rs.5.25 per kg. In order to maintain prices of free sale sugar at reasonable level, the Central Government allotted adhoc quantity of imported sugar to the State every month upto April, 1989. This imported sugar was distributed to the card holders at the scale of 5 kg. per ration card per month at the rate of Rs. 5.95 per kg.

Edible Oils

9.5 Edible oils namely rapeseed oil and palm oil were continued to be supplied to the consumers at the rate of Rs. 18.90 per kg.

Controlled Cloth

9.6 During the year 1989-90, the Government of India allotted controlled cloth to the State for further distribution to the public. The Civil Supplies Corporation also distributed other common non-controlled cloth at their fair price shops.

Iodised Salt

9.7 The Government of India allotes annually 29,200 tonnes of iodised salt to the State. An amount of Rs. 4.98 lakh is expected to be spent as transport subsidy for the remote and inaccessible areas during the financial year, 1989-90

Liquified Petroleum Gas

9.8 During the year 1989-90, 32 gas agencies were functioning at Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Hamirpur, Dharamsala, Palampur, Nurpur, Kullu, Keylong, Mandi, Sundernagar, Jogindernagar,, Shimla, Rohru, Rampur, Theog, Nahan, Poanta-Sahib, Solan, Parwanoo, Kasauli, Nalagarh, Una Seraj and Peo. In addition, 12 more gas agencies have been sanctioned and likely to start functioning shortly.

Coal/Coke Coal

9.9 Coal/Coke coal is a non-controlled item under sponsorship programme. The Government of India allotted 300 box wagons of coal, 10 rakes of soft coke, and 12 rakes of slack coal to the State. During the calendar year 1989, 160 box wagons of steam coal and 2 rakes of slack coal were received .

Subsidy being given to Remote/Inaccessible Areas

9.10 During the year 1989-90, the Government continued supplying wheat to the public in far flung/inaccessible and backward areas of the Pradesh at subsidised rates. The Government has supplied wheat @ Rs. 164 per quintal in tribal areas upto 24th June, 1989 and @ Rs. 179 per quintal w.e.f. 25th June, 1989 and at the rate of Rs.204 per quintal in subsidised areas and at the rate of Rs.219 plus sales tax per quintal in other areas. Wheat atta is also being supplied at the rate of Rs.235 per quintal in subsidised and at the rate of Rs.245 per quintal in non-subsidised areas of the Pradesh. Similarly, rice is also being subsidised in Integrated Tribal Development Project

areas which includes Kinnaur, Lahaul-Spiti districts and Pangi and Bharmour areas of Chamba district. The rice (IR 8) is being distributed @ Rs. 219 per quintal and rice S.F. @ Rs. 300 per quintal. Besides this, rice was also distributed in Dodra Kwar and Pandra Bees areas of district Shimla, Sargh and Kushwa areas of district Kullu, Beral and Mangal Panchayat areas of district Solan, and Bara Bhangal areas of district Kangra. For these areas, the entire transport charges exceeding Rs. 10 per quintal are borne by the State Government as subsidy.

Special Facilities to the Students

9.11 Under the 20-Point programme, wheat atta and rice are supplied to the students residing in various educational hostels at concessional rate i.e. less by Rs. 35.00 per quintal against the issue rates fixed by the Government of India for general public. In addition, the students living in hostels are given levy sugar. Besides, exercise books and stationery articles are also supplied to the students at cheaper rates.

9.12 In order to check hoarding and profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Government is vigorously enforcing various Orders/Acts. During the calendar year 1989, as many as 25,350 raids/inspections were carried out, 9 cases were registered, 297 persons were given written warnings and 190 persons were punished under departmental action. An amount of Rs. 71,954 was forfeited as security. Besides 4,642 inspections were carried out, 573 cases were compounded and Rs. 1,33,045 forfeited as composition by the Weights and Measures Wing of Food and Supplies Department.

DRINKING WATER

9.13 Out of the total 16,807 inhabited villages according to 1981 census, 11,887 villages have been declared as problem villages and 4,920 as easy villages. Till 31st March, 1989 as many as 10,460 problem villages and 4,445 easy villages had been covered under safe drinking water which accounted for an impressive achievement of 88.7 per cent. During 1989-90 it is proposed to cover 350 villages (180 problem villages and 30 easy villages under State Sector and 140 problem villages under central sector) with drinking water supply facilities. Out of these 108 problem villages and 18 easy villages under State Sector and 127 problem villages and one easy village under Central Sector were provided with safe drinking water upto December, 1989 bringing the percentage to 90.2 per cent of the total villages.

9.14. Though old drinking water supply schemes are in existence in all the towns of the Pradesh but these drinking

water supply schemes are quite inadequate to cope with the present needs. Keeping in view the urgency of augmentation of water supply schemes in towns, the Govt. has been able to arrange a loan assistance of Rs. 465 lakh from HUDCO for augmentation of water supply schemes in Nahan, Solan and Rampur towns. The loan assistance amounting to Rs. 62.62 lakh has already been received and total loan assistance amounting to Rs. 150 lakh in addition to budget provision of Rs. 166 lakh is expected during 1989-90. During 1989-90 a provision of Rs. 50 lakh was provided for sewerage.

EDUCATION

9.15 Literacy rate (percentage of literates to total population) in Himachal Pradesh according to 1981 census was 42.48 as against 31.96 in 1971. Rural/Urban differentials in literacy were wide in the State. Compared with 67.44 per cent literacy rate for urban areas it was 40.42 per cent for rural areas in 1981. Males/Females differentials in literacy were similarly wide. As against 53.19 per cent literacy rate for males it was 31.46 per cent for females.

Primary Schools

9.16 During 1989-90, 160 primary schools were proposed to be opened. Out of these, 145 primary schools were opened so far. With the opening of all the proposed schools the number of primary schools under the Government control would be raised to 7,433. Under the award of the Eighth Finance Commission 71 new posts of J.B.T. teachers were sanctioned 6 Junior Basic Schools located at Solan, Mandi, Dharamshala, Nahan, Sarkaghat and Chowari continued functioning during the year under report in which 531 trainees are undergoing training. Under the centrally sponsored scheme 'Operation Black Board' a sum of Rs. 84.79 lakh has been provided for the implementation of new education policy. Under this scheme, 22 C.D. Blocks have been covered in the second phase besides 18 C.D. Blocks covered in the first phase. Further during 1989-90 an amount of Rs. 1.40 lakh for the students of tribal areas has been kept for providing free clothing, writing material and text books etc. Further, under the award of the Ninth Finance Commission 50 primary school buildings are proposed to be constructed during 1989-90.

Middle Schools

9.17 During 1989-90, against the target of 70 middle schools proposed to be opened 110 middle schools were opened making the total number of Govt. middle schools 2,033.

Secondary Education

9.18 During 1989-90, against the target of opening of 120 high schools 140 schools were opening. With the opening of these 140 schools the total number of Govt. Administered

secondary schools in the State has risen to 1,020. Further, against the proposed target of opening of 39 senior secondary schools 49 senior secondary schools were opened during 1989-90. Thus the total number of Govt. senior secondary schools in the State has increased to 160.

Higher Education

9.19 There were 25 Govt. colleges including six evening colleges of general education functioning in the State in 1989-90. Besides, constituting State Council for Higher Education, State Council for Vocational Education, a task force for autonomous colleges was also constituted during 1989-90. There are three universities in the State. Upto January, 1990 an amount of Rs. 22.50 lakh has been released as grant-in-aid to the H.P. University out of Rs. 30 lakh earmarked for the development programmes of the university during 1989-90.

Adult Education

9.20 Under this programme, 2,300 adult education centres stand sanctioned in the State.

Integrated Education of Handicapped Children

9.21 Under this scheme, the centres for integrated education of handicapped children continued functioning during 1989-90. This facility is available at Shimla, Nahan, Dharamshala and Chamba.

Vocational Education

9.22 Introduction of vocational education at plus two stage is an integral part of new system of education. During 1989-90, 10 more schools have been covered under this programme wherein vocations like horticulture, accountancy and auditing, repair and maintenance of domestic, electrical appliances, computer technology and electronic technology have been introduced. The total number of schools offering vocational education has gone upto 25 in the State. This scheme was started only in the year 1988-89 in the Pradesh.

Improvement of Science Education

9.23 Under this scheme science kits were supplied to 800 middle schools and laboratory equipments to 556 schools. It has helped a lot in improving the quality of science laboratories in the recipient schools.

Educational Technology

9.24 Under this programme 1,841 radio-cum-cassette players were provided to 1,557 primary and 284 middle

schools. Further, 3,608 more primary and 258 more middle schools likely to be covered under this programme during 1989-90.

Free Hostels

9.25 The Institution of free hostels in remote and backward areas has helped the spread of education and retention of children schools. During 1989-90, 23 such free hostels remained functioning in the State wherein besides free boarding and lodging facilities, a grant of Rs. 100 per annum is given to every hosteler for the purchase of books and stationery etc.

Environmental Orientation to School Education

9.26 Under this Centrally sponsored programme seminars, workshops comprising of book reviews, environmental awareness, curriculum review and work experience activities were held at various places. 300 teachers and 460 students attended these various programmes. The audio video material pertaining to environment is being procured.

9.27 Under mass orientation of school teachers programme 2,984 elementary inservice teachers were given orientation training during 1989-90. Under teachers training programme 6 J.B.T. schools continued functioning during 1989-90. In addition B.Ed training is being imparted in H.P. University and College of Education Dharamshala.

Technical Education

9.28 There are 4 Polytechnics, one Junior Technical School, 17 Industrial Training Institutes including one Institute for physically handicapped, 14 Industrial Training Institutes for women, one Industrial Training School for boys functioning in the Pradesh. The polytechnics conduct 3 years courses in civil, mechanical, electrical, automobile, architecture, engineering, electronics and communications. Diploma Course in Computer has been started at Govt. Polytechnic Hamirpur and Govt. Polytechnic for Women, Kandaghat from January, 1990. The Junior Technical School, Kangra imparts training to students in carpentry, machining, turning, fitting welding, smithy, foundry and pattern making, etc. In I.T.Is., training in engineering and non-engineering trades is imparted. A Regional Engineering College at Hamirpur is functioning since 1986-87.

HEALTH AND FAMILY WELFARE

9.29 In Himachal Pradesh services such as improvement of environmental sanitation, control of communicable diseases, health, education, family welfare, maternal and child health care were provided through a net work of 39 civil hospitals, 18 community health centres, 17 rural

hospitals, (Up-graded P.H.Cs), 193 primary health centres, 191 civil dispensaries, 1,849 sub-centres and 46 maternity and child health centres. Brief description of various health and family welfare activities carried out in the State during 1989-90 are as given below:-

(i) Rural health scheme:- Under this scheme, 3,667 Health Guides are engaged for providing primary health care to the people in the State. They are also significantly contributing towards malaria surveillance, family welfare and immunisation activities.

(ii) National malaria eradication programme:- Under this programme, 3,177 fever treatment depots, 4,917 drug distribution centres, 138 malaria clinics and 680 sections are functioning in the State. During 1989, 7,16,994 blood slides were collected and 7,02,247 were examined out of which 8,591 slides were found positive upto December, 1989. There is 15.84 per cent decrease in positive cases and 60.97 per cent decrease in PF cases upto December, 1989 as compared to the corresponding period of last year.

(iii) Leprosy control programme:- This programme is being implemented in the State through 6 leprosy hospitals, 76 periphery clinics, and 15 survey-cum-education treatment centres having a provision of 232 beds. In addition, 20 bedded hospitalization ward attached to Indira Gandhi Medical College, Shimla and 2 voluntary organisation hospitals at Subathu and Palampur are functioning for the purpose. Under this programme, 152 new cases were detected and 265 cases were deleted upto January, 1990 against the target of 200 cases for the year 1989-90.

(iv) S.T.D. control programme:- Under this programme 71 S.T.,D. institutions most of which are located in the tribal and rural areas are functioning in the Pradesh. The zero positivity rate has declined to 0.76 per cent upto December, 1989 as against 33.04 per cent in 1953. Upto December 1989, 44,642 S.T.D. were done out of which 516 cases were found positive.

(v) National T.B. control programme:- Under this programme, 2 T.B. hospitals, 11 district T.B. clinics, 6 T.B. Sub-clinics and 1 T.B.-cum-domiciliary treatment centre having a provision of 713 beds were functioning in the State. Upto January, 1990, 13,683 new cases were detected against the target of 15,000 cases and 43,283 sputums were examined against the target of 46,200 for 1989-90.

(vi) B.C.G. programme:- Under this programme, against the target of vaccination of 1,09,100 for 1989-90 1,02,182 vaccinations were done upto January, 1990.

(vii) National programme for control of blindness:- Under this programme, 6,018 cataract operations were performed

upto January,1990 against the target of 7,000 for 1989-90.

(viii)National family welfare programme:-Under this programme, 23,499 sterilisations and 25,728 I.U.D.insertions were done upto January,1990 against the target of 30,000 and 43,000 respectively. Besides, 59,543 C.C. users and 9,510 O.P. users were registered upto January,1990 against the target of 69,000 and 9,500 respectively. The Government has announced wide ranging incentives to the acceptors of small family norms and the institutions in order to popularise the programme among the people of the Pradesh. During the current year, the following additional incentives were provided to the acceptors for the promotion of small family norm:-

- (a) The parents who adopt sterilisation after one living female child will get cash award of Rs. 6,000
- (b) The parents who adopt sterilisation after two female children will get cash incentives of Rs.5,000
- (c) Cash award of Rs.500 for sterilisation after one living male child.
- (d) Cash incentive of Rs.300 for sterilisation acceptor after two living children.

(ix)Maternal Child Health-cum-Expanded Programme on Immunisation:- Under this programme, 10 districts have been covered under universal immunisation scheme. In these districts 100 per cent pregnant women with T.T. and 85 per cent infants with D.P.T., Polio, B.C.G. and measles vaccinations are covered. The progress made upto December,1989 and targets for 1989-90 under this programme is as given below:-

Item	Target (1989-90)	Achievement (upto Dec. 1989)
1.	2.	3.
1. T.T.(PW)	1,42,000	66,576
2. D.P.T.	1,09,100	80,046
3. Polio	1,09,100	77,872
4. B.C.G.	1,09,100	92,939
5. Measles	1,09,100	72,150
6. D.T.(5 years)	1,07,000	99,925
7. T.T.(10 years)	1,03,700	89,449
8. T.T.(16 years)	98,900	53,549

1.	2.	3.
9. Prophylaxis against nutritional aneamia among mothers and children		
(a)Mothers	2,08,000	1,46,717
(b)Children	3,00,000	1,59,102
10. Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency:		
Children	3,00,000	2,09,278

(x)School health programme:-Under this programme medical check up and immunization of the students with T.T. is undertaken and students suffering from any disease are referred to a nearby medical institution for treatment. During 1989,1,08,762 new cases were examined and 32,968 cases were found defective and referred to the various medical institutions for treatment.

(xi)Medical college:-The Indira Gandhi Medical College, Shimla had an intake capacity of 65 students during the year 1989-90. Indira Gandhi Hospital and Kamla Nehru Hospital, Shimla are associated with it for teaching and training purposes. With the establishment of this college, specialised services in medicines, surgery, OBG, sin, V.D. dentistry, ENT, radiology, orthopaedic and ophthalmology etc. are available to the general public.

Ayurveda

9.30 In Himachal Pradesh treatment by Indian Systems of Medicine and homeopathy are providing services to the general public through 2 regional hospitals, 2 circle hospitals, 1 tribal hospital, 7 district hospitals, one nautre cure unit, 522 Ayurvedic dispensaries, 3 Unani dispensaries and 2 homeopathic dispensaries. During 1989, 21,113 indoor and 22,86,990 outdoor patients were treated under this system. Besides, 2 Government ayurvedic pharmacies continued manufacturing classical medicines for supplying to the Government Ayurvedic Hospitals and dispensaries. In addition, a research institute alongwith a clinical unit and an Ayurvedic circle hospital is functioning at Jogindernagar. A government Ayurvedic college with an intake capacity of 20 students per year for B.A.M.S. degree is functioning at Paprola for providing ayurvedic education in the Pradesh. The institutions of the department of Indian System of Medicine remained associated with National Health Programme like Malaria-eradication, family welfare and immunisation etc. during the year under review.

Nutrition Programme

9.31 The special nutrition programme being implemented by the Social and Women's Welfare Department aims at providing supplementary nutritive diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to poor sections of society. This programme is expected to benefit 1,35,951 children and 32,709 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet is 50 paise per child per day and 80 paise per mother per day. Besides, upto the year 1988-89, 23 I.C.D.S. projects had been sanctioned for the Pradesh by the Govt. of India. During 1989-90, 9 more projects were sanctioned. The objectives of this scheme is to improve the nutrition and health status of children in the age group of 0-6 years, to lay the foundation for proper psychological, physical and social development of the children, to reduce the incidence of mortality to morbid mal-nutritional and school dropout etc. In addition, Rural Development Department is also implementing the scheme of applied nutrition programme. This programme is basically an educational programme aiming at bringing changes in the food habits of the rural folk. The programme mainly comprises the setting up of poultry units, raising of kitchen gardens so that the children of weaker section of the society and expectant mothers may have nutritious food. Under the Integrated Child Development Services Programme, nutritious supplementary food is given to children below 6 years of age and expectant and nursing mothers. Upto 1987-88, 21 C.D projects were in operation in the Pradesh and during 1988-89, 2 more such projects are proposed to be started.

9.32 The Welfare Department of the State is engaged in socio-economic and educational uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and infirm, handicapped, orphans, children, women, widows, and destitutes etc. Besides, the department is implementing a special nutrition programme for the expectant/nursing mothers and children in age group 0-6 years to supplement their nutritional diet. The schemes for the welfare of women, children, old and infirms are covered under the head 'Social Welfare Head and those for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are being implemented under the head 'Welfare of Backward Classes'.

Social Welfare

9.33 Social Welfare programme aims at the welfare of weaker sections of society like destitutes, infirms, physically handicapped and mentally retarded persons. To protect them from the social injustice and all other forms of exploitations, the government is running various institutions such as Bal and Balika Ashrams, Destitute homes, State homes. The following schemes are being implemented under social welfare programme:-

Old Age and Widow Pension

9.34 Under this scheme pension is provided to those persons who are 60 years old or above and have none to support them and their annual income does not exceed Rs. 2,000. The old age pension is given @ Rs. 60/- per month. In the revised pension rules the old age pension is given to those persons having children also provided their monthly income does not exceed Rs 1,000. There is no age limit in the case of handicapped persons who are allowed this pension in the shape of disability relief allowance. Similarly there is no age limit for the grant of this pension to widows. The number of such pensioners in the Pradesh is 87,768 during the year 1989-90. All the lepers are being given rehabilitation allowance @ Rs. 60 per month with effect from 1st July, 1988.

Child Welfare

9.35 With a view to look after the orphans, the semi orphans and destitute children etc., bal/balika ashrams are being run by the Govt. and voluntary organisations at Kalpa, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi (Shimla), Kullu and Lahal (Chamba). In these ashrams the inmates are provided free boarding and lodging facilities and education upto matric standard. One children home which was established under Juvenile Act, 1986 at Sundernagar for destitute and neglected children remained functioning during 1989-90. The children are provided free boarding and lodging and educational facilities. Besides, a special school-cum-observation home has been functioning at Haroli in Una district where delinquent Juvenile upto the age of 18 years are kept.

Women Welfare

9.36 Various schemes are being implemented for the welfare of women in the Pradesh. The major schemes being implemented in this regard are as under:-

(i) State home:- For destitute women and way-ward girls as many as 6 State homes at Chamba, Mandi, Shimla, Kangra, Kalpa and Bilaspur are being run by the Govt. Besides, one State home at Nahan is being run by the I.C.C.W. The inmates of these homes are provided free boarding and lodging facilities and training in craft, tailoring and embroidery to enable them to earn their livelihood when they leave these homes. For the rehabilitation of such women financial assistance upto Rs. 3,000 per women is also provided.

(ii) Working Women hostels:- With a view to provide residential accommodation to the working women in towns and urban and rural townships the department

constructed 12 working women hostels. These hostels were constructed by the voluntary organisations with the help of grant-in-aid @ 75 per cent from the Govt of India.

(iii) Marriage grant to destitute girls:- In suitable cases, marriage grant upto Rs. 2,500 is being given to the parents/guardians of the girls or to the girl herself provided their annual income does not exceed Rs. 7,500 under this programme. During 1989-90 a provision of Rs. 1.25 lakh has been kept for this purpose and about 50 girls are likely to be benefited.

(iv) Assistance for self-employment to women:- Under this programme assistance is given upto Rs. 1,000 to those women whose annual income does not exceed Rs 6,000 and possess knowledge of any particular trade or have got training/diploma in that particular trade. During 1989-90 Rs. 1.00 lakh has been provided for the purpose and about 100 women are likely to be assisted.

(v) Women development Corporation:- With a view to provide financial assistance to women for various trade purposes, a women development corporation has been set up in the Pradesh. During 1989-90, a sum of Rs. 1.00 lakh has been provided to the Corporation.

Welfare of Handicapped

9.37 Under this programme, Rs. 0.47 lakh has been provided for the welfare of handicapped under the scheme artificial limbs to handicapped. Besides, scholarships are also given to the handicapped persons. Further, vocational training is imparted to the handicapped persons with a view to train them in various trades to enable them to earn their livelihood. Marriage grant of Rs. 2,500 is given to those who marry handicapped girls.

Welfare of Backward classes

9.38 Under this programme, the following schemes were implemented during 1989-90:-

(i) Technical scholarships:- Under this scheme, trainees of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes getting training in I.T.Is., R.I.T.Is. and cluster centres etc. are given technical scholarships @ Rs. 100 per month per trainee. During 1989-90 a sum of Rs. 10.80 lakh has been provided in the budget and 900 trainees will be benefited.

(ii) Follow-up programme:- Under this scheme tools and equipments are given to the trainees who have qualified in various trades from I.T.Is or any other institution. Trained artisans are also covered under this scheme. About 1,640 persons will be benefited with a provision of Rs. 8.20 lakh during 1989-90.

(iii) Award for inter-caste marriage:- With a view to remove the practice of untouchability, an award of Rs. 6,000 per couple is given where the girl belongs to swarn caste and Rs. 5,000 per couple where the girl belongs to scheduled caste. During 1989-90 70 couples are likely to be benefited.

(iv) Housing subsidy:- Under this scheme, the members of scheduled castes and scheduled tribes are given subsidy upto Rs. 5,000 per family in snowbound areas and upto Rs. 4,000 per family in other areas for house construction purposes. Further, 50 per cent of the aforesaid limit is granted to the members of this caste for the repair of houses. During 1989-90 an amount of Rs. 38.10 lakh has been provided and about 950 families are likely to be benefited.

(v) Drinking Water Supply Scheme:- Under this scheme, small drinking water supply schemes were undertaken for both swarn and scheduled castes in the villages with concentration of scheduled castes and not covered by the schemes of Public Health department. During 1989-90, a sum of Rs. 3.12 lakh had been allocated and about 10 schemes are likely to be executed.

(vi) Proficiency in typing and shorthand:- Under this scheme, ex-trainees of scheduled castes and scheduled tribes are posted in various offices to enable them to maintain their proficiency in shorthand and typing. The list of such trainees is obtained from the employment exchanges and then some of these trainees are posted in different offices. These trainees are given stipend @ Rs. 200 per month for a period of one year or till they get suitable job. 30 trainees are likely to be benefited under this scheme.

(vii) Compensation to victims of atrocities on scheduled castes families:- Under this scheme monetary relief is granted to those scheduled castes families who become victims of atrocities committed by the members of other families due to cast consideration. During 1989-90, a provision of Rs. 1.00 lakh has been made for this purpose.

(viii) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation:- For the economic

development of scheduled castes and scheduled tribes in the Pradesh a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation has been set up. This corporation undertakes various loaning programmes in collaboration with banks. During 1989-90 an amount of Rs. 32 lakh has been earmarked as State share.

(ix) Environment/improvement of Harijan basties:- Under this scheme financial assistance is given to the panchayats for providing pucca streets/drains etc. with a view to improving the living and environment conditions of scheduled caste basties. During 1989-90 a provision of Rs. 5 lakh has been made and 50 villages are likely to be covered.

Tribal and Scheduled Castes Development

9.39 An indepth review of the tribal situation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled tribes by and large continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of tribal Sub-Plan was evolved for accelerated socio-economic development of tribal areas beginning 1974-75. The Tribal Sub-Plan strategy comprised identification of development of blocks with 50 per cent or more scheduled tribes population earmarking funds for the Tribal Sub-Plan from the Central and State Plan sectoral outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of Special Central Assistance and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

9.40 The tribal areas in the State are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti, and Pangi and Bharmour tehsils of Chamba district. In the 6th Plan Modified Area Development Approach(MADA) was devised to cover the dispersed scheduled tribes population under sub plan treatment and two pockets of tribal concentration, viz. Chamba and Bhattiyat were identified. In the sixth plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary oriented development schemes within the general programmes. Together with tribal areas, 63 percent of the scheduled tribes population was covered under Sub-Plan treatment. For the 7th Plan, the basic premise continues to hold good. The year 1985-86 marked the beginning of the 7th Plan. The State Plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.62 percent for the 6th plan and that targetted for the 7th Plan is 9.0 percent and the actual achievement has been 8.9 per cent. During 1989-90, in the Annual State Plan size of Rs. 300.00 crore, the State Plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 27.13 crore and Special Central Assistance Supplementation was Rs.3.27 crore. The Special Central Assistance received for the tribal pockets was Rs. 0.09 crore. The highest priority was accorded to the Economic Services sector. The scheduled tribes outside the tribal areas and tribal pockets were brought under the sub-plan treatment for the first time in

1987-88 when special central assistance benefit was extended to them.

Scheduled Castes Development

9.41 According to the 1981 census, 10.54 lakh were scheduled castes in the Pradesh. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly scattered, individual/family/habitat oriented schemes/programmes have been devised for the scheduled castes (i) to improve resource availability with them in order to improve productivity, (ii) to make these professions less disgraceful and (iii) to ensure the spread of education so that they could attain both vertical and horizontal mobility in employment and general improvement in their living environment and other socio-economic development. During the 6th Plan, against the all-India target of 9.53 percent State Plan investment under the Special Component Plan for Scheduled Castes, the actual achievement has been of the order of 9.94 per cent. These efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs (now Welfare) by way of Special Central Assistance and against the approved Special Central Assistance of Rs. 5.55 crore, the actual release was Rs. 6.34 crore during the Sixth Plan period. For the Seventh Plan period State Plan earmarking has been reckoned at 11 percent of the overall State Plan size irrespective of its 'divisible' and indivisible, components and the actual achievement has been 10.9 percent. Special Central Assistance supplementation for the Seventh Plan period has been approved at Rs. 8.76 crore. For 1989-90, the Special Component Plan size was Rs. 35.23 crore (State Plan Rs. 33.65 crore and Special Central Assistance Rs. 1.58 crore)

9.42 District level Implementation and Review Committees are constituted in each district (except Kinnaur and Lahaul Spiti) with the Deputy Commissioner as its chairman to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level. At the State level, a high Powered Co-ordination and Review Committee is constituted to oversee the implementation of the Special Component Plan as also the tribal Sub-Plan. A sub-committee to the main committee already stands constituted. This sub-committee undertakes field visits and spot-inspections to verify the work being done and provides feed back to the main committee. In order to have an objective assessment evaluation studies have been got conducted from the Himachal Pradesh University, Shimla and the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur for taking corrective measures wherever required.

9.43 Under point 11 of the 20 point programme, 1986 the target of assisting economically 20,824 scheduled castes and scheduled tribes families during 1989-90 was fully achieved.

10. TRADE AND COMMERCE

Commercial Banking

10.1 There was an increase of 7.8 percent in the number of banking offices of all scheduled commercial banks during the year 1989 as their number was 638 and 688 as on 31st December, 1988 and 31st December, 1989 respectively. Kangra district accounted for 138 banks (20.0 per cent) followed by Shimla district 111 banks (16.1 per cent) in the State. The programme of expansion of branches in the rural and semi-urban areas was continued in 1989 and the number of branches in the rural areas stood at 609 which accounted for 89 per cent of the total banking offices in the State. When related to population the average population per bank office for the State has decreased to 7,189 in December, 1989 from 7,627 in December, 1988.

10.2 Aggregate deposits of the scheduled commercial banks in the Pradesh increased from Rs. 1,005.13 crore on last Friday of December, 1988 to Rs. 1,139.79 crore on last Friday of December, 1989 or by about 13.4 per cent. Gross bank credits increased from Rs. 343.90 crore on last Friday of December, 1988 to Rs. 398.25 crore on last Friday of December, 1989 or by about 15.8 per cent. The credit deposit ratio for the state was 34.9 per cent in December, 1989 as against 34.2 per cent in December, 1988, though 89 percent of the bank offices in the state were located in rural areas. They accounted for 69.1 per cent credits and 69.2 per cent deposits. Kangra district accounted for 24.1 per cent of deposits and 14.2 per cent of credits and Shimla district accounted for 23.8 per cent of deposits and 24.0 per cent of credits of the scheduled banks in the State in December, 1989.

10.3 The outstanding credit of all scheduled commercial banks stood at a 336.63 crore at the end of June, 1986 which is higher by 29.9 per cent than June, 1985 which was Rs. 259.13 crore. Latest data on outstanding credits by scheduled commercial banks according to sectors is available for the period ending June, 1985 and June, 1986. Most sectors recorded sizeable increase in outstanding credit between June, 1985 and June, 1986. Table below gives the data on outstanding credit to important sectors by scheduled commercial banks on last Friday of June, 1985 and June, 1986:-

**Distribution of Outstanding credit to Important Sectors
by Scheduled Commercial banks in Himachal Pradesh**

(Rs., in lakh)

Sector	Bank credit as on last Friday of				Percentage increase(+) or decrease(-) in 1986 over 1985
	June 1985		June 1986		
	Out stand- ings	Percen- tage to total	Out stand- ings	Percen- tage to total	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Agriculture and allied activities	42.40	16.36	56.59	16.81	33.47
2. Mining and Quarrying	2.06	0.80	4.24	1.26	105.82
3. Manufacturing Industry	100.41	38.75	127.99	38.02	27.47
4. Electricity	6.13	2.37	0.53	0.16 (-)	1.35
5. Construction	1.56	0.60	0.50	0.15 (-)	67.95
6. Transport Operator	31.72	12.24	39.92	11.86	25.85
7. Personal and professional services	12.01	4.63	14.43	4.29	20.15
8. Personal Loans	7.63	2.94	15.78	4.69	106.82
9. Trade	37.06	14.31	56.27	16.71	51.83
10. Others	18.15	7.00	20.38	6.05	12.29
Total Bank Credits	259.13	100.00	336.63	100.00	29.91
Of which Small Scale Industry	72.40	27.94	64.72	19.23 (-)	10.61

Co-operative Banks

10.4 The H.P. State Co-operative Bank also gives banking facilities to the public in the State. Branch offices including head office were 70 in June, 1989. The estimated population per bank office (commercial and co-operative banks together) was 6,860 in June, 1989. The

deposits of the Cooperative bank were Rs. 11,129.00 lakhs in June, 1989 as against Rs. 6,986 lakhs in June, 1988 showing an increase of 59.3 per cent.

11. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Roads

11.1 Economic and social development of Himachal Pradesh depends mostly on efficient system of communications. Roads are the life line of the people of the State as there are practically no other means of transport and communications. Therefore, very high priority has been accorded to the programmes of road construction. At the end of March, 1989, the motorable road length in the Pradesh stood at 16,568 Km. giving the road density of 29.76 per 100 sq. km. of area. For the year 1989-90, an outlay of Rs. 34.25 crore including Rs 4.80 crore under Special Component plan and Rs 3.90 crore for Tribal Sub Plan under State sector was approved. The target fixed for 1989-90 and achievements made upto December 1989 has been given under:-

Item	Unit	Target for 1989-90	Achiev- ment upto Dec., 1989
1.	2.	3.	4.
1.Motorable ..	Km.	200	140
2.Cross-drainage ..	-do-	110	61
3.Metalling and tarring ..	-do-	90	64
4.Bridges ..	No	18	10
5.Jeepable ..	Km.	12	8

National Highways

11.2 A sum of Rs. 1100.00 lakh was allocated by the Ministry of Transport, Government of India for the construction and improvement of national highways comprising a total length of 527 Km. falling in Himachal Pradesh out of which 384.33 lakh were spent upto December, 1989. The works under this scheme including widening of National highway 22 from Shimla to Wangtu, construction of Barog by-pass, initiation of works for upgradation of Pathankot Chakki-Mandi road which has recently been designated as National Highway 20. In addition, an amount of Rs. 637.78 lakh has also been made available by the Govt. of India for normal maintenance of National highways and restoration of flood/rain damages. The entire amounts are likely to be utilised in full by the end of 1989-90.

Strategic Roads

11.3 The Ministry of Transport, Government of India allocated a sum of Rs. 170.00 lakh for the extension of Mukerain-Talwara-Nurpur road to Chakki-Dhar under the

strategic roads programme during 1989-90. Upto December, 1989 a sum of Rs.120.00 lakh was utilised and the remaining amount is likely to be spent by the end of year 1989-90. Under this scheme metalling and tarring was done on 5.5 kms. and 3-bridges were completed upto December, 1989.

Buildings

11.4. The Public Works department executes the building construction programme of all the departments both under residential and non-residential sectors. The buildings which have been completed or are under construction include (i) Raj Bhawan, (ii) Bus stand, (iii) Police headquarters, (iv) Civil Secretariat, (v) Armsdale building, (vi) Udyog Bhawan, (vii) Youth Complex, (viii) Administrative block of Medical College, (ix) Circuit house at Kullu, (x) Regional hospital, Dharamshala, (xi) hospital complex, Nurpur, and Mini Secretariat at Mandi etc.. Besides, substantial progress has been achieved on the construction of works like barracks for 405 HAP men at Dharamshala and Pandoh and works of other departments spread throughout the State under the award of Ninth Finance Commission. In addition, the department constructed 61 residential and 50 non-residential units of other departments like Health, Animal Husbandry, Food and supplies, Education and Fisheries etc..

Railways

11.5 The length of railway routes in the State remained at 209 km. as on 31st March, 1989. There are only two narrow gauge railway lines connecting Shimla with Kalka (96 km.) and Jogindernagar with Pathnakot (113 km.). There is a proposal for the construction of Nangal-Talwara railway line.

Civil Aviation

11.6 Prior to the Seventh plan there was only one airstrip in Himachal Pradesh at Bhuntar in Kullu valley. During Seventh plan period two airports namely Shimla at Jubbar-Hati and Kangra at Gaggal were taken in hand. The Shimla airport was made operational in May, 1987 and Kangra airport was inaugurated in November, 1989. With the construction of the airports, Kangra and Shimla valleys have been connected by air with the rest of the country. Presently the helipads are available at Dodra Kwar, Kaza, Keylong, Killar, Rohru, Baikuffar and the construction works at Bharmaur, Rampur Chamba etc. are in progress. The work of extension of runway of Shimla airport at Jubbar-hati has been completed and it might be possible to land air crafts of higher capacity at this airport.

Road Transport

11.7 In the absence of any other mechanised mode of transport such as railways, air and waterways which are

almost negligible in the Pradesh, the Himachal Pradesh Road Transport Corporation (H.R.T.C.) was established with a view to provide coordinated, organised, efficient and effective road transport services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Territories. The passenger transport in the State is mainly nationalised especially in areas constituting old Himachal.

11.8 There was a fleet strength of 1,379 buses with the H.R.T.C. on 31st March, 1989 as compared to 1,334 buses in March, 1988. As on 31st December, 1989, the fleet strength with the H.R.T.C. was 1,515 buses which were operating on 1,218 routes.

Kilometrage Covered

11.9 During 1989-90, upto September, 1989 2.57 lakh operational kilometres per day were covered by the Corporation buses. As compared to 2.33 lakh operational kilometres per day during 1988-89.

11.10 There are 20 operating units/sub-units and three Divisional Offices functioning in the Pradesh. In addition two workshops at Tara Devi and Mandi for the repairs and maintenance of buses are functioning. Besides, a unique modern workshop is functioning at Jessore in Kangra District.

12. CO-OPERATIVE MOVEMENT

12.1 The number of Cooperative societies in the State has increased by 3.4 per cent to 3,841 during 1988-89 from 3,716 in 1987-88 and their paid-up share capital by 17.8 per cent to Rs. 3,671.86 lakh in 1988-89 from Rs. 3,116.05 lakh in 1987-88. The deposits of these societies increased to Rs. 21,688.48 lakh from Rs. 17,371.09 lakh in 1987-88 i.e. by 24.8 per cent. The short-term and medium-term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits) during the year 1988-89 increased to Rs. 4,380.93 lakh from Rs. 3,678.77 lakh in 1987-88 thereby showing an increase of 19.1 per cent whereas long-term loans advanced increased to Rs. 354.68 lakh in 1988-89 from Rs. 312.67 lakh in 1987-88 recording an increase of 13.4 per cent. The increase in the working capital in 1988-89 over the earlier year i.e. 1987-88 was 30.3 per cent. The table below gives the progress of the co-operative movement in the Pradesh for the last two years:-

Progress of Co-operative movement

(Rs. in lakh)

Sr. No.	Item	1987-88	1988-89	Percentage increase over 1987-88
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of Societies	3,716	3,841	3.4
2.	Membership (in lakh)	9.20	9.56	3.9
3.	Share capital	3,116.05	3,671.86	17.8
4.	Deposits	17,371.09	21,688.48	24.8
5.	Total short term and medium term loans advanced (agricultural and non-agricultural credits)	3,678.77	4,380.93	19.1
6.	Long term loans advanced	312.67	354.68	13.4
7.	Value of agricultural produce marketed	1,482.95	2,026.27	36.6
8.	Retail distribution of:			
	(i) Consumer articles	6,499.54	7,025.42	8.09
	(ii) Agricultural inputs	1,025.38	1,065.54	3.9
9.	Coverage of rural population (percent)	95	97	2

A brief account of the important programmes of the co-operative societies is given below:-

Co-operative Credit

12.2 Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Central Land Development Bank Ltd. Shimla and the Primary Land Development Bank Ltd., Dharamshala

These banks advance long term loans to the farmers for various agriculture purposes.

Marketing

12.3 There exists auction system of co-operatives for marketing surpluses of cash crops like seed potato, tea, ginger, apple, etc. in the Pradesh.

Distribution of Consumer Goods

12.4 Primary co-operative societies function as an effective agency for the distribution of essential commodities of mass consumption in the Pradesh including the remote and tribal areas of the Pradesh.

Supply of Inputs

12.5 The co-operative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs viz. fertilizers, improved seeds, etc. to the farmers.

13. LOCAL BODIES

13.1 In a country like India which is wedded to the concept of democratic way of life, the Panchayats at the grass-root level have to play a vital role in shaping the rural economy. Strengthening of these grass-root level democratic institutions is, therefore, very essential. Maximum utilisation of human and material resources in rural areas is possible only if there is fuller and active involvement of Panchayati Raj Institutions in the process of both formulation and implementation of plans.

13.2 In Himachal Pradesh three tier system of Panchayati Raj has been established under Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968. Under this system, Gram Panchayats at the village level, Panchayat Samitis at Block level and Zila Parishads at district level have been established. At present there are 2,597 Gram Panchayats, 69 Panchayat Samitis and 12 Zila Parishads in the Pradesh.

13.3 During 1989-90, schemes like (i) construction of panchayat ghars, (ii) assistance to panchayat libraries, (iii) creation of remunerative assets, (iv) grant for municipal functions to panchayats in tribal and non-tribal areas, (v) panchayat prize competitions schemes, (vi) construction of panchayat training institute buildings, (vii) creation of planning and monitoring cell, and (viii) construction of panchayat samiti/zila parishad buildings and (ix) provision of pay of part time Volunteer Panchayat Sahayaks-cum-panchayat librarians were implemented.

Municipal Bodies

13.4 At present there are 50 urban local bodies in the Pradesh including municipal corporation, Shimla. Due to limited sources of income of these urban local bodies, the Government has been sanctioning grant-in-aid every year to enable them to provide civic amenities to the public. During 1989-90, a sum of Rs. 193.63 lakh (Rs. 77.77 lakh under plan and Rs. 115.86 lakh under non-plan) has been provided in the budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these urban local bodies for maintenance and upkeep of developmental works in the urban areas.

13.5 Due to abolition of octroi from April, 1982, the Government has been giving grant-in-aid to the urban local bodies which have been deprived of their major source of income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of local bodies. During 1989-90, an amount of Rs. 239.53 lakh has been provided under non-plan as grant-in-aid to the urban local bodies. During 1989-90, an amount of Rs. 43.05 lakh has been spent upto 31st December, 1989 for the conversion of dry latrines into hand flush system. Under this scheme 50 per cent share is given by the Central Government as subsidy and 50 per cent share

is given by the State Government as loan which is recovered from the beneficiaries in instalments. During 1988-89, 3,178 dry latrines have been converted into hand flush system upto December, 1989. Urban basic service programme for providing better civic facilities and to improve the lot of the poor urban people was started in 5 towns of Una district viz. Una, Gagret, Santokhgarh, Daulatpur and Mehatpur. Under this scheme an amount of Rs. 3.58 lakh has been spent upto 31st December, 1989.

13.6 During 1989-90, the details of amount allocated as grant-in-aid to the urban local bodies for carrying out developmental activities are as per table given below:-

(Rs. in lakh)

Head of Account	Plan	Non-Plan	Total
1.	2.	3.	4.
3054-Roads and Bridges	19.01	50.00	69.01
2215-Water Supply	21.00	15.90	36.90
2217-Urban Development	37.76	49.96	87.72
Total	77.77	115.86	193.63

14. SPECIAL STUDIES

14.1 The Second Economic Census was carried out through out the country by the Govt. of India, in collaboration with the Directorate of Economics and Statistics of the States to provide information on both agricultural and non-agricultural sectors of the economy. Enterprises engaged in crop production and plantation were excluded from its purview. The field work of this census was synchronised with the houselisting operation of the 1981 population census as it was considered economical and expedient to organise this census with population census in the overall interest of the economy and operational convenience. An enterprise for the purpose of economic census was defined as the one engaged in production and/or distribution of goods or services not for the sole purpose of own consumption. The items of information collected in Second Economic Census included location of enterprise, nature of operation, type of ownership, social group of owner, power/fuel used for carrying on the activity and the total no. of workers including hired workers usually working in the enterprise.

Operations

14.2 The Registrar General and Census Commissioner of India, and the State Directors of Census Operations were responsible for the organisation and coordination of the field work. The overall responsibility for technical guidance and tabulation of Economic Census data rested with the Central Statistical Organisation, Govt. of India, in collaboration with the Directorates of Economics and Statistics of the States. A common intensive training programme was carried out for houselisting operations of the population census and covering enterprise list of Economic Census at the State, Distt. and Sub-Divisional levels jointly by the Directors of Census Operations and Directors of State Statistical Bureaus.

Results at a Glance

14.3 The Second Economic Census has revealed that there were about 1.39 lakh enterprises in the Pradesh engaged in different economic activities (other than crop production and plantation) providing employment to 3.44 lakh persons usually working in them, of which 3.29 lakh (95.5 per cent) persons were engaged in non-agricultural activities and the rest 0.15 lakh (4.5 per cent) were in agricultural activities, other than crop production and plantation. Of the total enterprises 1.15 lakh (82.3 per cent) were located in rural areas and the remaining 0.24 lakh (17.7 per cent) were in urban areas. There were 1.01 lakh (72.8 per cent) own account enterprises i.e. the enterprises owned and operated by household workers only. The remaining 0.38 lakh constituting 27.2 per cent were establishments i.e. enterprises which employed at least one hired worker on a

regular basis.

14.4 It was also revealed that out of 1.15 lakh enterprises located in rural areas 1.09 lakh (94.4 per cent) belonged to non-agricultural sector and the remaining 0.06 lakh (5.6 per cent) to agricultural sector. Out of 1.09 lakh non-agricultural enterprises in the rural sector 0.81 lakh (74.5 per cent) were own account enterprises and the rest 0.28 lakh (25.5 per cent) were establishments which employed one or more workers.

14.5 In urban areas 98.7 per cent of the total enterprises were in non-agricultural sector and the remaining 1.3 per cent were in agricultural sector. Among 0.24 lakh non-agricultural enterprises 0.15 lakh (62 per cent) were own account enterprises and the rest 0.09 lakh (38 per cent) were establishments, and among agricultural enterprises, 69 per cent were own account enterprises and 31 per cent were establishments.

14.6 The average number of workers per enterprise worked out to be 2.47 workers per enterprise. The enterprises located in rural areas provided employment to 68.5 per cent of the total workers while at the national level this percentage was 45 per cent only. Similarly, in urban areas of the state, the percentage of workers engaged in agricultural and non-agricultural enterprises was 31.5 as compared to 55 per cent at the all India level.

14.7 Hired labour constituted a sizeable percentage of the total number of persons working in the enterprises, they numbered about 2.04 lakhs (59.2 per cent) of the total employment. Out of these 2.04 lakh hired workers 1.22 lakhs were employed in rural enterprises and the remaining 82 thousands in the urban enterprises. Only 2 per cent of the total hired labour was employed in the agricultural sector.

Activity-wise distribution of non-agricultural enterprises

14.8 The activity-wise distribution of data relating to non-agricultural enterprises revealed that manufacturing and repair services, wholesale and retail trade and community social and personal services were the three most important activity groups where the concentration of enterprises was highest both in rural and urban sectors i.e. 46 per cent in manufacturing and repair services, 23 per cent in wholesale and retail trade, and 19 per cent in community, social and personal services. The share of these 3 activity groups among the 12, was 88 per cent as against the all-India figure of 89 per cent. The groups of Mining and quarrying, electricity, gas and water, construction, hotels and restaurants, transport, storage and ware-housing, communications, financing insurance, real estate and business services and other activities was only 12 per cent of the total non-agricultural enterprises/establishments.

14.9 In rural areas the highest percentage of enterprises was that of manufacturing and repair services (50 per cent), whereas in urban areas the highest percentage of enterprises was in the major activity group wholesale and retail trade with 38 per cent. At all India level also the highest percentages in rural and urban areas were of manufacturing and repair services 39 percent and wholesale and retail trade 42 per cent.

14.10 Location-wise number of enterprises with their selected characteristics is given in the following table:-

Table-1

Selected Characteristics of enterprises
in Himachal Pradesh

Item	Rural		Urban		Total
	Number	Percentage	Number	Percentage	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
All enterprises:	115426	82.84	23916	17.16	139342
Enterprises Operating					
(i) Seasonally	16458 (14.26)	96.45	606 (2.53)	3.55	17064 (12.25)
(ii) Without premises	12651 (10.97)	88.67	1616 (6.76)	11.33	14267 (10.24)
(iii) With power/fuel	23386 (20.26)	81.38	5351 (22.37)	18.62	28737 (20.62)
(iv) Under scheduled tribe ownership	4267 (3.70)	93.73	283 (1.18)	6.22	4550 (3.27)
(v) Under scheduled caste ownership	18836 (17.19)	91.37	1874 (7.83)	8.63	21710 (15.58)

Note: Figures in brackets give percentage to all enterprises in the respective areas.

14.11 Out of a total 1.39 lakh enterprises in rural and urban areas of the State, the number of seasonally operating enterprises was 0.17 lakh (12.25 per cent), without premises

0.14 lakh(10.24 per cent), 0.29 lakh(20.62 per cent) enterprises operated with power/fuel. As many as 0.05 lakh(3.27 per cent) of the enterprises were owned by Scheduled Tribes and 0.22 lakh(15.58 per cent) were owned by Scheduled Castes.

14.12 It was observed that there were 33 enterprises per 1,000 population in the State. The corresponding figures for rural and urban areas of the State were 29 and 73, respectively. The number of enterprises per 10 Sq. Kms. of area in the State was 25, for rural and urban areas the respective figures were 21 and 1,123, respectively.

Comparison to all India Economic Census 1980:

14.13 According to the results of Second Economic Census there were about 183.6 lakh enterprises in the country, out of which 133.8 lakh(73 per cent) were own account enterprises and the remaining 49.8 lakh(27 per cent) were establishments. Himachal Pradesh had 1.39 lakh enterprises which were 0.76 per cent of the total enterprises in the country out of these 1.01 lakh (0.75 per cent) were own account and rest about 38 thousand(0.76 per cent) came under the category of establishments.

14.14 Against the all India figure of 536.68 lakh persons usually working, there were 3.44 lakh persons(0.64 per cent) usually working in the State i.e. 0.64 per cent of the total in the country.

The following table shows the position of Himachal Pradesh as compared to all India:-

Table-2
Himachal as compared to all India

Sl. No.	Item	Unit	India	Himachal Pradesh
1.	2.	3.	4.	5.
I.No. of enterprises:-				
	i)Total enterprises	No.in lakhs	183.6	1.39(0.76)
	ii)Own account enterprises	"	133.8	1.01(0.75)
	iii)Establishments	"	49.8	0.38(0.76)
II.No. of Workers:-				
	i)Total workers	"	536.68	3.44(0.64)
	ii)Hired Workers	"	295.92	2.04(0.69)
III.Location of enterprises:-				
	i)Rural areas	Percentage	60.7	82.8
	ii)Urban areas	"	39.3	17.2

1.	2.	3.	4.	5.
IV. Percentage of workers:-				
i)Rural areas	"		45.6	68.5
ii)Urban areas	"		54.4	31.5
V. Percentage of hired workers:-				
i)Rural areas	"		34.0	59.9
ii)Urban areas	"		66.0	40.1

Figures written in brackets are percentage to all India figures

Principal characteristics of Agricultural enterprises

14.15 Out of the total 0.07 lakh agricultural enterprises employing 0.14 lakh persons in the State, 0.06 lakh (95.3 per cent) enterprises were located in rural areas and provided employment to about 0.13 lakh (91.6 per cent) persons.

NO. of enterprises and employment

14.16 The number of agricultural enterprises and size of employment provided in the rural and urban sectors is given in the following table:-

Table-3
No. of persons usually working and hired workers in agricultural enterprises

Type of enterprise	Sector	Own account enterprises	Establishment	Total
1.	2.	3.	4.	5.
1.No. of agricultural enterprises	Rural	5373	1060	6433
	Urban	220	100	320
	Total	5593	1160	6753
2.No. of persons usually working	Rural	9553	4594	14147
	Urban	322	974	1296
	Total	9875	5568	15443
3.No. of hired workers	Rural	-	4159	4159
	Urban	-	944	944
	Total	-	5103	5103

From the above table it is evident that the average size

of employment in these enterprises was 2.29 persons per enterprise i.e. the own account enterprises 1.77 and establishments 4.8 persons. The average size of employment in respect of own account enterprises in rural and urban areas was 1.78 and 1.46 persons per enterprise respectively. For establishments in rural and urban areas it was 4.33 and 9.74 persons per enterprise.

Principal characteristics of agricultural own account enterprises by size class of employment

14.17 The data when classified by size class of employment revealed that 84.14 per cent of own account enterprises were being run by one or two workers while 7.65 per cent were having 3 workers only. The percentage of 5 and more workers was 3.98 only. The following table gives distribution of O.A.Es. by size class of total employment:-

Table-4

Distribution of Agricultural Own account enterprises by size class of employment

Size class of employment	Rural		Urban		Total	
	No. of enterprises	NO. of persons emp.	No. of enterprises	No. of perons emp.	No. of enterprises	No. of persons emp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1-2	4502 (83.79)	5928 (62.05)	204 (92.73)	266 (82.61)	4706 (84.14)	6194 (62.72)
3.	417 (7.76)	1251 (13.10)	11 (5.00)	33 (10.25)	428 (7.65)	1284 (13.00)
4.	234 (4.36)	936 (9.80)	3 (1.36)	12 (3.73)	237 (4.24)	948 (9.60)
5.	95 (1.77)	475 (4.97)	1 (0.45)	5 (1.55)	96 (1.72)	480 (4.86)
6-9	109 (2.03)	752 (7.87)	1 (0.45)	6 (1.86)	110 (1.97)	758 (7.68)
10 or more	16 (0.29)	211 (2.21)	- (-)	- (-)	16 (0.29)	211 (2.14)
All classes	5373 (100.00)	9553 (100.00)	220 (100.00)	322 (100.00)	5593 (100.00)	9875 (100.00)

Non-agricultural establishments by size class of employment

14.18 There were 0.28 lakh non-agricultural establishments in rural sector and 0.09 lakh in urban sector, of which 64.64 percent in rural and 36.08 per cent in urban were employing one or two workers only. The percentages for 3 to 5 workers were 20.29 and 33.17 respectively. The following table shows the percentage of non-agricultural establishments by size class of employment:-

Table-5

Non-agricultural establishments by size class of employment

Size class of employment	Percentage of establishments		
	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	4.
Upto 5	84.93	69.25	81.08
6 to 9	6.89	11.86	8.11
10 to 49	7.45	16.04	9.55
50 to 99	0.48	1.83	0.81
100 to 200	0.16	0.65	0.28
200 to 499	0.06	0.28	0.12
500 or more	0.03	0.09	0.05
All classes	100.00	100.00	100.00

Selected characteristics of non-agricultural enterprises

14.19 There were 14.98 per cent seasonal non-agricultural own account enterprises in the State, of which 17.10 per cent were in rural and 3.13 per cent in urban sector. The percentage of enterprises which were without premises was 10.93 i.e. rural 11.12 per cent and urban 9.84 per cent. The scheduled tribes and scheduled castes were owning 3.03 per cent and 21.64 per cent enterprises respectively. Similarly, there were 4.78 per cent seasonal non-agricultural establishments and the percentage of without premises was

2.48 only. More details in this behalf are presented below:-

Table-6

Selected characteristics of
non-agricultural enterprises

Charac teristics	Own account enterprises			Establishments		
	Rural	Urban	Total	Rural	Urban	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.No. of total enterprises	81208 (100.00)	14580 (100.00)	95788 (100.00)	27785 (100.00)	9016 (100.00)	36801 (100.00)
2.Seasonal	13893 (17.10)	457 (3.13)	14350 (14.98)	1632 (5.87)	127 (1.41)	1759 (4.78)
3.Without premises	9034 (11.12)	1434 (9.84)	10468 (10.93)	795 (2.86)	116 (1.29)	911 (2.48)
4.Owned by:						
(i)S.T.	2687 (3.31)	213 (1.46)	2900 (3.03)	284 (1.02)	65 (0.72)	349 (0.95)
(ii)S.C.	19115 (23.54)	1609 (11.04)	20724 (21.64)	347 (11.25)	218 (2.42)	565 (1.54)
5.With power /fuel	18439 (22.72)	2953 (20.25)	21392 (22.33)	4442 (15.99)	2378 (26.37)	6820 (18.53)
6.Type of ownership:						
(a)Cooperative	-	-	-	1701 (6.12)	312 (3.46)	2013 (5.47)
(b)Public	-	-	-	19056 (68.58)	3673 (40.74)	22729 (61.76)

Principal characteristics of non-agricultural enterprises by
size class of employment

14.20 Out of 1.33 lakh non-agricultural enterprises 0.96 lakh were own account enterprises and the remaining 0.37 lakh were establishments. In the following table are given no. of enterprises and no. of persons usually working in them.

Table-7

Non-agricultural own account enterprises

Size class of employment	Rural		Urban		Total	
	No. of enterprises	No. of persons usually working	No. of enterprises	No. of persons usually working	No. of enterprises	No. of persons usually working
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1-2	78569 (96.74)	87655 (89.39)	13619 (93.42)	16914 (83.04)	92188 (96.24)	104479 (88.22)
3	1509 (1.86)	4527 (4.62)	655 (4.49)	1965 (9.65)	2164 (2.26)	6492 (5.48)
4.	605 (0.75)	2420 (2.47)	187 (1.28)	748 (3.67)	792 (0.83)	3168 (2.68)
5.	216 (0.27)	1080 (1.10)	64 (0.44)	320 (1.57)	280 (0.29)	1400 (1.18)
6-9	261 (0.32)	1784 (1.82)	47 (0.32)	320 (1.57)	380 (0.32)	2104 (1.78)
10 or more	48 (0.06)	682 (0.70)	(0.05)	102 (0.50)	56 (0.06)	784 (0.66)
All classes	81208 (100.00)	98058 (100.00)	14580 (100.00)	20369 (100.00)	95788 (100.00)	118427 (100.00)

हिमाचल प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा
1990

(आर्थिक स्थिति व विकास कार्यक्रम)

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है जो सरकार को उसके विभागों की समस्त आर्थिक गतिविधियों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। वर्ष 1989-90 में राज्य की आर्थिक मुख्य विशेषताएं प्रथम भाग आर्थिक सर्वेक्षण में जबकि सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस समीक्षा के लिए इतनी विशाल तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवं संख्या विभाग ने किया। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

कंवर शमशेर सिंह,
आयुक्त एवं सचिव (वित्त, योजना तथा अर्थ एवं संख्या),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

भाग--1 आर्थिक सर्वेक्षण, 1989-90

				पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा	1
2. जनसंख्या	3
3. राज्य आय	5
4. कृषि	7
5. उद्योग	19
6. विद्युत	21
7. रोजगार	24
8. भावों की स्थिति	28
9. नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं	29
10. व्यापार एवं वाणिज्य	38
11. परिवहन तथा संचार	40
12. सहकारिता	42
13. स्थानीय निकाष	44
14. विशेष अध्ययन	45

"

भाग-1

वर्ष 1989-90 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य समीक्षा

देश की आर्थिक स्थिति

1.1 वर्ष 1989-90 की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान उत्पादन वृद्धि में कुछ कमी आई। औद्योगिक वृद्धि दर भी कुछ कम रही तथा कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के चोटी के स्तर से बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया। वर्ष 1987-88 में सूखे के कारण अर्थ व्यवस्था को जो आघात लगा था उसमें वर्ष 1988-89 में तेजी से सुधार हुआ। पिछले वर्ष के 3.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष शुद्ध घरेलू उत्पाद में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन 20.8 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन 8.8 प्रतिशत बढ़ा। इसकी तुलना में 1989-90 में कृषि उत्पादन में केवल 1 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है। वर्ष 1989-90 में थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 8.8 प्रतिशत रही क्योंकि मूल्य सूचकांक जोकि मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह में 156.9 था, मार्च, 1990 के अन्तिम सप्ताह में बढ़कर 170.7 हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की दर 5.7 प्रतिशत थी।

1.2 वर्ष 1988-89 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 17 करोड़ टन हुआ तथा वर्ष 1989-90 में इसके 17 करोड़ 50 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है। वर्ष 1989-90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 4-4.5 प्रतिशत के लगभग वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इस स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत के लगभग होने की आशा है। वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 3,835 रुपये रही।

1.3 वर्ष 1989-90 में निर्यात में तेजी की प्रवृत्ति तथा आयात में मन्दी के बावजूद भी सातवीं पंच वर्षीय योजना के पहले चार वर्षों की तरह ही भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति पर बहुत अधिक दबाव रहा। रुपयों के रूप में निर्यात में वर्ष 1986-87 में 14.3 प्रतिशत, 1987-88 में 26.4 प्रतिशत तथा 1988-89 में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में आयात वर्ष 1986-87 में 2.2 प्रतिशत, 1987-88 में 11.5 प्रतिशत तथा 1988-89 में 25.9 प्रतिशत बढ़ा। अभी तक उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसकी तुलना में रुपयों के रूप में आयात वृद्धि की दर जोकि 20.7 प्रतिशत रही थोड़ी धीमी थी। इसके फलस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 1989 की अवधि में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.4 प्रतिशत कम होकर 5,518 करोड़ रुपये रहा।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.4 औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण हिमाचल प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अधिकतर कृषि उत्पादन पर ही निर्भर है। कृषि उत्पादन अभी तक भी समय पर वर्षा होने तथा मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1987-88 में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा जबकि अगले वर्षों में भी मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं रही। पिछले पांच वर्षों में अन्न उत्पादन के आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :—

वर्ष	अन्न उत्पादन (लाख टन)
1985-86	12.01
1986-87	11.72
1987-88	8.87
1988-89	11.24
1989-90 (पूर्वानुमानित)	13.40

1.5 सेब सहित सभी फलों के उत्पादन में क्रमिक सुधार हो रहा है और वर्ष 1989-90 में यह 4.60 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया जोकि एक कीर्तिमान है। सब्जियों के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 1989-90 में यह उत्पादन 3.70 लाख टन के लगभग होने की आशा है। पिछले कुछ समय तक हिमाचल प्रदेश का बीज आलू अपने रोग मुक्त गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध था तथा समस्त भारत में इसकी बहुत मांग थी। अब यह मांग धीरे-धीरे घट रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपनी आवश्यकता के लिये बीज आलू का उत्पादन स्वयं करने लगे हैं, जबकि पंजाब ने कम उत्पादन लागत पर इसे पैदा करना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु ऐसा होते हुए भी प्रदेश ने इस वर्ष 62,000 टन आलू का निर्यात किया।

1.6 वर्ष 1988-89 के दौरान हिमाचल प्रदेश के घरेलू उत्पाद में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 1989-90 में इसमें 4.0 प्रतिशत के लगभग वृद्धि होने की आशा है। यदि वृद्धि इसी प्रकार से हुई तो राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत होगी। वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य में प्रति व्यक्ति आय 3,614 रुपये आंकी गई है।

1.7 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में वैसे तो 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है परन्तु फिर भी बहुत कुछ करना शेष है क्योंकि बहुत से छोटे छोटे हेमलेट जोकि पहल छूट गये थे उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाना है। दिसम्बर, 1989 तक 85 के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 139 पम्प सैटों को चालू किया जा चुका था। वर्ष 1989-90 में दिसम्बर, 1989 तक 791 मिलियन किलोवाट आवर विद्युत का उत्पादन किया जा चुका था जबकि इसका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 945 मिलियन किलोवाट आवर है। वर्ष 1988-89 के दौरान 698.8 मिलियन किलोवाट आवर विद्युत का उत्पादन किया गया।

1.8 वर्ष की प्रथम तिमाही यानि जनवरी से मार्च, 1989 के अन्त में प्रदेश में कुल 2.78 लाख लोग रोजगार में लगे थे। दिसम्बर, 1989 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के जीवित पंजीयकों में बेरोजगारों की संख्या 4.28 लाख थी। रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिये सरकार ने बहुत से कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1990 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 29.46 लाख मानव दिवसों का कार्य किया गया और दिसम्बर, 1989 तक इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,090 सामुदायिक सम्पत्तियों का सृजन किया गया। 'आई0आर0डी0पी0' तथा 'ट्राइसम' कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा।

1.9 वर्ष 1988-89 में कृषि समाग्रों द्वारा 7.7 लाख सदस्यों को 2265.32 लाख रुपये के ऋण दिये गये जबकि वर्ष 1987-88 में 7.5 लाख सदस्यों को 1950.78 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे। वर्ष 1988-89 में कृषि समाग्रों द्वारा प्रति सदस्य औसत 294 रुपये के ऋण दिये गये जबकि 1987-88 में प्रति सदस्य औसत 260 रुपये के ऋण दिये गये थे।

1.10 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास की बहुत अधिक क्षमता है। यहां की हिमाच्छादित पर्वत मालाय, सुन्दर मनोहर घाटियां तथा झरने, हरे-भरे जंगल तथा यहां की अभ्यागत संस्कृति सभी कुछ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में प्रदेश में आठ पर्यटक कम्प्लेक्स कार्यरत हैं जोकि इस प्रकार है: शिमला, चैल, सोलन-परवाणु, मग्डी, कुल्लू-मनाली धर्मशाला-पालमपुर, डलहौजी-चम्बा तथा पांवटा-रेणुका। वर्ष 1972 में निगम ने केवल 857 बिस्तरों की संख्या से कार्य प्रारम्भ किया था जबकि दिसम्बर, 1989 के अन्त तक इसके द्वारा चलाये जा रहे होटलों व तम्बू आवासों में बिस्तरों की संख्या बढ़ कर 2,330 हो गयी है। इसके अतिरिक्त यहां पर निजी उद्यमियों द्वारा चलाये जा रहे होटल भी पर्यटकों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। निगम पर्यटकों की रुचि के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर और अधिक होटल यात्री-निवास तथा सराय खोलने की योजना बना रहा है। निगम कई वातानुकूलित, विलास पूर्ण तथा डिलक्स गाड़ियां भी चलाता है।

1.11 सातवीं योजना में पहले हिमाचल प्रदेश में केवल एक हवाई पट्टी भुन्तर (कुल्लू) में थी। वर्ष 1987 में एक हवाई पट्टी जुम्बर हट्टी (शिमला) में पूर्ण करके चालू की गई। एक और हवाई पट्टी गगल (कांगड़ा) में भी शीघ्र ही चालू होने वाली है। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन के विकास पर जोर दे रही है क्योंकि इससे राज्य की अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- 2. जनसंख्या

2.1 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जोकि 1981 की जनगणना के अनुसार 42.81 लाख थी बढ़कर 1 मार्च, 1990 को 50.26 लाख होने का अनुमान है। जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के लिए (व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी०) 77 था और समस्त भारत के लिए यह 216 था। निम्न तालिका में प्रदेश व देश की जनसंख्या से सम्बन्धित मुख्य विशेषताएं दर्शाई गई हैं -

जनसंख्या आंकड़े (1981 की जनगणना के अनुसार)

मद्	हिमाचल प्रदेश	भारत
1	2	3
1. जनसंख्या (लाखों में)		
(क) पुरुष	21.70	3,544.0
(ख) स्त्री	21.11	3,307.8
कुल	42.81	6,851.8
2. दस-वर्षीय वृद्धि दर (1971-81) प्रतिशत	23.71	25.00
3. घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०)	77	216
4. लैंगिक अनुपात (1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या)	973	933
5. साक्षरता (प्रतिशत)	42.48	36.23
6. शहरी जनसंख्या (योग से प्रतिशत)	7.61	23.31

जनसंख्या की वृद्धि

2.2 वर्ष 1971 से 1981 के दौरान जनसंख्या में दस वर्षीय वृद्धि दर 23.71 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1961 से 1971 के दौरान वृद्धि दर 23.04 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय स्तर पर दस वर्षीय वृद्धि दर 1971-81 व 1961-71 के दौरान क्रमशः 25.00 प्रतिशत और 24.80 प्रतिशत थी।

परिवार का आकार

2.3 प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार परिवारों की संख्या 7.84 लाख थी और परिवार का आकार 5.5 था।

लैंगिक अनुपात

2.4 लैंगिक अनुपात अर्थात् प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस शताब्दी के आरम्भ से प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है जोकि 1901 में 884 से 1981 में 973 हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक अनुपात 1901 में 972 तथा 1981 में 933 था।

नगरीय

2.5 नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर से हमेशा कम रही और प्रदेश की प्रतिशतता 1981 जनगणना के अनुसार भी 7.61 रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 23.31 थी। शिमला जिला के अतिरिक्त जिसकी शहरी जनसंख्या 15.69 प्रतिशत थी, अन्य जिले जहां पर शहरी जनसंख्या की अधिक प्रतिशतता रही वह सोलन (10.76), सिरमौर (8.74), ऊना (7.72), मण्डी (7.33), कुल्लू (7.09) तथा चम्बा (6.84) है।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या

2.6 प्रदेश में 1981 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10,53,958 और जनजातीय जनसंख्या 1,97,263 थी। अनुसूचित जाति जनसंख्या की कुल जनसंख्या से प्रतिशतता 24.62 तथा जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता 4.61 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति जनसंख्या की प्रतिशतता 94.6 और जनजातीय जनसंख्या 98.4 थी। अनुसूचित जाति और जनजातीय जनसंख्या का दस वर्षीय वृद्धि दर क्रमशः 36.95 तथा 39.30 प्रतिशत था।

जबकि, प्रदेश का दस-वर्षीय वृद्धि दर 23.71 प्रतिशत था । अत्यधिक गरीबी, सामान्यतः कम साक्षरता और घटिया रहन-सहन अनुसूचित जाति व जन-जाति की जनसंख्या में अधिक वृद्धि के कारण है ।

धर्मानुसार जनसंख्या

2.7 प्रदेश में 4 मुख्य धर्म थे । वास्तव में सबसे अधिक हिन्दू जोकि 40,99,706 थे (95.8 प्रतिशत), उसके बाद मुसलमान 69,613 (1.6 प्रतिशत), बौद्ध 52,629 (1.2 प्रतिशत) और सिख 52,209 (1.2 प्रतिशत) आते थे । ईसाई कुल जनसंख्या का केवल 0.1 प्रतिशत तथा जैन 0.02 प्रतिशत थे ।

आयु वर्गों के अनुसार जनसंख्या

2.8 प्रदेश की जनसंख्या का आयु वर्गीकरण दर्शाता है कि 1981 में 0—14 वर्ष के आयु वर्ग में 17.0 लाख बच्चे (39.7 प्रतिशत), 15—59 वर्ष के आयु वर्ग में 22.6 लाख व्यक्ति (52.8 प्रतिशत) तथा 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग में 3.2 लाख व्यक्ति (7.5 प्रतिशत) थे ।

3. राज्य आय

राज्य घरेलू उत्पाद

3.1 राज्य आय अथवा राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोच्च मापदण्ड है। वर्ष 1980-81 के आधार पर स्थिर भावों पर वर्ष 1987-88 में प्रदेश का घरेलू उत्पाद 895.44 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 957.03 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1988-89 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर 6.9 प्रतिशत रही जब कि राष्ट्रीय स्तर पर ये विकास दर 11.1 प्रतिशत थी। समस्त राष्ट्र की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अधिक उतार चढ़ाव आता रहा है क्योंकि कृषि उत्पादन में आई गिरावट को पूरा करने के लिए हमारा औद्योगिक आधार इतना अच्छा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है अभी भी कुल राज्य आय का 29 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से ही उपलब्ध होता है। अनुकूल मौसम के कारण वर्ष 1989-90 में राज्य आय में कुल वृद्धि 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसका अभिप्राय है कि सातवीं योजना में औसत विकास दर 5.8 प्रतिशत रहेगा जब कि योजना के प्रथम चार वर्षों में यह दर 6.3 प्रतिशत है। सातवीं योजना काल में हिमाचल प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर में हुई आर्थिक वृद्धि निम्न प्रकार से है :-

वार्षिक आर्थिक विकास दर

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
1985-86	13.1	4.8
1986-87	7.5	3.6
1987-88	(—) 2.3	3.5
1988-89 (द्रुत)	6.9	11.1
1989-90 (अनुमानित)	4.0	4.0
औसत सातवीं योजना	5.8	5.4

प्रति व्यक्ति आय

3.2 राज्य आय के द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 1988-89 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 3,614 रुपये थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 3,835 रुपये थी।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

3.3 वर्ष 1988-89 में प्रदेश की राष्य में सबसे अधिक अनुदान प्राथमिक क्षेत्रों का था जो कि 36.6 प्रतिशत है। गौण क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 21.7 सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का 21.6, परिवहन, संचार तथा व्यापार का 11.3 तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 8.8 प्रतिशत रहा। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में इन मुख्य क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान नीचे दर्शाया गया है:—

राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1. प्राथमिक क्षेत्र	43.16	41.28	37.58	36.61
2. गौण क्षेत्र	20.43	21.25	21.80	21.75
3. परिवहन, संचार एवं व्यापार	11.48	11.29	11.44	11.27
4. वित्त एवं स्थावर सम्पदा	8.38	8.80	8.52	8.80
5. सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	16.55	17.38	20.66	21.57
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

3.4 इन मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में हुए आर्थिक विकास का विवरण निम्न प्रकार से है:--

प्राथमिक क्षेत्र

3.5 प्राथमिक क्षेत्रों में योजना के प्रथम चार वर्षों में औसत वार्षिक विकास दर केवल 2.7 प्रतिशत रहा। कृषि उत्पादन में आई वृद्धि अथवा कमी के अनुसार इस क्षेत्र की प्रगति में भी काफी उतार-चढ़ाव रहे। वर्ष 1985-86 में 12.9 प्रतिशत का सबसे अधिक विकास दर रहा क्योंकि इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। कुल खाद्यान्न 12.01 लाख टन हुआ। वर्ष 1987-88 में खाद्यान्न उत्पादन केवल 8.87 लाख टन होने के कारण विकास दर में 14.6 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हुई तथा 1989-90 में भी अच्छी वर्षा के कारण अच्छा विकास दर आने की सम्भावना है।

गौण क्षेत्र

3.6 गौण क्षेत्रों के अधीन वर्ष 1986-87 से 1988-89 के समय में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में भी इतना ही विकास दर आ जाएगा।

परिवहन, संचार एवं व्यापार

3.7 चार वर्षों के इस समय में इस क्षेत्र के अधीन औसत वार्षिक विकास दर 5.9 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र में अभी वर्ष 1985-86 में 15.5 प्रतिशत का अधिकतम दर रहा और 1987-88 में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि व्यापार क्षेत्र का विकास अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पादन व सेवाओं के उत्पादन से प्रभावित होता है। वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र का विकास दर 5.8 प्रतिशत था।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

3.8 इस क्षेत्र में बैंक व बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है और योजना की इस अवधि में इस क्षेत्र का विकास दर 8.9 प्रतिशत रहा। वर्ष 1987-88 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र के विकास में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएं

3.9 सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में इस क्षेत्र का औसत वार्षिक विकास दर 10.8 रहा जो कि काफी प्रभावोत्पादक है। वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र में 10.1 प्रतिशत का विकास दर प्राप्त किया और वर्ष 1989-90 में भी इतना ही विकास दर आने की सम्भावना है।

4. कृषि

4.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है अतः यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश में लगभग 71 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध होता है। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 6.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खेती के अन्तर्गत आता है और खेती मुख्यतः लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा की जाती है। कृषि विभाग यहां के कृषकों के लिए उन्नत तकनीकी के साथ-साथ समय-समय पर कृषि सम्बन्धी उपकरण जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण तथा उन्नत कृषि औजार आदि भी उपलब्ध करवाता है। बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क खेती, तिलहन और दालों के बीज के विकास, बायोगैस संयन्त्र लगाना जो कि ऊर्जा स्रोत का एक विकल्प है के विकास पर बल दिया जा रहा है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में की गई सूत्र वार उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है:-

सूत्र—1 सिंचाई स्त्रोतों का विकास तथा शुष्क खेती की उत्पादन सामग्री की आपूर्ति और तकनीकी जानकारी के प्रसार में वृद्धि लाना

4.2 हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में फसलों के उत्पादन हेतु कृषि विभाग कृषकों को शुष्क कृषि प्रणाली अपनाने की प्रेरणा देता है जो काफी लोकप्रिय हो रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों को खरीफ की फसल के बाद भूमि में नमी बनाये रखने, फसलों की उचित किस्में, उन्नत बीज की किस्में तथा उर्वरकों का उचित उपयोग, खरपतवारों का विनाश तथा आपात के समय खेती इत्यादि के विषय में प्रदेश के कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.3 वर्ष 1989-90 में 90 लघु जलाशय शैड गहन विकास के लिए चुने गये तथा दिसम्बर, 1989 तक 87 लघु जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इन लघु जलाशयों से 9000 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सम्भावना है तथा 21000 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई इसके बाहर कराने का लक्ष्य है। 1700 सुधरे कृषि यन्त्र वितरित किये जायेंगे इसके अतिरिक्त 983 पानी संग्रहक संरचनाओं का कार्य दिसम्बर, 1989 तक पूरा किया गया।

सूत्र—2 दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

4.4 वर्ष 1989-90 में दालों तथा तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिसम्बर, 1989 तक लगभग 2107 क्विंटल दालों तथा 2000 क्विंटल तिलहनों के बीज कृषकों को दिये गये जिससे 20 हजार टन दालों तथा 20 हजार टन तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सूत्र—7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों के लोगों का विकास—

4.5 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष घटक योजना द्वारा अनुदान पर कृषि उत्पादन सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ तकनीकी जानकारी भी प्रदान की गई।

सूत्र—12 बायोगैस का विकास

4.6 वर्ष 1988-89 में 3,000 बायोगैस संयन्त्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें से दिसम्बर, 1989 तक 2,993 संयन्त्र लगाये जा चुके थे।

4.7 कृषि उत्पादन 1985-86 में प्रदेश में 12.01 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वर्ष 1986-87 में 13.20 लाख टन अन्न उत्पादन के लक्ष्य के बदले केवल 11.77 लाख टन अन्न का ही उत्पादन हो सका। प्रदेश में 1987 में खरीफ की फसल के समय भयंकर सूखा पड़ा जिस कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 1988-89 में अन्न उत्पादन की दर में वृद्धि हुई तथा 11.24 लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1989-90 में अन्न उत्पादन 13.40 लाख टन तक पहुंचने की आशा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया।

(1) अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों का कार्यक्रम—

4.8 कृषि विभाग अधिक से अधिक क्षेत्र को ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर

प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :—

फसल का नाम	इकाई	उपलब्धियां	सम्भावित	लक्ष्य
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1. मक्की	000 है०	96.30	100.00	110.00
2. धान	000 है०	91.25	91.50	92.00
3. गेहूं	000 है०	335.00	337.00	340.00

(2) उर्वरक

4.9 रासायनिक खाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाती है विशेषकर जब उसे अधिक उपज देने वाले बीजों के साथ प्रयोग में लाया जाये तथा खाद का उसी मात्रा में उपयोग किया जाये जिस मात्रा की सिफारिश की गई हो। रासायनिक खाद को लोकप्रिय बनाने के लिए किये गए प्रयासों के कारण कृषक वर्ग में इस खाद की मांग काफी बढ़ रही है तथा प्रदेश में उर्वरकों की खपत बढ़ी है तथा आशा की जाती है कि वर्ष 1989-90 में लगभग 27 हजार टन खाद की खपत होगी।

(3) पौध संरक्षण

4.10 दालों, सब्जियों तथा नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पौध संरक्षण के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कीट, नाशिकीट तथा खेतों के चूहों की रोकथाम के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में नियमित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 में 4.24 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र विभिन्न पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1989-90 में कुल 4.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन आने की सम्भावना है। वित्त वर्ष 1989-90 के दिसम्बर, माह तक 3.90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाया जा चुका था।

मिट्टी की जांच

4.11 वर्ष 1989-90 में दिसम्बर, 1989 तक 46,378 मिट्टी के नमूनों को एकत्र किया गया तथा प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में इनका विश्लेषण किया गया। वर्ष 1990-91 के लिए 68,000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने का लक्ष्य है।

बाणिज्य फसलें

(i) आलू:

4.12 आलू हमारे प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिस पर विशेषतः जिला शिमला तथा लाहौल-स्पिति के कृषकों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा ग्राहकों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में "हिमाचल प्रदेश बीज आलू नियन्त्रण आदेश" लागू किया ताकि ग्रेडिंग का स्तर बीज की शुद्धता आदि को सुनिश्चित किया जा सके। बीज प्रमाण अभिकरण ने 20,000 टन आलू के बीज प्रमाणित किए तथा 62,223 टन आलू का बीज तथा सब्जी के आलू का देश के अन्य आलू उत्पादक राज्यों को निर्यात किया।

(ii) सब्जियां

4.13 प्रदेश का विशेष जलवायु वेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए अनुकूल है। कृषकों को तकनीकी सहायता तथा आवश्यक आदान समर्थ पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 1990-91 में 3.80 लाख टन सब्जियां उगाने का प्रस्ताव है जबकि 1989-90 की अवधि में 3.70 लाख टन उपज की सम्भावना है।

(iii) अदरक

4.14 अदरक मुख्यतः प्रदेश के जिला सिरमौर, सोलन, बिलासपुर तथा शिमला में उगाया जाता है। वर्ष 1988-89 में 2100 टन सूखा अदरक उगाये जाने की सम्भावना है तथा वर्ष 1990-91 में 2900 टन सूखा अदरक पैदा करने का प्रस्ताव है।

कृषि विपणन

4.15 किसानों को उन की उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु "हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन ऐक्ट 1975" प्रदेश में लागू रहा। वर्ष 1989-90 की अवधि में दिसम्बर, 1989 तक 3 नियमित मण्डियों/यार्डज/सब-यार्डज बनाये गये तथा वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान 2 यार्डज तथा 8 सब-यार्डज बनाने का प्रस्ताव है।

4.16 उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्न योजनाएं भी वर्ष 1989-90 में जारी रही

- (1) उत्पादन तथा क्षेत्र के अनुमानों को तैयार करने की समयबद्ध प्रतिवेदन योजना, तथा
- (2) फसल सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार।

इसके साथ ही केन्द्र द्वारा प्रायोजित "राष्ट्रीय तिलहन बीज विकास प्रोजेक्ट" के अधीन रबी तिलहन बीजों की 4656 छोटी थैलियां और इतनी ही थैलियां खरीफ तिलहन बीजों की दिसम्बर, 1989 तक वितरित की गई। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को विभिन्न प्रदर्शनों द्वारा तिलहनों की उन्नत तकनीकों को अपनाने तथा भू-संरक्षण तरीकों को अपनाने के लिए शिक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से "दालों के विकास" का केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन दालों की 550 थैलियां दिसम्बर, 1989 तक बांटी गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के आशय से लघु तथा सीमान्त किसानों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित "लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए प्रभावशाली सहायता कार्यक्रम" के अन्तर्गत प्रभावी तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1989 तक लघु तथा सीमान्त किसानों को तेल तथा दालों के बीजों की 25,908 छोटी थैलियां वितरित की गई।

भू-संरक्षण

4.17 कृषि क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान और 50 प्रतिशत के ऋण देती है। वर्ष 1989-90 में 1690 हैक्टेयर क्षेत्र भू-संरक्षण उपायों के अधीन लाने की सम्भावित उपलब्धि की तुलना में वर्ष 1990-91 में 1950 हैक्टेयर क्षेत्र इन उपायों के अधीन लाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना के अर्वा 1990-91 में 1570 हैक्टेयर क्षेत्र भू-संरक्षण के अधीन लाने का प्रस्ताव है। जबकि दिसम्बर, 1989 तक 1097 हैक्टेयर क्षेत्र इन कार्यक्रमों के अधीन लाया जा चुका है।

उद्यान

4.18 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न फल/फसलों को उरजाने के लिए यहां की जलवायु तथा वनस्पति स्रोत बहुत उचित है। अधिक उत्पादन तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादक से अधिक आय होने के फलस्वरूप प्रदेश में उद्यान ग्रामीण लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशा सुधारने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। सेब का उत्पादन अभी भी फल उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है। साथ ही साथ अन्य फसलें भी जैसे नींबू प्रजाति के फल, आम, गठलीदार फल आदि का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 1989-90 में उद्यान क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख निम्नलिखित है :—

फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

4.19 वर्ष 1989-90 में फल पौधों के अन्तर्गत 6500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य था। परन्तु माह दिसम्बर 1989 के अन्त तक लगभग 4000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल फल-पौधों के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष के अन्त तक पूरा लक्ष्य प्राप्त करने की सम्भावना है। फल पौधे विशेषतः मध्य तथा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में लगाये जाते हैं। 16.25 लाख फल पौधों के वितरण के लक्ष्य के स्थान पर माह दिसम्बर, 1989 तक 10.70 लाख फल पौधों का वितरण किया गया तथा वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्ति की सम्पूर्ण सम्भावना है।

फलोत्पादन

4.20 वर्ष 1989-90 फलों के उत्पादन के लिए एक उत्तम वर्ष रहा है। वर्ष 1989-90 में फल उत्पादन का लक्ष्य 4.64 लाख टन था तथा दिसम्बर, 1989 तक 4.49 लाख टन का फलोत्पादन हुआ और वर्ष के अन्त तक 4.60 लाख टन फल उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण करने की सम्भावना है जो कि फलोत्पादन में आज तक का एक नया कीर्तिमान होगा। वर्ष 1989 में प्रदेश में सेब का 3.95 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। आम का उत्पादन इस वर्ष काफी कम रहा क्योंकि आम की फसल में बौर आने के समय पर प्रतिकूल मौसम रहा। नींबू जाति के फलों की बहुत अच्छी फसल होने का अनुमान है तथा प्रदेश में इस वर्ष लगभग 12,000 टन नींबू जाति के फलों के उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में फलों के गुण तथा उत्पादकता बढ़ाने के आशय से प्रदेश सरकार ने सेब, चैरी, नाशपाती तथा अखरोट की अधिक उत्पादन क्षमता वाली 29 उन्नत किस्में तथा 15 मूल वृक्षों को विभागीय प्रयोगशालाओं में गुणन करके बागवानों को वितरित किया।

जंगली फलों के पेड़ों का उत्तम किस्मों में सुधार

4.21 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1989 तक 5 लाख फल पौधों की तुलना में 1.24 लाख पौधों की कलमबन्दी की जा चुकी है। इसमें जंगली पौधों को शीर्ष कलमबन्दी द्वारा उत्तम किस्मों में बदल कर उनसे अधिक लाभ उठाया जाता है क्योंकि सामान्यतया शीर्ष कलमबन्दी का कार्य बसन्त ऋतु में किया जाता है अतः वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

पौध संरक्षण

4.22 वर्ष 1989-90 में 1.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था। माह दिसम्बर, 1989 तक लगभग 90,000 हैक्टेयर क्षेत्र पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष के अन्त तक लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति की सम्भावना है। सेब की स्कैब रोग की रोकथाम के अन्तर्गत 90,000 हैक्टेयर बागवानी क्षेत्र में स्कैब रोधक दवाइयों के छिड़काव करने का लक्ष्य था जिसमें से दिसम्बर, 1989 तक लगभग 40,000 हैक्टेयर में स्कैब रोधक दवाइयों का छिड़काव किया गया तथा वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त बागवानी को फल पौधों पर कीटों और बिमारियों की रोकथाम के लिए दिसम्बर, 1989 तक, 125 टन कीटनाशक एवं फफूंद नाशक दवाइयों, 345 शक्तिवाक छिड़काव मशीनें तथा 2318 पैर से चलने वाली छिड़काव करने की मशीनें (स्प्रेयरस), उपलब्ध करवाई गई।

उद्यान उद्योग में विविधता लाना

4.23 उद्यान उद्योग में विविधता लाने के लिए प्रदेश में अन्ध फलों जैसे कि जैतून, अंजीर, होप्स, खुम्ब, पिस्ता इत्यादि की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यान सम्बन्धित सहायक उद्योग जैसे मधु-मक्खी पालन आदि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैतून के विकास के लिए प्रदेश में इटली सरकार की सहायता से एक परियोजना बजौरा (कुल्लू जिला) में कार्यान्वित की जा रही है जिसका तीन वर्ष अवधि का प्रथम चरण नवम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1987 की अवधि में पूर्ण कर लिया गया तथा इसके अन्तर्गत इटली से लगभग 60 उद्यान-पतियों का बजौरा में परिचय करवाया गया जिनमें 17 उद्यानपति केवल जैतून की बागवानी में ही कार्यरत थे। इस तीन वर्षीय योजना की द्वितीय चरण की अवधि 1990-91 में आरम्भ होने की आशा है। हौप उत्पादन जो आजकल केवल स्पति घाटी तक सीमित है, को किन्नौर तथा पांगी के क्षेत्रों में भी उगाये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 12 टन सुखाये हुए हौप्स का उत्पादन हुआ। खुम्ब विकास परियोजना, जो कि पालमपुर जिला कांगड़ा में डचतकनीकी सहायता से स्थापित की जा रही है का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा वर्ष 1990-91 में इस परियोजना के चालू होने की पूर्ण सम्भावना है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 200 मशरूम उत्पादक लाभान्वित होंगे। दिसम्बर, 1989 तक लगभग 348 टन मशरूम का उत्पादन हुआ तथा 108 मशरूम उत्पादकों को खुम्ब विकास परियोजना के अन्तर्गत मशरूम उत्पादन तकनीकी में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विकसित देशों से प्रदेश में फूल उत्पादन के विकास के लिए सुधरे जरम-पलासम आयात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि फूल उत्पादन करने के इच्छुक व्यक्तियों को विभागीय फूल नर्सरियों से फूलों की खेती के प्रचार व प्रसार के लिए जरम-पलासम दिये जा सकें। वर्ष 1987-88 की अवधि में 42 विभागीय मधुमक्खी पालन स्टेशनों में लगभग 1,267 मधुमक्खी बस्तियां तथा गैर सरकारी मधुमक्खी पालन स्टेशनों में लगभग 4,947 मधुमक्खी बस्तियां थी। वर्ष 1988-89 में दिसम्बर, 1988 तक प्रदेश में फूल उत्पादकों को लगभग 387 मधुमक्खी बस्तियां वितरित की गईं। वर्ष 1989-90 की अवधि से दिसम्बर, 1989 के अन्त तक लगभग 60 टन शहद उत्पादित किये जाने की सम्भावना है।

फलों का विपणन एवं विधायन

4.24 वर्ष 1989-90 की अवधि में प्रदेश से दिसम्बर, 1989 तक लगभग 3.95 लाख टन फलों का निर्यात किया गया। जिसमें से 3.55 लाख टन (1 करोड़ 95 लाख पेटियां) सेब का निर्यात हुआ। फल उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कुछ फलों जैसे सेब, सन्तरा, तथा गलगल पर क्रमशः 2 रुपये 75 पैसे, 3 रुपये 65 पैसे तथा 1 रुपया 20 पैसे; प्रति किलो समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है तथा फलों का प्रापण हेतु 209 केन्द्र सेब उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में तथा 34 केन्द्र नींबू जाति के फलों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में खोले गये। वर्ष 1989 में प्रदेश में 30.50 लाख रुपये मूल्य का 1.10 लाख टन सेब समर्थन मूल्य पर लिया गया। जबकि नींबू जाति के फलों के प्रापण का कार्य अभी तक चला हुआ है। लकड़ी की बनाई हुई पेटियों के स्थान पर गते की बनी हुई पेटियों को लोकप्रिय

बनान हेतु प्रदेश सरकार ने एच.पी.एमसी. के माध्यम से फल उत्पादकों को पैकिंग के लिए, 29 लाख गत्ते की पेटियां उपलब्ध करवाईं।

4.25 उद्यान विभाग द्वारा इस वर्ष दिसम्बर, 1989 तक 2044 बागबानों को फलों के वर्गीकरण तथा पेटियों में पैक करने की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण दिया गया तथा 2.36 लाख पेटियों में प्रदर्शन के रूप में पैकिंग की गई इसके अतिरिक्त छः वर्गीकरण गृहों तथा पांच फलों के पैकिंग गृहों में आधुनिक उपकरणों से फलों का वर्गीकरण करके 3.28 लाख पेटियों पैक करके बागबानों को सेवायें प्रदान कीं। उद्यान विभाग की 9 फल विधायन इकाईयों में माह दिसम्बर, 1989 तक 205 टन फल का उत्पादन हुआ तथा 1470 बागबानों को बरेलू स्तर पर फल पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सामुदायिक फल विधायन सेवा के अन्तर्गत उद्यान विभाग ने 43 टन फल पदार्थ तैयार किये।

कमजोर वर्गों के लिए उद्यान विकास

4.26 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए माह दिसम्बर, 1989 तक प्रदेश में बागबानी विकास के अन्तर्गत 974 अनुसूचित जाति तथा 144 अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया जबकि लक्ष्य क्रमशः 1500 और 175 परिवारों को लाभान्वित करने का था, वर्ष के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त कर लेने की पूर्ण सम्भावना है

प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता

4.27 प्राकृतिक विपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि से फल फसल को होने वाली हानि के आंशिक पूर्ति हेतु बागबानों को प्रति परिवार 75 फल पौधे 50 प्रतिशत उपदान पर उपलब्ध करवाये गये तथा वर्ष 1989-90 की अवधि में 30 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये। इसके अतिरिक्त 7.40 लाख रुपये गैर-योजना बजट में उद्यान सम्बन्धी सामग्री बागबानों को उपदान पर देने हेतु उपलब्ध करवाई गई।

सिंचाई

4.28 हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55.7 लाख हेक्टेयर है। इसका बहुत बड़ा भाग निरन्तर बर्फ से ढका हुआ था बनों के अधीन अथवा बंजर, ढलानों का क्षेत्र है। इन प्राकृतिक कारणों से प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई कठिन है, फिर भी ग्रामों के खण्डों में और पहाड़ी ढलानों के साथ बोया गया क्षेत्र लघु सिंचाई के मूलरूप से अनुकूल है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर अत्याधिक निर्भर है। खेती के उन्नत उपाय, सिंचाई और सुधरे बीज खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। धरती के ऊपर तथा नीचे पानी के काफी स्रोत हैं जिनके उपयोग से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। घाटियों में भूमि के नीचे से पानी नलकूपों से निकाला जा सकता है। चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान से ही नलकूप लगाने का कार्य आरम्भ हो चुका है जबकि लघु सिंचाई का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही आरम्भ हो गया था। राजस्व कागजों के अनुसार बोये गये क्षेत्र का 19 प्रतिशत भाग सिंचाई के अधीन है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राप्त क्षमता से कुल बोए क्षेत्र का 3.35 लाख हेक्टेयर मुख्य मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सिंचित किया जा सकता है जो कि कुल बोये गये क्षेत्र का 58 प्रतिशत है।

मुख्य सिंचाई परियोजना

4.29 राज्य में शाह नहर पहली मुख्य सिंचाई परियोजना है, जिससे कांगड़ा जिले में 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की अपेक्षा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर 190.55 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। इस परियोजना के लिए वर्ष 1989-90 में 64 लाख रुपये का प्रावधान है।

मध्यम सिंचाई परियोजनायें

4.30 वर्ष 1989-90 के लिए, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित करने के उद्देश्य से 183 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा दिसम्बर 1989 तक 80 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अधीन लाया गया।

लघु सिंचाई परियोजनायें

4.31 वर्ष 1989-90 के लिए 653 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है जिससे 300 हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाने की योजना है, तथा दिसम्बर, 1989 तक 219 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जा चुकी है।

4.32 यु0एस0एड, कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1805 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधायें 652.80 लाख रुपये खर्च करके उपलब्ध करवाई गई थीं। वर्ष 1988-89 में 1769 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध करवाई गई तथा इस पर 888.78 लाख रुपये खर्च किये गए। वर्ष 1989-90 में 1,098 लाख रुपये सिंचाई

एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 2500 हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए व इतने ही क्षेत्रफल को खेत सारणी के विस्तार के लिए प्रदान किये गये हैं। वर्ष 1989-90 में दिसम्बर, 1989 तक 537 हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाई जा चुकी है।

जल वितरण क्षेत्र

4.33 पहले से सजित सिंचाई सम्भावनाओं का सदुपयोग करने हेतु यह जरूरी है कि जल वितरण कार्यक्रम लागू किया जाये। यह कार्यक्रम मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं तक ही सीमित है। वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य क्षेत्र के अधीन 35.42 लाख रुपये की लागत से 795 हेक्टेयर भूमि में कूल्हे 208 हेक्टेयर भूमि की बाड़ाबन्दी और 40 हेक्टेयर भूमि समतल की गई। वर्ष 1988-89 की अवधि में 70.19 लाख रुपये व्यय करके 1407 हेक्टेयर भूमि में कूल्हे उपलब्ध करवाई तथा 505 हेक्टेयर क्षेत्र में बाड़ाबन्दी की गई। वर्ष 1989-90 के दौरान 1900 हेक्टेयर भूमि में कूल्हे बनाने और 600 हेक्टेयर भूमि में बाड़ाबन्दी के लिए 49 लाख रुपये का प्रावधान है, दिसम्बर 1989 तक 824 हेक्टेयर भूमि में कूल्हे तथा 259 हेक्टेयर भूमि में बाड़ाबन्दी की गई।

बाढ़ नियन्त्रण

4.34 वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः 60.50 तथा 67.11 लाख रुपये खर्च करके 40 हेक्टेयर तथा 139 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया। वर्ष 1989-90 में 240 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से दिसम्बर, 1989 तक 168 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया।

कृषि गणना

4.35 वर्ष 1985-86 की कृषि गणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 7.53 लाख जोतें थीं जो कि वर्ष 1980-81 पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इन जोतों का वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1980-81 में कुल क्षेत्र लगभग 9.80 लाख हेक्टेयर ही रहा। इसके परिणाम स्वरूप औसत जोत जो कि 1980-81 में 1.53 हेक्टेयर थी वर्ष 1985-86 में घटकर 1.30 हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1985-86 में सीमान्त जोतों (एक हेक्टेयर तक) की संख्या 4.63 लाख हो गई जबकि वर्ष 1980-81 में 3.52 लाख थी जबकि लघु जोतों (1.0 से 2.0 हेक्टेयर) वर्ष 1980-81 में 1.40 लाख थी, वर्ष 1985-86 में बढ़कर 1.55 लाख हो गई। 0.5 हेक्टेयर तक की जोतें जो 1980-81 में 2.23 लाख थी वर्ष 1985-86 बढ़कर 2.96 लाख हो गई और 0.5 से 1.0 हेक्टेयर तक की जोतें जो वर्ष 1980-81 में 1.29 लाख थी 1985-86 में बढ़कर 1.67 लाख हो गयीं। लघु जोतों की तुलना में 10.0 हेक्टेयर व उससे अधिक जोतों की संख्या जो वर्ष 1980-81 में 6,954 थी वर्ष 1985-86 में घटकर 5,643 रह गई। लघु जोत 2.0 हेक्टेयर और उससे कम की जोतों के सम्बन्ध में वह प्रतिशत जो वर्ष 1980-81 में 77.2 प्रतिशत थी बढ़कर 82.2 प्रतिशत हो गई और उनके अधीन क्षेत्र की प्रतिशतता जो वर्ष 1980-81 में 35.4 थी बढ़कर 1985-86 में 43.2 हो गई। इसके विपरीत 10.0 हेक्टेयर व इससे अधिक बड़ी जोतों की प्रतिशतता जो वर्ष 1980-81 में 1.1 थी वर्ष 1985-86 में घटकर 0.7 रह गई और उनके अधीन क्षेत्र जो वर्ष 1980-81 में 12.7 प्रतिशत था वर्ष 1985-86 में घटकर 9.7 प्रतिशत रह गया।

भूमि सुधार

4.36 भूमि सम्बन्धी तरीकों में सुधार नीति प्रदेश में वर्ष 1989-90 में लागू की गई है। इस नीति के अन्तर्गत, (क) काश्तकार किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना (ख) भूमि जोतों में भिन्नता को कम करना और, (ग) भू-एकत्रीकरण द्वारा जोतों के विभाजन को रोकना है।

स्वामित्व के अधिकार देना

4.37 हिमाचल प्रदेश काश्तकार एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 गैर-स्वामित्व काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देता है। प्रदेश में 4.29 लाख गैर-स्वामित्व काश्तकार थे (1.03 लाख शिमला मण्डल में, 1.02 लाख मण्डी मण्डल में व 2.24 लाख कांगड़ा मण्डल में) जिन में से 3.91 लाख को स्वामित्व के अधिकार दिये गये हैं (शिमला मण्डल में 0.97 लाख, मण्डी मण्डल में 0.90 लाख व कांगड़ा मण्डल में 2.04 लाख)। शेष 38,000 काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास संरक्षण वर्ग जैसे बच्चे विधवा सेना में कार्यरत और अपंग व्यक्तियों के स्वामित्व की भूमि है।

हिमाचल प्रदेश अधिकतम जोत भूमि अधिनियम 1972

4.38 हिमाचल प्रदेश अधिकतम जोत भूमि अधिनियम, 1972 राष्ट्रीय मार्ग दर्शन रेखा के आधार वर्ष 1972 में लागू किया गया था। भूमि की सीमा तथा ऐसी अन्य शर्तों की छोड़ कर विशेषकर लघु जोत के भूमि आकार आदि इस अधिनियम

की शर्तें लगभग देश के दूसरे राज्य के समान ही हैं। दिसम्बर, 1989 तक शिमला मण्डल में 1,022 मामलों में से 1,016 मामलों को निपटाया गया तथा शेष 6 मामले शिमला मण्डल की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन थे तथा कांगड़ा मण्डल ने 48,059 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित करके इस में से 2,069 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि उपयोग के अन्तर्गत आवंटित की, 24,818 एकड़ भूमि वन विभाग तथा 6,929 एकड़ भूमि मुजारों को हस्तान्तरित की गई तथा 1,793 एकड़ भूमि आवंटन योग्य है परन्तु इसमें खदरों दखतान मलकीयत सरकार है। शेष 12,450 एकड़ भूमि चरान्द/घासनी या कृषि अयोग्य है।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण शमलात भूमि (निहित और उपयोग अधिनियम 1974)

4.39 इस अधिनियम के अधीन धारा तीन के अन्तर्गत गांव की कुल शमलात भूमि भूमिहीनों और पात्र व्यक्तियों को सर्व कल्याण कार्य हेतु प्रदान की जा रही है। जहां कहीं भी आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही है। शिमला मण्डल में सभी भूमिहीन तथा अन्य योग्य व्यक्तियों को भूमि दी जा चुकी है। अन्य योग्य व्यक्तियों तथा भूमिहीनों का पता लगाने के लिए नये सर्वेक्षण किये जा रहे हैं तथा ठीक पाए गए भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी गई। मण्डल मण्डल में 5,037 भूमिहीन तथा 28,999 अन्य योग्य व्यक्तियों जिनकी पहचान की गई, इनमें से अभी तक 5,037 भूमिहीन तथा 28,020 अन्य योग्य व्यक्तियों को भूमि दी गई। जहां तक शेष 979 योग्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का प्रश्न है वह वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के कारण नहीं दी जा सकी। कांगड़ा मण्डल में नवम्बर, 1989 तक 2,125 भूमिहीनों तथा 578 बेघरों को जिनका 1981 व 1983 के सर्वेक्षण में पता लगाया था, कृषि के लिए व घर बनाने के लिए भूमि दी गई। शेष चिन्हित व्यक्तियों की कृषि योग्य अथवा घर निर्माण के लिए उपर्युक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि नहीं दी जा सकती है।

भूमि एकीकरण

4.40 पुराने सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कुल 49 लाख एकड़ भूमि भू-एकीकरण के योग्य है। इसमें से मार्च 1989 तक 17.09 लाख एकड़ भूमि एकत्रित की जा चुकी है। भू-एकीकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मण्डली जिलों में प्रगति पर है। वर्ष 1989-90 में दिसम्बर, 1989 तक 44,271 एकड़ भूमि एकत्रित की गई जबकि लक्ष्य 77,250 एकड़ भूमि का है। वर्ष 1990-91 का लक्ष्य 77,250 एकड़ भूमि एकत्रित करने का है।

पशु पालन

4.41 प्रदेश में पशु पालन के विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण (2) गो जातीय पशु विकास (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास (4) कुक्कुट विकास (5) पशु आहार तथा चारा विकास, (6) दुग्ध विकास वी वितरण योजना और (7) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित है। इस क्षेत्रों की 1989-90 की सम्भावित उपलब्धियां निम्नलिखित है :-

पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण

4.42 इस समय राज्य में 230 पशु चिकित्सालय, 514 औषधालय तथा 83 वाह्य औषधालय हैं जो पशु चिकित्सा और छूत के रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 चलते-फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं जो कि महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त पशु चिकित्सा सुविधा शीघ्र पहुंचाते हैं। प्रदेश में 4 क्लीनिक प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जिनसे पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच की जाती है। राज्य मुख्यालय में एक संनिरीक्षण इकाई कार्य कर रही है जिसके द्वारा पशुओं के रोग की जांच व रोगों का नियन्त्रण किया जाता है। वर्ष 1989-90 में पशु महामारी (रिडरंपैस्ट) जो छूत की विमारी है कि रोकथाम के लिए 4 चैकपोस्ट पंडोगा तथा मांदली जिला ऊना में, स्वारघाट जिला बिलासपुर में तथा मिलवां जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं। इनके द्वारा वर्ष 1989-90 में 48,000 आने जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमाव है।

4.43 वर्ष 1989-90 में पशु चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :-

क्रम संख्या	मद्द	1989-90 की सम्भावित उपलब्धियां ('000)
1	2	3
1.	छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व वाह्य रोगी)	51.00
2.	अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरंग व वाह्य रोगी)	1,706.00

1	2	3
3.	रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय औषधालय आदि में नहीं लाए गए	22.00
4.	टीके लगाए गए	32.00
5.	वधियाकरण किया	96.00
6.	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा	
	(क) छूत	19.00
	(ख) अछत	453.25
7.	परिभ्रमण वधियाकरण	101.15
8.	परिभ्रमण में लगाए गए टीके	617.00

गोजातीय विकास

4.44 प्रजनन के लिए जर्सी नसल को सब जातियों से उचित माना गया है, इसलिए पहाड़ी गायों को जर्म प्लाजम वाली जर्सी से प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर जहां पशु आहार तथा चारा अधिक मात्रा में मिलता है, होल्स्टेनफ्रिजियन नसल से प्रजनन का प्रबन्ध है। भैंसों की बिना परिणत नसल सुधारने हेतु जमें हुए वीर्य से किनौर, कुल्लू तथा लाहौल स्पिति जिले को छोड़कर सभी जिलों में कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गर्भाधान 37 सांड केन्द्रों/चिकित्सालयों (31 गायें तथा 6 भैंसों के लिए) तथा ग्राम सम्बर्धन योजना तथा सघन पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। गोजातीय विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं :—

- (क) ग्राम सम्बर्धन योजना:—इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्बर्धन ब्लॉक तथा 51 ग्राम सम्बर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में कार्यरत है।
- (ख) पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम—यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है तथा 33 केन्द्र/उपकेन्द्र इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों/उप-केन्द्रों में जर्सी होल्स्टीन और रैंड-सिधी जर्सी नसलों का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- (ग) सघन गोजातीय विकास परियोजना—यह परियोजना घनाहटी में स्थित वीर्य बैंक से शिमला जिले की शिमला सुन्नी तहसील में तथा सोलन जिला की तहसील अर्की में 22 केन्द्र/उपकेन्द्रों में चलाई जा रही है।
- (घ) चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं—प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 44 चिकित्सालयों तथा औषधालयों द्वारा दोगली जाति के प्रजनन व कृत्रिम गर्भाधान द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां वीर्य पहुंचाना सम्भव नहीं है वहां 31 गायें सांड तथा भैंस सांड केन्द्रों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- (ङ) कृत्रिम गर्भाधान—उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं वहां 49 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

4.45 विजातीय बछड़ियों के पालन-पोषण की लागत में सहायता करने के लिए सरकार ने प्रदेश में एक अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत लघु व सीमांत किसानों को बछड़ियों के लिए सन्तुलित आहार के रूप में अनुदान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 1989-90 की सम्भावित उपलब्धियां	
		गाय	भैंस
1	2	3	4
1.	कृत्रिम गर्भाधान	1,75,000	26,00
2.	प्राकृतिक गर्भाधान	1,200	2,50
3.	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	72,000	8,00
4.	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बछड़े	900	1,80

4.46 प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को शुरू करने के लिए 5 गोजातीय पशु प्रजनन फार्म कमान्ड व भंगरोट (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा), तथा बागधन (सिरमौर) में कार्यरत हैं। इन सभी पशु प्रजनन फार्मों में 30 सितम्बर, 1989 तक पशुओं की कुल संख्या 560 थीं। ये फार्म विदेशी नस्ल के पशुओं के प्रबन्ध की समस्याओं के अध्ययन में भी सहायता करते हैं। तीन वीर्य कोष जिसमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा 6 तरल नाईट्रोजन सयन्त्र है, राज्य में सांडों का जमा हुआ वीर्य विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में आपूर्ति कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों की लागू करने से वर्ष 1989-90 में 51.5 हजार टन दूध के उत्पादन की सम्भावना है।

भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास

4.47 भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), सरौल (चम्बा) नंगवाई (मण्डी) ताल (हमीरपुर) कड़छम (किनौर) और भेड़ और ऊन केन्द्र चूरी (चम्बा) राज्य में किसानों को उन्नत भेड़ें देते हैं। इन फार्मों में 30 सितम्बर, 1989 को 1,992 भेड़ें थीं। वर्ष 1989-90 में लगभग 680 उन्नत भेड़ें किसानों को वितरित की जाने की सम्भावना है। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए तथा सोवियत मैरीनों और अमरिकन रैम्बुलेट की ख्याति को देखते हुये सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर प्रजनन कार्य शुरू कर दिया है। चार भेड़ प्रजनन केन्द्र कोठीकोहर (कांगड़ा) स्वाद (मण्डी), बागीपुल (कुल्लू), तथा डोडराक्वार (शिमला) में कार्यरत हैं। भेड़ों के विकास के लिए विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को कम कदर पर ऋण प्रदान करने की परियोजना जिला सिरमौर में चलाई जा रही है इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो चम्बा जिले की भरमौर, चम्बा व भटियात तहसीलों में लागू है, के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें दी जाती हैं। तथा डिपिंग व डरेंचिंग की सुविधाओं के साथ चारागाहें उन्नत की जाती हैं। भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। वर्ष 1989-90 में 14.00 लाख किलो ग्राम ऊन उत्पादन की सम्भावना है।

कुक्कुट विकास

4.48 सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिए प्रदेश में 14 कुक्कुट फार्म/केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है:—

क्रम संख्या	मद्द	वर्ष 1989-90 की सम्भावित उपलब्धियां
1	2	3
1.	सरकारी फार्मों पर अण्डे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	4,565
2.	अण्डों का उत्पादन	8,95,500
3.	चूजों का उत्पादन	2,13,500
4.	चूजे निकालने के लिए रखे गए अण्डे	2,54,000
5.	खाने के लिए अण्डों का विक्रय	5,95,000
6.	चूजे निकालने के लिए अण्डों का विक्रय	6,600
7.	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	1,21,000
8.	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	82,000

4.49 विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए हैं, वर्ष 1989-90 में 100 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.50 उच्च वर्ग के पशुओं का उत्पादन तथा संरक्षण उचित मात्रा में पौष्टिक पशु आहार तथा उन्नत चरागाहों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रदेश में चरागाहों व घासनियों तथा बीजों के विकास व वितरण और उन्नति के उद्देश्य हेतु सरकार अपने कार्यक्रमों को राज्यों में पशु आहार के साधनों की उन्नति की ओर केन्द्रित कर रही है। अच्छी किस्म की घास की पौध किसानों तथा बागीचे वालों को कम मूल्य पर दी जा रही है।

गन्ध शालाएँ विकास तथा दुग्ध वितरण योजना

4.51 दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू, तथा नाथपा झाखड़ी में चार दुग्ध वितरण योजनायें विभाग द्वारा, चलाई जा रही हैं। वर्ष 1989-90 में इन योजनाओं के द्वारा 16.60 लाख लीटर दूध इकट्ठा करने का लक्ष्य है।

मत्स्य

4.52 वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा देखा गया है कि राज्य के जलाशयों में लगभग 98 किस्म की अन्तर्देशीय व विदेशीय मत्स्य प्रजातियां हैं। इनमें इण्डियन मेजर व माईनर कार्पस, कैटफिशिज, कोविटाईड, लैसखेरिल, विजातीय ट्राऊट, प्रोशियन कर्प माईटी-महाशीर, स्नोट्राऊट व पहाड़ी ट्राऊट इत्यादि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश विशाल एवं विभिन्न प्रकार के मत्स्य स्त्रोतों से सम्पन्न राज्य है जिससे ठण्डे जल से नदी नालों और जलाशयों का जाल बिछा है जिसमें उष्ण कटिबन्धीय टैम्परेट व सब-टैम्परेट की मत्स्य प्रजातियां हैं। मुख्यतः नदीय लक्यूस्ट्राईन, रिकीशानल और पौंड फिशरिज में वर्गीकृत राज्य के जलों में मत्स्य विकास की काफी सम्भावना है। वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य में इन सभी स्त्रोतों से मत्स्य उत्पादन 4, 300 टन लक्ष्य तक पहुंचने की सम्भावना है तथा गोविन्द सागर जलाशय से 80 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर रिकार्ड मत्स्य उत्पादन होने की सम्भावना है, जोकि राष्ट्रीय औसत 14.5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से लगभग 6 गुणा अधिक होगा। इस जलाशय से दिसम्बर, 1989 तक 565 टन मछली उत्पादन था जबकि पिछले वर्ष दिसम्बर, 1988 तक 563 टन था। वर्ष 1989-90 के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन 8 मिलियन से बढ़कर 15 मिलियन हो गया। चार विभागीय फार्मों से अत्यन्त वाणिज्यिक किस्म की भारतीय मेजर कार्प मछली का उत्पादन करवाया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म मिलवा में दिसम्बर 1989 तक 5.77 लाख फ्राई फिश की पैदावार की गई। इस फार्म को 1988-89 में चालू किया गया। वर्ष के दौरान संरक्षण उपायों को सशक्त किया गया तथा अवैध मत्स्याखेट के 1,236 मामलों को दर्ज किया गया। ट्राऊट मछली के उत्पादन को वाणिज्यिक आधार पर लाने के लिए लोकप्रिय बनाने हेतु कुल्लू घाटी में भारत नोरवे परियोजना प्रारम्भ की गई। इसके लिए मशीनें और कुछ अन्य फार्म उपकरणों का निर्यात किया जा चुका है तथा उत्तम किस्म के एक लाख आंख वाले ओवा की पहली प्रेषण मार्च 1990 तक पहुंचने की सम्भावना है और इसके साथ साथ उत्तम किस्म की रेनबो ट्राऊट का आयात किया जा रहा है।

4.53 अनुसूचित जातीय विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 265 माहिगिर परिवारों को अनुदान दिया गया तथा ट्राऊट बीज फार्म तांगला में 20,836 ट्राऊट ओवा का उत्पादन किया गया। विभिन्न क्रियाकलापों के अन्तर्गत भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नतालिका में दिया गया है।

क्रमांक	मद्द	लक्ष्य	उपलब्धियां	
			दिसम्बर, 1989 तक	मार्च, 1990 तक सम्भावित
1	2	3	4	5
1.	मत्स्य उत्पादन (टन)	4,300	2,916	4,300
2.	मत्स्य बीज उत्पादन-मिर् व मेजर कार्प, ट्राऊट ओवा (मिलियन)	22.00	15.00	20.00
3.	पंजीकृत मछुआरे (संख्या)	11,000	10,108	11,000
4.	अवैध मत्स्य खेट के पकड़ गए मामले (संख्या)	—	1,236	—

वन

4.54 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.7 प्रतिशत अर्थात् 37,691 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। घने जंगलों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। इन वनों से अखबारी कागज, रेओन ग्रेड पल्प, आर्ट पैपर, गत्ता तथा कपड़ा उद्योग के

लिए कच्चे माल के अतिरिक्त ऐसी जड़ी बूटियां जो औषधियां तैयार करने के काम आती हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ वन, भूसंरक्षण तथा नदियों में पानी का बहाव उचित मात्रा में बनाये रखने में भी सहायता करते हैं। जिसके फलस्वरूप बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाओं को भी संरक्षण मिलता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति में विद्यमान साधनों के संरक्षण, प्रबन्ध कार्य समुचित तरीके से चलाना तथा साथ-साथ इसकी नींव का विस्तार करना सम्मिलित है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की वन नीति राष्ट्र की वन नीति के ही अनुसार सितम्बर, 1980 को लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं।

1. हिमाचल प्रदेश में सन् 2000 तक वनों के क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत तक बढ़ाना जो कि भूमि उपयोग की अधिकतम सीमा है जबकि प्रदेश का लगभग एक तिहाई भाग बर्फ के नीचे ढका हुआ है;
2. चीड़ी पत्ती वाले किस्म के पौधों की खेती करने के लिए प्रभावकारी सामाजिक तथा प्रक्षेत्र वाणिकी कार्यक्रम अपनाए गये ह जो कि काम के बदले भोजन तथा अन्य वाणिकी योजनाओं के अन्तर्गत चारा, ईंधन व फल दे सकें तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेतों के बांधों की बेकार जमीन पर छोटे-छोटे पौधे लगाये जाएंगे;
3. उद्योगों के लिए वनों का सही क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाली किस्मों का पौधरोपण करना;
4. चरागाहों को उनकी उपज बढ़ाने के लिए सुधारना;
5. सड़कों व सिंचाई कूलों के किनारे गहन पौधरोपण करना;
6. वनों में निजी जमीन के धारकों के हक को नियमित करना;
7. कार्यकारी योजनाओं का संशोधन तथा अद्यतन कार्य का शीघ्र निपटाना तथा इस कार्य को रुकने न देना;
8. वाणिज्य पेड़ कटान को कम कर उस पर नियन्त्रण रखना;
9. उद्यान कार्यों के लिए प्रतिस्थानिक सामान ढूँढ़ने के लिए शोध कार्य को ग्रहण करना;
10. रेजिन व्यापार सहित सारे वन शोषण कार्यों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि ठेकेदारों को वनों में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके।

4.55 उपयुक्त नीति निर्णयों को पूरा करने के उद्देश्य से योजना कार्यक्रम बनाये गये हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

वन रोपण

4.56 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 1989 माह के अन्त तक 3612 हैक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे चिलगोजा के पेड़ लगाने, चरागाहों का सुधार इत्यादि कार्य किए गये। जबकि लक्ष्य 1989-90 में 4,840 हैक्टेयर का रखा गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989-90 में 24,707 हैक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर 1989 तक 13,953 हैक्टेयर क्षेत्र में 7.45 करोड़ रुपये खर्च कर सामाजिक वाणिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वन रोपण किया गया, साथ ही साथ ग्रामीण ईंधन, सामाजिक वन रोपण योजना के अधीन दिसम्बर, 1989 के अन्त तक 1801 हैक्टेयर क्षेत्र 1.16 करोड़ रुपये की लागत से लाया गया।

धौलाधार में प्रक्षेत्र वाणिकी परियोजना

4.57 इस परियोजना की अवधि 31-3-89 को समाप्त हो गई है। संघीय गणराज्य जर्मनी की मदद से चलाई जा रही इस परियोजना द्वारा वनरोपण, पशुपालन व लकड़ी बचाने वाले साधनों इत्यादि कार्यों में काफी सहायता मिली है। इसके अलावा परियोजना क्षेत्र में भूमि पर संरक्षण कार्यक्रम में भी बहुत सहायता मिली।

भारत जर्मनी आर्थिक विकास परियोजना (चंगर क्षेत्र परियोजना)

4.58 जबकि धौलाधार प्रक्षेत्र वाणिकी परियोजना 31-3-89 को अपनी अवधि पूर्ण कर चुकी है इसी से मिलती जुलती एक अन्य परियोजना पालमपुर उपमण्डल के चंगर क्षेत्र के लिए 18.71 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से चलाये जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विभाग जैसे वन, कृषि, बागवानी और पशुपालन को सम्मिलित कर उनका एकीकरण किया जायेगा।

विश्व बैंक की सहायता से हिमालय पहाड़ियों के लिए वाटर-शैड विकास परियोजना (कन्डी परियोजना)

4.59 इस एकीकृत वाटर शैड परियोजना (हितज) को विश्व बैंक की मदद से चलाया जायेगा इसका उद्देश्य पांच नदियों जैसे

चफहा, स्या, सिरता, घग्घर व मारकन्डा के जल ग्रहण क्षेत्रों का इकोलोजिकल पुर्नवास करना है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जितने कन्डी क्षेत्र शामिल हैं और जो सूबे से वष भर अत्याधिक प्रभावित रहता है व यहां भूमि का कटाव भी अधिक तथा सूखी भूमि पर काश्त की पद्धतिसे कृषि व बागवानी के उत्पादन को बढ़ाना है। इस परियोजना के अधीन वन, कृषि बागवानी, पशुपालन जैसे विभागों का एकीकरण किया जायगा।

वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण

4.60 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों से सम्बन्धित क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आखेट स्थलों व शूटिंग खण्डों में सुधार लाना है ताकि लुप्तप्रायः हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्ष 1989-90 में 90 लाख रुपये लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर 1989 तक 27.16 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई जा सकी।

वन सुरक्षा

4.61 वनों को अग्नि, अत्रैय गिरान तथा प्रतिक्रमण आदि खतरों का सामना प्रायः करना पड़ता है इसलिए आवश्यक है कि उचित स्थलों पर चैक-पोस्ट्स को स्थापना, अग्नि शमन उपकरणों का प्रावधान व दूरभाष यन्त्रों की स्थापना की जाये। इस वर्ष भी यह योजना जारी रखी गई जिसे अगस्त वर्ष 1989-90 में 25 लाख रुपये लक्ष्य के मुकाबले 16.24 लाख रुपये की धन-राशि व्यय की गई।

5. उद्योग

5.1 हिमाचल प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रदेश के शान्त वातावरण तथा राजनैतिक स्थिरता के फलस्वरूप प्रदेश के भीतर तथा बाहर से उद्यमी इस प्रवेश में अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस समय प्रदेश में मध्यम एवम् बड़े पैमाने की 118 इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें 14,580 व्यक्ति रोजगार पर लगे हैं और लगभग 300.00 करोड़ रुपये की पूँजी का निवेश किया गया है। लघु पैमाने के उद्योग क्षेत्र में 19,500 इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें लगभग 73,000 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त है। लघु पैमाने के उद्योगों में लगभग 242 करोड़ रुपये की पूँजी का निवेश हुआ है। वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ जारी रहीं।

औद्योगिक परियोजना अनुमोदन एवं समीक्षा प्राधिकरण (आई-पारा)

5.2 इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों को उनकी परियोजनाओं के कार्यन्वयन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/ एजेंसियों से जो सम्बन्धित हों उनके साथ समन्वय स्थापित करना है। मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए आई पारा की स्वीकृति अनिवार्य है। वर्ष 1989-90 के दौरान दिसम्बर 1989 तक आई 0 पारा 0 ने 28 नई परियोजनाओं का अनुमोदन किया जिसमें पूँजी निवेश 315 करोड़ रुपये और रोजगार सम्भावनाएं 6,000 व्यक्तियों के लिए हैं।

जिला उद्योग केन्द्र

5.3 प्रदेश के सभी जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योगों को उन्नत करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है। दिसम्बर, 1989 तक 4,848 कारीगर तथा 3,912 उद्यमियों की पहचान की गई है। इसके इलावा 2,992 लघु इकाइयों को अस्थायी रूप से और 904 लघु इकाइयों को स्थायी रूप से पंजीकृत किया गया। लघु उद्योग विकास संगठन (सिडो) व अन्य उद्योगों (नोन सिडो) के अन्तर्गत 2000 तथा 936 रोजगार अवसरों का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त 2,020 लघु पैमाने की इकाइयों की परियोजना को अनुमोदित किया गया।

औद्योगिक क्षेत्र

5.4 उद्यमियों में सावधान सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए (1) परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा साहिब, महतपुर शमशी, नगरोटा बगवां, बिलामपुर, रिकांग पिआो तथा संसारपुरटैरस में औद्योगिक क्षेत्र, सोलन में (चम्बाघाट) मण्डी, परवाणु, हमीरपुर, शोधी, चम्बा, अम्ब और बरोटीवाला में इलक्ट्रॉनिक कम्प्लैक्स, (2) सोलन, धर्मपुर, कांगड़ा, ज्वाला, देहरा-गोमोपुर में औद्योगिक सम्पदा स्थापित किए, इसके अतिरिक्त प्रदेश में और अधिक औद्योगिक क्षेत्र सम्पदा की पहचान की गई।

कला एवम् प्रदर्शनी

5.5 राज्य की विभिन्न इकाइयों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की विक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेता है। वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हथकरघा निर्यात नई दिल्ली, कानपुर, बम्बई, कुल्लू, नेहरू महोत्सव, बंगलौर राष्ट्रीय जनजाति प्रदर्शनी उत्सव रांची में, दशहरा कुल्लू में तथा लवी मेला रामपुर में, राज्य ने भाग लिया।

उद्यमी विकास कार्यक्रम

5.6 वर्ष 1989-90 में उद्यमी विकास पाठ्यक्रम के साथ-साथ संस्थान संयंत्र और बाहरी सर्वेक्षण के प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये गए। इसके अतिरिक्त एक पखवाड़े के पाठ्यक्रम उद्यमियों को सम्बन्धित सूचना देने तथा औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोक्षित आवश्यकताएँ तथा कार्य पद्धतियों से अवगत करवाने के लिए आयोजित किए गए हैं। वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत 14 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई 0डी 0पी 0) के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत 348 व्यक्तियों के प्रशिक्षण दिया तथा 8 औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 209 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

रेशम उद्योग

5.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिसमें किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों को पालने तथा कोकून को बेचने से वह अपनी आय में वृद्धि करते हैं। वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत 80,320 किलोग्राम गोलाकार कोकून तथा 5,910 मीट्रिक टन कच्चा रेशम तैयार किया गया।

औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन

5.8 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.84 करोड़ रुपये की धन राशि केन्द्रीय पूंजी निवेश उपदान तथा 64.40 लाख ₹0 की धन-राशि केन्द्रीय परिवहन उपदान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को जनवरी, 1990 तक बांटी गई।

सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश

5.9 उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में निवेश के लिए वर्ष 1989-90 में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

		(लाख रुपयों में)
क्रम संख्या	निगम का नाम	1989-90 बजट प्रावधान
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम	230.00
2.	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	200.00
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवम् निर्यात निगम	8.00
4.	हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	11.00
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	80.00

चाय उद्योग

5.10. चाय का उत्पादन कांगड़ा एवं मण्डी जिलों में समुद्र तल से 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,385 चाय सम्पदाएं कार्यरत हैं जो 3,212 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत 22.00 लाख रुपये का प्रावधान चाय उद्योग के विकास के लिए रखा गया है।

खनिज विकास

5.11 वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत निम्नलिखित अन्वेषण औद्योगिक विभाग के भूसर्वेक्षण भाग द्वारा किए गये।

- (1) अर्की क्षेत्र (जिला सोलन):—अर्की व इसके समीप वर्ती क्षेत्रों में चूने के भण्डारों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्य प्रगति पर है ताकि यहां के खनिजों का प्रयोग सीमेंट व स्टील उद्योग में किया जा सके।
- (2) मूलक मैदान भोजपुर क्षेत्र सुन्दरनगर:—इस क्षेत्र के चूने के भण्डारों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्य प्रगति पर है और जिला मण्डी का काम भी लगभग इस वर्ष पूरा हो जाने की सम्भावना है।
- (3) बगा क्षेत्र (जिला सोलन):—चूने की श्रेणी व आर्थिक जीविगुता जानने हेतु विस्तृत ऋण तथा नमून का कार्य प्रगति पर है। यह जानने के लिए कि इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए किया जा सके।
- (4) कामरु व संगड़ा (जिला सिरमौर):—खानों के खनन के जो कार्य प्रगति पर हैं, उनमें सधार हेतु योजना बनाई जा रही है और उपचारी परिस्थिक उपाये सुझाए जा रहे हैं।
- (5) द्रंग गुम्मा क्षेत्र (जिला मण्डी):—नमक की आगामी निकासी हेतु सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु रूपल ड्रिलिंग कार्य प्रगति पर है ताकि नमक पर आधारित उद्योगों में इस खनिज घटक का प्रयोग किया जा सके।
- (6) कसलोग क्षेत्र (जिला सोलन):—कसलोग क्षेत्र तहसील अर्की में चूने के पत्थरों की खोज के लिए तीव्र गति से पग उठाये जा रहे हैं ताकि वहां पर एक मिलियन टन का संयंत्र लगाया जा सके।
- (7) हरितलंगर (जिला हमीरपुर):—ड्रिल गड्डे का कार्य सफलता पूर्वक हरितलंगर क्षेत्र में किया गया ताकि वहां के लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। हाथ से चलाने वाला पम्प जिसका नाम इंडिया मार्क- II है भी लगाया गया।

इन खोजों के अतिरिक्त, औद्योगिक विभाग के भूसर्वेक्षण भाग ने प्लों के बनाने के स्थान का सर्वेक्षण, भू-रखलन/भूमिबटाव की समस्याओं तथा सिंचाई परियोजनाओं का कार्य भी आरम्भ किया।

6. विद्युत

6.1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ऐसी अनेक परियोजनाओं की खोज व कार्यान्वयन का प्रयास कर रहा है जो कि आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत/मितव्ययी सिद्ध हो सके। इसके साथ-साथ शीघ्र औद्योगीकरण के लिए विद्युत संचारण की अति तीव्रता से प्रदेश भर में विस्तार किया जा रहा है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि अत्याधिक कठिन पहाड़ी क्षेत्र के बावजूद प्रदेश के सभी आबाद गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है।

6.2. प्रारम्भिक जल विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों से जल विद्युत उत्पादन बढ़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बनाकर सम्भावित क्षमता 12,700 मैगावाट आंकी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के नदी क्षेत्रों में अभी ऐसे स्थानों की पहचान बाकी है जिन पर मध्यम, लघु व सूक्ष्म परियोजनाएं बना कर विद्युत क्षमता में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। थर्मल व अणुशक्ति-जन्य के उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण बहुत सी चिन्हित परियोजनाएं जिनको उत्पादन की अस्थिर अधिक लागत के कारण उपरोक्त जल-विद्युत क्षमता में शामिल नहीं किया गया था, भी भविष्य में आर्थिक दृष्टि से कार्यान्वयन योग्य हो जाएंगे। इन दो पहलुओं की देखते हुए हिमाचल की कुल जल-विद्युत क्षमता का कच्चा अनुमान 20,000 मैगावाट व इससे भी अधिक आंका जा सकता है। कुल क्षमता में से अभी तक 3,229.44 मैगावाट क्षमता का दोहन किया गया है जिसमें से हिमाचल प्रदेश के अधीन केवल 152.07 मैगावाट है, क्योंकि बड़े भाग का दोहन केन्द्रीय सरकार व अन्य अभिकरणों ने किया है। राज्य की विशाल जल विद्युत क्षमता उत्तर भाग के विद्युत विकास कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभा सकती है जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी।

6.3. प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना से जल विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इससे न केवल राज्य की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि उत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए बड़े, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म परियोजनाओं को सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने का राज्य में चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है तथा साथ ही साथ पहले से आरम्भ की गई परियोजनाओं की भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाएगा।

6.4. जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त विद्युत संचारण तथा वितरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि राज्य में इन परियोजनाओं द्वारा विद्युत औद्योगिकी की जा सके तथा उपयोग के लिए विद्युत का वितरण किया जा सके। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संचारण तथा वितरण योजनाएं तैयार की गई हैं तथा कुछेक पर कार्य आरम्भ भी किया जा चुका है। राज्य में विभिन्न औद्योगिक परिसरों की बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष विद्युत संचारण तथा वितरण योजनाएं शुरु करने का प्रस्ताव है।

6.5. ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश ने आसाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य देर से आरम्भ किया था तथा इसका कठिन पहाड़ी क्षेत्र है यह एक बहुत संतोषजनक बात है कि जनगणना 1981 के अनुसार प्रदेश के सभी 16,807 आबादी वाले गांव जून, 1988 के अन्त तक विद्युतीकरण किये जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां पर कुल जनसंख्या की 93 प्रतिशत जन संख्या गांवों में रही है ग्रामीण विद्युतीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे न केवल रोशनी मिलती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए कुटीर उद्योगों को भी सहायता मिलती है।

(क) उत्पादन

संजय विद्युत परियोजना (भावा 120 मैगावाट)

6.6. 40-44 मैगावाट क्षमता वाली 120 मैगावाट की तीन ईकाईयों वाली परियोजना का कार्य मार्च, 1989 में समाप्त किया जा चुका है तथा मई, 1989 में वाणिज्यिक उत्पादन भी आरम्भ किया जा चुका है।

चालू परियोजनाएं

थिरोट विद्युत परियोजना (4.5 मैगावाट)

6.7. 4.5 मैगावाट क्षमता वाली यह परियोजना जिला लाहौल एवं स्पिति में लाहौल की जनजातीय घाटी में चालू है। इस परियोजना की बाद की अनुमानित लागत 26.79 करोड़ रुपये है। इस परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत लाहौल एवम् पांगी के

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उपयोग की जाएगी तथा अधिशेष विद्युत को जिजा कुल्लू के मनाली क्षेत्र में उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 1990-91 में आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

बनेर विद्युत परियोजना (12 मैगावाट)

6.8 वर्ष 1981 में 6 मैगावाट क्षमता रखने वाली यह परियोजना स्वीकृत की गई थी जो कि बाद में बढ़ा कर 12 मैगावाट कर दी गई है। इसकी बाद की अनुमानित लागत 31.63 करोड़ रुपये है। परियोजना के सिविल कम्पौनेन्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा उत्पादन उपकरणों को खरीदने हेतु आदेश दे दिए गए हैं। इस परियोजना को वर्ष 1992-93 में आरम्भ करने की योजना है।

गज विद्युत परियोजना (10.5 मैगावाट)

6.9 यह परियोजना वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई थी इसकी बाद में अनुमानित लागत संशोधित करके 30.75 करोड़ रुपये कर दी गई थी। इस परियोजना का सिविल कम्पौनेन्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा उत्पादन उपकरणों को खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। परियोजना के वर्ष 1991-92 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

भावा विकास योजना

6.10 जून, 1987 में योजना आयोग द्वारा भावा विकास योजना की अनुमानित लागत 9.64 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है जबकि बाद में इसकी अनुमानित लागत संशोधित करके 13.75 करोड़ रुपये कर दी गई है। भावा विद्युत गृह से इस योजना के अन्तर्गत 54 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जाएगा जिससे 3 मैगावाट फर्म पावर की वृद्धि होगी जिसका निर्माण कार्य अगस्त, 1988 में शुरू किया जा चुका है।

किल्लर विद्युत परियोजना (300 किलोवाट)

6.11 राज्य बिजली बोर्ड ने इस योजना के लिए 1.73 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है तथा इसे राज्य योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया है।

साल चरण—II विद्युत परियोजना

6.12 चालू कीमतों पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 6.45 करोड़ रुपये है सातवीं योजना के अन्त तक 0.93 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मैगावाट)

6.13 इस परियोजना का कार्य संयुक्त रूप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निगम के लिए स्वीकृत ज्ञापन तथा साहचर्य अनुच्छेद के अनुसार ऋण ईक्विटी अनुपात 1:1 किया गया। उत्पादन कार्य हेतु इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 437 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया यह ऋण सीधा नाथपा-झाखड़ी निगम को आवंटित किया जाएगा तथा ईक्विटी बाजार भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा इस परियोजना की अनुमानित लागत 6.678 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की वित्त योजना में प्रतिशत लागत के आधार पर नाथपा झाखड़ी निगम को 17 प्रतिशत ऋण एवं 33 प्रतिशत ईक्विटी भारत सरकार द्वारा तथा 37 प्रतिशत ऋण तथा 13 प्रतिशत ईक्विटी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा है।

6.14 वर्ष 1988-89 के दौरान विद्युत उत्पादन 698.8 मिलियन यूनिट था जबकि चालू वर्ष में दिसम्बर, 1989 तक 791 मिलियन यूनिट था। दिसम्बर, 1989 तक 139 पम्पसेटों का उर्जयन किया गया।

ख—संचार तथा वितरण

6.15 राज्य में बिना रुकावट के विद्युत आपूर्ति तथा नई योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन को शुरू करने के लिए संचार तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है साथ ही विभिन्न अन्तर्राज्यीय तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से भी विद्युत

आपूर्ति का हिस्सा भी प्राप्त करना है अतः राज्य बिजली बोर्ड राज्य में संचारण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में व्यस्त है। वर्ष 1989-90 में संचारण लाइनों तथा सब-स्टेशनों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं :—

- (i) 220 के वी० डी० सी० भावा-पंचकुला लाईन एवम् 220/132 के वी० सबस्टेशन कुनिहार
- (ii) 220 के वी० कोडरी-माजरी लाईन एवम् 220/132 के वी० सब स्टेशन, माजरी।
- (iii) 132 के वी० सोलन कुनिहार लाईन।
- (iv) 132 के वी० डी०/सी० एफ० कुनिहार-बरोटीवाला लाईन एवम् 132/33 के वी० सब स्टेशन, बरोटीवाला।
- (v) 40/36/4 एम० वी० ए०, 220/132 के वी० ट्रांसफार्मर डैहर।

वर्ष 1989-90 में 220/132 के वी० संचारण लाइनों तथा सब-स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर रहा :—

- (i) 220 के वी० कोडरी-माजरी लाईन (दूसरा सर्कट)
- (ii) 132 के वी० बी० सी० लाईन, जसौर-देहरा एवम् सब स्टेशन देहरा।
- (iii) परवाणु तथा बरोटीवाला सब-स्टेशनों का विकास कार्यक्रम
- (iv) 66 के वी० संचारण लाईन पौंग संसारपुर टैरस एवम् सब-स्टेशन संसारपुर टैरस।

7. रोजगार

7.1 1981 जनगणना के अनुसार प्रदेश में लगभग 42 प्रतिशत व्यक्ति कामगार थे। कुल कामगारों में 53 प्रतिशत पुरुष तथा 32 प्रतिशत स्त्रियां थीं उनमें से 19 प्रतिशत सीमांत कामगार थे जिन्होंने उल्लेखित वर्ष में 6 मास से कम कार्य किया। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 34 प्रतिशत मुख्य कामगार थे, जिन्होंने उल्लेखित वर्ष में 6 मास तथा उससे अधिक कार्य किया और पुरुषों की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत तथा स्त्रियों की जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत मुख्य कामगार थे। कुल मुख्य कामगारों में लगभग 71 प्रतिशत काशतकार व कृष्य श्रमिक, 2 प्रतिशत घरों, उद्योगों कारखानों, विधायनों, सेवाओं एवं मुरम्मत की दुकानों में काम करने वाले थे जबकि केवल 27 प्रतिशत अन्य कामगार थे।

जनशक्ति तथा रोजगार योजनाएं

7.2 रोजगार सेवा परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं (क) उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना, (ख) छटनी व फालतु घोषित किये गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, (ग) रोजगार देने वाले को उपयुक्त उम्मीदवार भोजना, (घ) रोजगार अफसरों तथा प्रशिक्षण अफसरों का पता तथा बाजार की जरूरतों के मुताबिक कामगारों को उनके सम्बन्धित प्रशिक्षण देना। 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों 35 रोजगार उप कार्यालयों, एक राज्य रोजगार विपणन सूचना ईकाई, 12 जिला स्तरीय रोजगार विपणन सूचना इकाइयों 3 व्यावसायिक निदर्शन इकाइयां, विकलांगों के लिए एक विशेष इकाई, तथा हिमाचल वासियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यमों से राज्य में रोजगार सहायता सूचना दी जा रही है।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

7.3 पिछले वर्ष की अपेक्षा साधारणतया 31 दिसम्बर, 1989 तक जीवित पंजीयका में प्रार्थियों की संख्या 16.3 प्रतिशत ज्यादा थी जबकि विभिन्न कार्यालयों द्वारा सूचित खाली स्थानों की संख्या 26.9 प्रतिशत बढ़ गयी थी तथा 4.9 प्रतिशत ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। 1 जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में कुल 1,19,204 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 7,804 व्यक्तियों को रोजगार मिला। विभिन्न कार्यालयों द्वारा अधिसूचित खाली स्थानों की संख्या 11,643 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1989 तक जीवित पंजीका में संख्या 4.28 लाख थी।

रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम

7.4 वर्ष 1960 से ई0 एम. आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला-स्तर पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्रथम त्रिमास में अर्थात् जनवरी से मार्च, 1989 तक प्रदेश में कुल कर्मी 2.78 लाख (सार्वजनिक क्षेत्र 2.51 लाख और निजी क्षेत्र 0.27 लाख) थे। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार का केन्द्र की सेवाओं में 6.24 प्रतिशत, राज्य की सेवाओं में 69.85 प्रतिशत, केन्द्रीय अर्ध सरकारी क्षेत्र में 6.24 प्रतिशत, राज्य अर्ध सरकारी क्षेत्र में 16.39 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों में 1.28 प्रतिशत कर्मी काम कर रहे थे।

व्यवसायिक सुझाव कार्यक्रम

7.5 व्यवसायिक सुझाव एवं रोजगार सलाह जैसे कार्यक्रम उनके लिए बनाये गये हैं जो कि इस प्रकार की सहायता चाहते हैं। व्यवसायिक सुझाव का सही अर्थ है युवा पीढ़ी की सहायता जबकि रोजगार परामर्श केवल व्यस्कों की सहायता के लिए है। राज्य रोजगार निदेशालय इस कार्य की राज्य के शिक्षा विभाग की सहायता से व्यवस्थित करता है। राष्ट्रीय नीतियों तथा तरीकों से सम्बन्धित मसले, कर्मचारियों को प्रशिक्षण सामान व औजारों को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल रखने के लिए महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की केन्द्रीय वैकल्पिक इकाई, राज्य में निदेशक रोजगार निदेशालय की सहायता कर रही है। रोजगार कार्यालय में प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक के नियन्त्रण में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 31-12-1989 तक निम्नलिखित उपलब्धियां हुई हैं :—

(संख्या)

मह

दिसम्बर, 1989 तक की उपलब्धियां

(क) वैयक्तिक कार्यक्रम :

1. व्यक्तियों का वैयक्तिक मार्ग दर्शन

11,963

2. व्यक्तियों का पंजीकरण के समय वैयक्तिक मार्गदर्शन	
3. व्यक्तियों को वैयक्तिक सूचना दी गई:	11,581
(क) डाक द्वारा सूचना मिली	3,571
(ख) आदमियों द्वारा सूचना	3,701
(ग) पुराने केस जीवित पंजीका से प्राप्त हुए	1,587
(ख) सामूहिक कार्यक्रम :	
1. सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया गया	993
2. स्कूल व कालेजों में जीवनवृत्ति/सामूहिक निदेशन पर भाषण दिये गये	602
3. व्यक्तियों द्वारा सामूहिक चर्चाओं में भाग लिया गया	13,623
(ग) समन्वय गतिविधियाँ :	
1. स्कूलों, कालेजों में जीवनवृत्ति के लिए मार्गदर्शन गतिविधियाँ तथा सम्मेलनों/प्रदर्शनियों को आयोजित करने के लिए निदेशन इकाईयों को बढ़ावा देना	463
2. रोजगार/अफसरी/प्रशिक्षण सुविधाओं पर सूचना एकत्रित करने के लिए रोजगार संस्थाओं में जाना	222

इसी वर्ष पूरे प्रदेश में 24 जुलाई से 8 अगस्त, 1989 तक व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सलाहकार हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

7.6 केन्द्रीय रोजगार कक्ष की स्थापना प्रदेश में निजि क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में तकनीकी आवेदकों तथा हुनर वाले आवेदकों को रोजगार देने के लिए की गई है। इस कक्ष की स्थापना राज्य के श्रमिक एवं रोजगार निदेशालय के अधीन की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल तकनीकी आवेदकों की निजि क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भर्ती है। इस परियोजना के अन्तर्गत एक तरफ तो निजि क्षेत्र में रोजगार चाहने वालों को उनकी योग्यता एवं अनुभवों के आधार पर रोजगार दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ नियुक्ताओं द्वारा सही श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत इस कक्ष में 17,890 आवेदक पंजीकृत हैं जिनका पंजीकरण उनके तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया गया जिसे कि मुख्य रोजगार कार्यालयों से भेजा गया होता है निजि क्षेत्र संस्थाओं के 274 नियोजकों में विभिन्न किस्मों को 982 रिक्तियाँ सूचित की थी तथा जिसमें 275 रिक्तियाँ तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग की थीं जो कि 216 नियोजकों द्वारा अधिसूचित की गई थी। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के लिए 7,591 आवेदकों को बुलाया था जिनमें से 3,870 आवेदक तकनीकी एवं उच्च कुशल (हुनर) वर्ग के थे। दिसम्बर, 1989 तक प्रदेश में कुल 474 व्यक्तियों की विभिन्न निजि क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों में रोजगार दिया गया था जिनमें से 82 व्यक्ति तकनीकी एवं उच्च कुशल वर्ग के थे।

विकलांगों के लिये विशेष कक्ष

7.7 जनवरी से दिसम्बर, 1989 के अन्तर्गत जीवित पंजीका पर 749 विकलांगों को और पंजीकृत करके विकलांगों की संख्या 3,658 हो गई थी। इसके अतिरिक्त 59 अनुरक्षित नियुक्तियाँ अधिसूचित की गई थी तथा 206 विकलांगों को साक्षात्कार के लिए पत्र जारी किये गये थे। इस वर्ष 54 विकलांगों को लाभकारी रोजगार में रखा गया था।

ग्रामीण विकास तथा रोजगार

7.8 ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य (क) अधिक उत्पादन (ख) अधिक रोजगार, (ग) आय का समान वितरण (घ) ग्रामीण मरीजों पर अधिक निवेश करना (ङ) ग्रामीणों का स्वास्थ्य व सफाई, पौष्टिक व सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ अधिक ध्यान आकर्षित करवाना इत्यादि है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1989-90 में राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यरत रही।

सामूहिक विकास कार्यक्रम

7.9 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की सहायता से ग्रामीणों का एकीकृत विकास करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समितियों को प्राथमिक स्कूलों के निर्माण, मुरम्मत, सामान्य शिक्षा के भवन निर्माण, विभिन्न

सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रामीण क्रीडाओं इत्यादि सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें तथा पगडंडियों के निर्माण के लिए औरतों व साथी कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए महिला मण्डलों का उत्साह बढ़ाने पुरस्कार देने तथा गैर कर्मचारियों का सम्मेलन करने के लिए भी मिश्रित कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय में तथा कार्यालय से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाता है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

7.10 यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित है तथा इस स्कीम का उद्देश्य लघु किसानों व सीमांत किसानों कृष्य श्रमिकों, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उनको ऊपर उठाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को उत्पादक सम्पत्ति एवं रोजगार देना तथा जहां आवश्यकता हो विभिन्न उपदानों एवं संस्थागत ऋणों की सहायता से कालकारी पूंजी सहित आय उत्पादन सम्पत्ति का प्रबन्ध करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,951 पुराने एवं नये परिवारों को फरवरी, 1990 तक सहायता दी गई। 1989-90 के लिए 7,558 नये परिवारों को लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 485.43 लाख रुपये खर्च किए गये।

स्वयं रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसन)

7.11 यह कार्यक्रम एकीकृत विकास कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवकों को कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वयं रोजगार औद्योगिक सेवाओं तथा व्यवसाय सम्बन्धी क्षेत्रों में जरूरी तकनीकी जानकारी देना है। इस का उद्देश्य उन ग्रामीण युवकों को जो गरीबी रेखा से नीचे है को प्रशिक्षण देना है जो कि 18-35 वर्ष आयु वर्ग में है। ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षित संस्थानों द्वारा बिना किसी मूल्य के दिया जाता है तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् उन्हें प्रवास सामग्री बिना कोई पैसा लिए दी जाती है। फरवरी, 1990 तक 1838 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया, 648 युवकों को स्वयं रोजगार मिला, 290 युवकों को मजदूरी रोजगार दिया तथा 1,611 युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों तथा बच्चों का उद्धार (डवाकरा)

7.12 यह कार्यक्रम भी एकीकृत विकास के अन्तर्गत कार्यान्वित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की स्त्रियों के लिए रोजगार अवसर प्रदा करना तथा उनके स्वच्छानुसार उन्हें आय उत्पादन कार्यकलापों में विभाजित करना जैसे कि डेरी इकाईयां, हस्तशिल्प, लकड़ी का काम मधुमक्खी पालन कातना तथा बुनाई, चटाई बुनना, पशुपालन शहतूत के कीड़े पाचना, सब्जियां उगाना तथा वन नर्सरी इत्यादि है। यह योजना कांगड़ा शिमला चम्बा तथा मण्डी जिलों में चली हुई है। दिसम्बर, 1989 तक 469 स्त्रियों की सदस्यता की सहायता से 41 समूह बना दिये थे तथा इस कार्यक्रम पर 4.68 लाख की राशि खर्च की गई।

जवाहर रोजगार योजना

7.13 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनाओं को सम्मिलित रूप देकर जवाहर रोजगार योजना को तैयार किया गया तथा पूरे देश भर में चलाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को भारी मात्रा में रोजगार अवसर प्रदान करना है और समाज के गरीब भाग को लाभान्वित करने के लिए सामुदायिक सम्पत्ति का सृजन करना है। यह कार्यक्रम गांव में पंचायतों द्वारा चलाया गया जोकि पूरी योजना एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है। 32.04 लाख श्रम दिन के लक्ष्य के उपरान्त फरवरी, 1990 तक 29.46 लाख श्रम दिन अर्जित किये गये और 2090 सामुदायिक परिसम्पत्ति इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1989 तक बनाई गई।

इन्दिरा आवास योजना

7.14 इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय साधन जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन में से 6 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिय परिवार जो गरीबी रेखा से प्रीचे रहते हैं, के लिए मकान बनाना है। स्वतन्त्र हुए बंधक मजदूरों को मकान देना भी इस योजना में शामिल है। लाभान्वित लोगों को मकान बनाने के लिए जिस में कि स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चुल्हे शामिल है 12 हजार रुपयों की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1989-90 के दौरान फरवरी 1990 तक 576 मकान बनाने के लक्ष्य की तुलना में 448 मकान बनाए गए एवं बन रहे मकानों में कुल 57.67 लाख रुपयों की राशि खर्च हुई।

न्यूनतम मजदूरी

7.15 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के अन्तर्गत एक "न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड" बनाया जोकि 15 अनुसूची रोजगार के अन्तर्गत मजदूरों के न्यूनतम दर से मजदूरी तय करे तथा उनके संशोधन के बारे

में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। इस बोर्ड की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने अकुशल मजदूरों को सभी 15 अनुसूची रोजगार में एक जैसी न्यूनतम दरें तय संशोधित की है जो कि 18 रुपये प्रतिदिन या 540 रुपये प्रति माह थी, सिवाय चाय बागानों की जिनकी 15 रुपये प्रतिदिन या 450 रुपये संशोधित की गई थी। सरकार ने दुबारा प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी गैर तकनीकी श्रमिकों के लिए 26-1-90 से 20 रुपये प्रतिदिन रखी थी। चाय बागानों में कार्यरत गैर तकनीकी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव अनुसूची रोजगार के बराबर का रखा गया जबकि अन्य वर्गों जैसे तकनीकी, अर्ध-तकनीकी तथा उच्च तकनीकी वर्ग के श्रमिकों के लिए 11.11 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। 20 प्रतिशत की दर से अर्ध तकनीकी तथा उच्च तकनीकी मजदूरी में वृद्धि हुई है जो कि 15-4-1989 से पहले लागू थी। इसी प्रकार सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को 25 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम दर की मजदूरी से अधिक देने की स्वीकृति दी गई है जो कि कृषि निर्माण या सड़क और भवनों के रख-रखाव, पत्थर तोड़ने, वानीकी तथा इमारती लकड़ी का संचालन इत्यादि कार्य में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरंगों में कार्यरत मजदूरों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि न्यूनतम मजदूरी पर भी हुई। बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) एक्ट 1976 के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक सक्रिय समिति के अतिरिक्त उप मण्डलीय स्तर पर 37 सतर्कता समितियाँ तथा जिला स्तर पर 12 सतर्कता समितियों का गठन किया। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्याय अधिकरण का गठन किया है। औद्योगिक झगड़ा नियम 1947 के तहत जिला एवं सेशन जज के पद के बराबर, श्रम अदालत/औद्योगिक न्याय अधिकरण का एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य मजदूर बीमा योजना सोलन परवाणु बरोटीवाला, बही, मैहतपुर तथा लगभग 229 कार्यालयों में लागू है जिसका लाभ वर्तमान में 13,573 मजदूर उठा रहे हैं। इसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 के अन्तर्गत 473 कार्यालयों में कार्यरत 39,932 मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है।

औद्योगिक सम्बन्ध

7.16 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्धों के मामले को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का निपटारा व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिए एक समाधान प्रशासन कार्यरत है। समाधान अधिकारियों के काय जिला रोजगार अधिकारी श्रम अधिकारी / को सौंपे गये हैं तथा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में यह कार्य देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं में 100 से कम मजदूर हैं उन संस्थाओं में समाधान अधिकारियों की शक्तियाँ श्रम निरीक्षकों के निहित कर दी गई हैं। जिन झगड़ों का निपटारा ठीक तरीके से न हो सके अथवा जहाँ पर समाधान प्रणाली फेल हो जाए उन मामलों में उच्चतर अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं।

8. भावों की स्थिति

8.1 सन्तोषजनक मौसम व फसलों की अच्छी पैदावार के बावजूद भी चालू वर्ष में भावों की स्थिति शुरू से ही दबाव में रही। वर्ष 1989-90 में थोक मूल्य के सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर 8.8 प्रतिशत रही क्योंकि मार्च, 1989 को अन्तिम सप्ताह में यह सूचकांक 156.9 था जो कि मार्च 1990 के अन्तिम सप्ताह में बढ़कर 170.7 तक पहुँच गया। पिछले साल मुद्रा स्फीति की दर 5.7 प्रतिशत थी।

8.2 विकास की दर बनी रहे व प्राप्त लाभों का समुचित वितरण हो सके यह जरूरी है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बहुत कुछ हद तक स्थिरता का होना जरूरी है। मुद्रा स्फीति का सर्वाधिक प्रभाव गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है इससे अंतर वित्तीय साधनों के जुटाने पर भी पड़ता है साथ ही यह सर्टिबाजी व काले घन को बढ़ावा देकर निवेश की प्रयत्नशीलताओं को संतुलन बिगाड़ देता है। वर्तमान वर्ष में खाद्यान्नों के भण्डारण व उचित आयात नीति के जरिये न केवल जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से रोके गये बल्कि मुद्रा स्फीति में भी अंकुश लगा रहा।

8.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से चलाने के कारण हिमाचल प्रदेश में भावों की स्थिति निरन्तर निगरानी में रही कीमतों को बढ़ने से रोका गया। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण 3,139 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से समुचित तौर पर किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर सप्ताहिक प्रभावकारी निगरानी रखकर समय पर कीमतों को बढ़ने से रोकने में काफी मदद मिली।

9. नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक सेवाएं

9.1 वर्ष 1989-90 में, सार्वजनिक वितरण के माध्यम से खाद्यान्नों के अतिरिक्त नियन्त्रित वस्तुएं जैसे, चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय, अभ्यास पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, कोयला और मिट्टी का तेल आदि जनता को उपलब्ध करवाई गईं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

9.2 विभिन्न स्रोतों से आवश्यक वस्तुएं खरीद कर और सार्वजनिक वितरण की उचित मूल्य की दुकानों पर ये वस्तुएं जनता को उपलब्ध करवाने के लिए "हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम" की स्थापना की गई है। निगम आवश्यक वस्तुएं जैसे दालें, राशन की चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाने का तेल, नमक, मिट्टी का तेल, गेहूं का आटा, चावल, चाय, लेखन सामग्री, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, टार्च सैल, जूते और माचिस आदि उचित मूल्य की 3,139 दुकानों द्वारा उपलब्ध करवाता रहा। वर्ष 1987-88 में निगम का विक्रय 63.92 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 68.23 करोड़ रुपये हो गया जो वर्ष में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

भण्डारण एवं परिरक्षण

9.3 सरकारी खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 44 गोदाम, 13,650 टन भण्डारण क्षमता के बनाए गये हैं। इस के अतिरिक्त 93 गोदाम जिनकी क्षमता 5,535 टन है निजी क्षेत्र में किराए पर लिए गए हैं। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी 4,920 टन भण्डारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम और हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को किराए पर दिये हैं। 27 खाद्यान्न गोदाम निर्माणाधीन हैं।

लेवी चीनी

9.4 भारत सरकार प्रदेश में कार्ड होल्डरों को वितरण के लिए सामान्यतः 2,020 टन लेवी चीनी प्रति माह देती है परन्तु कई बार महत्वपूर्ण उत्सवों आदि पर केन्द्र सरकार राज्य के कोटे में वृद्धि कर देती है। प्रदेश में उपभोक्ताओं को यह लेवी चीनी जनवरी से सितम्बर, 1989 तक 400 ग्राम प्रति व्यक्ति, अक्टूबर में 500ग्राम, नवम्बर, में 450 ग्राम और दिसम्बर में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5.25 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध कराई गई। खुले भाव की चीनी के मूल्य को नियन्त्रित रखने के लिए केन्द्र सरकार अप्रैल, 1989 तक प्रतिमाह प्रदेश को आयातित चीनी भी देती रही। यह चीनी उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति राशनकार्ड 5.95 रुपये प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध कराई जाती रही।

खाने के तेल

9.5 रैपसीड व पाम नामक खाद्य तेल उपभोक्ताओं को 18.90 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाए जाते रहे।

नियन्त्रित कपड़ा

9.6 वर्ष 1989-90 में भारत सरकार ने नियन्त्रित कपड़ा जनता में वितरण हेतु प्रदेश सरकार को दिया। नागरिक आपूर्ति निगम ने भी अपनी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आम अनियन्त्रित कपड़ा उपलब्ध करवाया।

आयोडीन युक्त नमक

9.7 भारत सरकार प्रति वर्ष इस प्रदेश को 29,200 टन आयोडीन युक्त नमक का कोटा देती है। वर्ष 1989-90 में दुर्गम एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 4.98 लाख रुपये परिवहन अनुदान के लिए खर्च आने की सम्भावना है।

तरल पेट्रोलियम गैस

9.8 वर्ष 1989-90 में बिलासपुर, चम्बा, डलहौजी, हमीरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, कुल्लू, कलांग, मण्डी, सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, शिमला, रोहड़ू, रामपुर, टियोग, नाहन, पांवटा साहिब, सोलन, परवाणु, कसौली, नालागढ़, ऊना, सहाज और पित्रो में 32 गैस अजैन्सियां कार्यरत थीं। इसके अतिरिक्त 12 गैस अजैन्सियां और स्वीकृत हो गई हैं जो शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगी।

कोयला/कोक कोयला

9.9 प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कोयला एक अनियन्त्रित वस्तु है। भारत सरकार ने कोयले के 300 वाक्स बैगन,

सौपट कोक के 10 रैक और स्लैक कोक के 12 रैक प्रदेश को दिये। कैलण्डर वर्ष 1989 के दौरान प्रदेश ने 160 बाक्स ब्रेगन स्टीम कोल और 2 रैक स्लैक कोल प्राप्त किए।

दुर्गम एवं दूर-दराज के क्षेत्रों को अनुदान

9.10 वर्ष 1989-90 में सरकार प्रदेश के दूर दराज दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में जनता को गेहूं अनुदान मूल्य पर उपलब्ध कराती रही। सरकार ने 24 जून, 1989 तक जनजातीय क्षेत्रों में गेहूं 164 रुपये प्रति क्विंटल तथा 25 जून, 1989 से 179 रुपये प्रति क्विंटल और अनुदान क्षेत्रों में 204 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवाया और अन्य क्षेत्रों में 219 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जनता को दिया। गेहूं का आटा भी, प्रदेश के अनुदान क्षेत्रों में 235 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य क्षेत्रों में 245 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध करवा रही है। इसी प्रकार एकीकृत जन-विकास परियोजना क्षेत्रों में जैसे कि जिला किन्नौर, लाहौल व स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी व भरमौर क्षेत्रों में भी चावल अनुदान दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। चावल (आई.आर. 8) 219 रुपये प्रति क्विंटल और चावल (एस.एफ.) 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिमला जिले के डोडरा-क्वार और पंद्रहा बीस क्षेत्र, जिला कुल्लू के सरधा और कुशवा क्षेत्र, सोलन जिले की मांगल व बैरल पंचायतें और जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्रों में भी चावल बांटा गया। इन क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक परिवहन भाड़ा सरकार ने अनुदान के रूप में वहन किया।

छात्रों को विशेष सुविधाएं

9.11 बीस सूचीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत जनता को दिये जाने वाले मूल्य से 35 रुपये प्रति क्विंटल कम दर पर गेहूं का आटा और चावल दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को पुस्तकें व लेखन सामग्री सस्ते मूल्य पर दी जा रही है।

9.12 आवश्यक वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न आदेशों व अधिनियमों का सख्ती से पालन कर रही है। कैलण्डर वर्ष 1989 में 25,350 निरीक्षण व छापे मार गए, 9 मामले दर्ज किए गये, 297 व्यक्तियों को लिखित चेतावनी दी गई और 190 व्यक्तियों को विभागीय कार्यवाही के अधीन दण्ड दिया गया। 71,954 रुपये की धरोहर जप्त की गई। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की माप एवं तोल शाखा ने 4,642 निरीक्षण किए, 573 मामलों में सजा दी तथा 1,33,045 रुपये जुर्माना के रूप में एकत्रित किए।

पेय जल

9.13 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 16,807 आबाद गांवों में से 11,887 समस्या गांव घोषित हुए हैं। और 4,920 सुगम गांव सुरक्षित पेयजल के अन्तर्गत 31 मार्च, 1989 तक 10,460 समस्या गांवों और 4,445 सरल गांवों को पेयजल दिया गया जो कि 88.7 प्रतिशत है। वर्ष 1989-90 में कुल 350 और गांवों (180 समस्या व 30 सुगम गांव राज्य क्षेत्र और 140 समस्या (गांव केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन) को पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन में से दिसम्बर, 1989 तक 108 समस्या गांव व 18 सुगम गांवों की राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा 127 समस्या व एक सुगम गांव की केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल प्रदान किया गया जो कि कुल गांवों का 90.2 प्रतिशत है।

9.14 प्रदेश के सभी नगरों में चाहे पुरानी पेयजल योजनाएं अभी कार्यरत हैं परन्तु वर्तमान बढ़ती हुई आवश्यकताओं के मुकाबले में से योजनाएं अपर्याप्त हैं। शहरों में पेयजल योजनाओं के विकास की अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए सरकार शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से 465 लाख रुपये की ऋण सहायता को प्रबन्ध करवाई है। इस पैसे से नाहन सोलन और रामपुर में पेयजल योजनाओं का विकास किया जाएगा। 62.62 लाख रुपये की ऋण सहायता प्राप्त कर ली गई है और 166 लाख रुपये को बजट प्रावधान के अतिरिक्त 150 लाख रुपये की कुल ऋण सहायता वर्ष 1989-90 में प्राप्त होने की आशा है। वर्ष 1989-90 में मल प्रवाह पद्धति के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान है।

शिक्षा

साक्षरता

9.15 हिमाचल प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर (कुल जनसंख्या से शिक्षितों का प्रतिशत) 42.48 प्रतिशत थी जबकि 1971 में यह साक्षरता 31.96 प्रतिशत थी। राज्य में नगरीय व ग्रामीण साक्षरता की दर में व्यापक अन्तर है। वर्ष 1981 में नगरीय साक्षरता की दर 67.44 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 40.42 प्रतिशत थी। इसी प्रकार पुरुषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में भी बहुत अन्तर है। पुरुषों की 53.19 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर केवल 31.46 प्रतिशत थी।

प्राथमिक पाठशालाएं

9.16 वर्ष 1989-90 में 160 प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव था। इनमें से अब तक 145 प्राथमिक पाठशालाएं खोली जा चुकी हैं। सभी प्रस्तावित पाठशालाओं के खुल जाने से सरकार के आधीन कुल प्रस्तावित प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 7,433 हो जाएगी। आठवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जे0बी0टी0 अध्ययनों के 71 नए पद स्वीकृत किए गए और वर्ष के दौरान सोलन, मण्डी, धर्मशाला, नाहन, सरकाघाट और चौवारी के छः जे0बी0टी0 स्कूल कार्यरत रहे जिनमें 531 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए 84.79 लाख रुपये की राशि रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत पहल चरण में 18 सामुदायिक विकास खण्डों को और दूसरे चरण में 22 विकास खण्डों को लाया जा चुका है। वर्ष 1989-90 में जन-जातीय क्षेत्रों के छात्रों को मुफ्त कपड़ा, लेखन सामग्री व पुस्तकें आदि देने के लिए 1.40 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके साथ ही नौवें वित्त आयोग के सुझाव पर वर्ष 1989-90 में 50 प्राथमिक पाठशाला भवनों का निर्माण करने का विचार है।

माध्यमिक पाठशालाएं

9.17 वर्ष 1989-90 में 70 माध्यमिक पाठशालाओं को खोलने के लक्ष्य की तुलना में 110 माध्यमिक पाठशालाएं खोली गईं और इस प्रकार और इस प्रकार सरकारी माध्यमिक पाठशालों की कुल संख्या 2,033 हो गई।

उच्चतर शिक्षा

9.18 वर्ष 1989-90 में 120 उच्च पाठशालाएं खोलने का लक्ष्य था जबकि 140 उच्च पाठशालाएं खोली गईं। इन 140 पाठशालाओं के खोलने से प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कुल उच्च पाठशालाओं की संख्या 1,020 हो गई। इसके अतिरिक्त 39 उच्चतर पाठशालाओं के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1989-90 में 49 उच्चतर पाठशालाएं खोली गईं और प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्चतर पाठशालाओं की संख्या इस प्रकार 160 हो गई।

उच्च शिक्षा

9.19 वर्ष 1989-90 में प्रदेश में कुल 25 राजकीय महाविद्यालय थे जिनमें छः सांयकालीन महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य परिवर्धनों के गठन के अतिरिक्त वर्ष 1989-90 में स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए भी एक कार्यदल का गठन किया गया। वर्ष 1989-90 राज्य में तीन विश्वविद्यालय थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के लिये वर्ष 1989-90 में 30 लाख रुपये का प्रावधान है जिसमें से जनवरी 1990 तक 22.50 लाख रुपये की राशि का आवंटन सहायता अनुदान के रूप में हो चुका है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.20 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2,300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं।

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा

9.21 वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा से सम्बन्धित सभी केन्द्रों में शिक्षा का कार्यक्रम जारी रहा। विकलांग बच्चों के लिए यह सुविधा शिमला, नाहन, धर्मशाला व चम्बा में उपलब्ध है।

व्यवसायिक शिक्षा

9.22 जमा दो प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा को लागू करना नई शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है। वर्ष 1989-90 में 10 और पाठशालाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गईं जिनमें उद्घान, लेखा व लेखापरीक्षण, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, कम्प्यूटर तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी सम्बन्धी कार्यक्रम लागू किए गए। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा देने वाली पाठशालाओं की संख्या अब 25 हो गई है। यह योजना प्रदेश में केवल वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गई थी।

वैज्ञानिक शिक्षा का सुधार

9.23 इस योजना के अन्तर्गत 800 माध्यमिक पाठशालाओं को विज्ञान किट व 556 पाठशालाओं को प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरण दिए गए। इससे इन पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है।

शैक्षणिक तकनीकी

9.24 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,557 प्राथमिक और 284 माध्यमिक पाठशालाओं को 1,841 रेडियो कम कैमेट प्लेयर प्रदान किए गए। वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के अधीन 3,608 प्राथमिक और 258 माध्यमिक पाठशालाएं और लाने का विचार है।

मुफ्त छात्रावास

9.25 दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त छात्रावास की सुविधा से शिक्षा के व्यापक प्रसार व बच्चों का स्कूलों से लगाव में बहुत सहायता मिली है। वर्ष 1989-90 में ऐसे 23 निःशुल्क छात्रावास कार्यरत थे जहां निःशुल्क आवास व भोजन सुविधा के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को 100 रुपये की वार्षिक सहायता पुस्तकें व सम्बन्धित सामग्री खरीदने के लिए भी दी जाती है।

स्कूली शिक्षा में पर्यावरण अभिविन्यास

9.26 केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पुस्तकों की समीक्षा, पर्यावरण का ज्ञान, पाठ्य-क्रम समीक्षा और कार्य अनुभव सम्बन्धी संगोष्ठियां व कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 300 अध्यापकों व 460 विद्यार्थियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। पर्यावरण सम्बन्धी काफी सामग्री एकत्रित की जा रही है।

9.27 स्कूली शिक्षाओं के बहु-अभिविन्यास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 2,984 प्रारम्भिक सेवार्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1989-90 में छः जे०बी०टी० स्कूल कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व धर्मशाला के शिक्षा महाविद्यालय में बी०एड० की ट्रेनिंग भी दी जाती रही।

तकनीकी शिक्षा

9.28 प्रदेश में इस समय 4 बहु तकनीकी संस्थान, एक लघुतकनीकी पाठशाला, 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए है, 14 प्रशिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण पाठशाला लड़कों के लिए कार्यरत है। इन बहु तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सिविल इन्जीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मोबाईल, वास्तुकला इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। कम्प्यूटर में डिप्लोमा कोर्स जनवरी, 1990 से राजकीय पोलिटैकनिक हमीरपुर व स्त्रियों के लिए पोलिटैकनिक कण्डाघाट में प्रारम्भ किया गया। लघु तकनीकी पाठशाला कांगड़ा में छात्रों को बर्हईगिरी, यन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण, फिटिंग, वैल्डिंग, लोहे के औजार, व तमूने बनाने आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इन्जीनियरिंग व नान इन्जीनियरिंग दोनों ही ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय हमीरपुर में 1986-87 से कार्यरत है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

9.29 हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जिनमें पर्यावरण की सफाई में सुधार, छूत की बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य की अमूल्य सेवाएं सम्मिलित हैं, 39 असेनिक चिकित्सालय, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य कन्द्रों, 17 ग्रामीण चिकित्सालयों, 193 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 191 औषधालयों तथा 1,849 उप-केन्द्रों और 46 मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- (1) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना :—इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 3,667 स्वास्थ्य गार्ड जोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वे मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण तथा प्रतिरक्षण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- (2) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :—इस समय प्रदेश में 3,177 बुखार ईलाज डिपो, 4,917 औषधि वितरण केन्द्र, 138 मलेरिया उपचारालय तथा 680 सैक्शन कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1989 में माह दिसम्बर 1989 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,16,994 रक्त स्लाईडें एकत्रित की गईं इनमें से 7,02,247 की जांच की गई और 8,591 अनुकूल पाई गईं। पिछले वर्ष की अपेक्षा दिसम्बर, 1989 तक अनुकूल मामलों में 15.84 प्रतिशत तथा पी०एफ० मामलों में 60.97 प्रतिशत की गिरावट आई।
- (3) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम :—यह कार्यक्रम प्रदेश में 6 कुष्ठ चिकित्सालयों, 76 पारिणाह क्लीनिक, 15 सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्र जिनमें 232 बिस्तरों का प्रावधान है क माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके साथ इन्दिरा गान्धी मैडिकल कालेज शिमला में 20 बिस्तरों वाला वार्ड तथा दो स्वयं सेवो संस्थाएँ जो स्पार्ट तथा पालमपुर में स्थित हैं कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 200 लक्ष्य के अन्तर्गत जनवरी, 1990 तक 152 नए मामलों का पता लगाया गया तथा 265 मामले समाप्त किए गए।

- (4) एस0टी0डी0 नियंत्रण कार्यक्रम :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 71 एस0टी0डी0 संस्थाएं हैं जिनमें से अधिकतर जन जातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। जिनकी प्रतिशत दर जो वर्ष 1953 में 33.4 प्रतिशत थी, दिसम्बर 1989 तक घटकर 0.76 प्रतिशत रह गई। दिसम्बर, 1989 तक 44,642 मामलों की जांच की गई जिनमें से 516 अनुकूल पाए गए।
- (5) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 2 क्षय रोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग क्लीनिक, 6 क्षय रोग उप-क्लीनिक तथा एक सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है कार्यरत है। वर्ष 1989-90 में जनवरी, 1990 तक 13,683 नए रोगियों का पता लगाया गया तथा 43,283 मामलों में थूक की जांच की गई जिनका क्रमशः 15,000 तथा 46,200 का लक्ष्य था।
- (6) बी0सी0जी0 कार्यक्रम :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 1,09,100 टीके लगाने का लक्ष्य था और जनवरी, 1990 तक 1,02,182 टीके लगाए गए।
- (7) अन्धेपन से बचाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम :— वर्ष 1989-90 में 7,000 कैंडरेक्ट आप्रेशन करने का लक्ष्य था जिसके अन्तर्गत जनवरी 1990 तक 6,018 कैंडरेक्ट आप्रेशन किए गए।
- (8) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम :— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 23,499 बन्धयकरण और 25,728 लघु निवेश जनवरी, 1990 तक किए गए जिनका लक्ष्य क्रमशः 30,000 तथा 43,000 था। इसके अतिरिक्त क्रमशः 69,000 तथा 9,500 के लक्ष्य में जनवरी, 1990 तक 59,543 सी0सी0 प्रयोगकर्ता तथा 9,510 ओ0 पी0 प्रयोगकर्ता नामांकित किए गए। सरकार ने छोटा परिवार अपनाने वालों को तथा संस्थाओं को इस कार्यक्रम को प्रदेश के लोगों में लोकप्रिय बनाने हेतु कई प्रोत्साहन घोषित किए। प्रचलित वर्ष में छोटा परिवार अपनाने वालों को अतिरिक्त निम्न प्रोत्साहन देने की घोषणा की है :—
- (i) उन माता पिता को जो एक जीवित बेटे के बाद बन्धयकरण को अपनाएंगे उनको नगद 6,000 रुपये दिए जायेंगे ;
- (ii) जो माता पिता दो जीवित बेटियों के बाद बन्धयकरण अपनायेंगे उन्हें नगद 5,000 रुपये दिए जायेंगे
- (iii) 500 रुपये का नगद इनाम उनको दिया जायेगा जो एक जीवित बच्चे के बाद बन्धयकरण करवायेंगे तथा
- (iv) जो दो जीवित बच्चे के बाद बन्धयकरण अपनायेंगे उन्हें 300 रुपये दिए जायेंगे।
- (9) मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य तथा विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 जिलों को लाया गया है। इन जिलों में 100 प्रतिशत महिलाओं को टी0 टी0 और 85 प्रतिशत छोटे बच्चों को डी0पी0टी0, पोलियो, बी सी0 जी0 व मीजल के टीके लगाए गए। दिसम्बर, 1989 तक उपलब्धियां व 1989-90 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

मद	लक्ष्य (1989-90)	उपलब्धियां (दिसम्बर 89 तक)
1	2	3
1. टी0 टी0 (गर्भवती माताएं)	1,42,000	66,576
2. डी0पी0टी0	1,09,100	80,046
3. पोलियो	1,09,100	77,872
4. बी0सी0जी0	1,09,100	92,939
5. मीजल	1,09,100	72,150
6. डी0टी0 (5 वर्ष)	1,07,000	99,925
7. टी0टी0 (10 वर्ष)	1,03,700	89,449
8. टी0 टी0 (16 वर्ष)	98,900	53,549
9. आहार सम्बन्धी कमजोरी से मुक्ति		
(क) माताएं	2,08,000	1,46,717
(ख) बच्चे	3,00,000	1,59,102
10. विटामिन ए की कमी से अन्धेपन से मुक्ति बच्चे	3,00,000	2,09,278

- (10) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम.--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की चिकित्सा जांच की जाती है और रोगग्रस्त बच्चों को नजदीक वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में उन्चार के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों को टाइफाइड तथा टी0टी0 के टीके भी लगाए जाते हैं। वर्ष 1989 में 1,08,762 स्कूली बच्चों की जांच की गई और उनमें से 32,968 बच्चे रोगग्रस्त पाए गए तथा उन्हें विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में इलाज हेतु भेजा गया।
- (11) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय.--वर्ष 1989-90 में इन्दिरा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में 65 विद्यार्थी की क्षमता रही। अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल इसके सम्बद्ध हैं। इस महाविद्यालय के खुलने से औषधि, शल्य-क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूति क्षेत्र विज्ञान, रतिरोम विज्ञान, दन्त चिकित्सा, आंख, नाक व गला चिकित्सा, विकुशा विज्ञान तथा जीव भौतिक विज्ञान इत्यादि आम में जनता को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं।

आयुर्वेद

9.30 हिमाचल प्रदेश में जनता को भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रीय अस्पताल, 2 सर्कल अस्पताल, 1 जनजातीय अस्पताल, 7 जिला अस्पताल, 1 नेचर क्योर युनिट, 522 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां, 3 यूनानी और 2 होम्योपैथी डिस्पेंसरियां कार्यरत हैं। वर्ष 1989 में इन संस्थाओं में 21,113 अन्तरंग व 22,86,990 बाह्य रोगियों का इलाज किया गया। इसके अतिरिक्त 2 आयुर्वेदिक फार्मेशियां शास्त्रोक्त दवाईयां तैयार कर राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों व औषधालयों को भेजती रही। इसके साथ ही जोगिन्द्रनगर में एक अनुसन्धान संस्थान तथा अस्पताल भी कार्यरत है। पपरोला में बी0ए0एम0एस0 उपाधियों और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी कार्य कर रहा है जिसकी क्षमता 20 विद्यार्थी प्रति वर्ष है। औषधियों की भारतीय पद्धति का यह विभाग अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मलेरिया उन्मूलन और परिवार कल्याण आदि में भी अपना सहयोग देता रहा है।

पौषाहार कार्यक्रम

9.31 समाज तथा स्त्री कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से इस वर्ष 1,35,951 बच्चों व 32,709 गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचने की आशा है। इस पौष्टिक आहार की लागत 50 पैसे प्रतिदिन प्रति बच्चा तथा 80 पैसे प्रतिदिन प्रति माता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रदेश के लिए वर्ष 1988-89 तक 23 आई0सी0डी0 एस0 परियोजनाएं स्वीकृत कर चुकी थी। वर्ष 1989-90 में 9 और परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना उनका स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना और उनके विकसित मानसिक व सामाजिक जीवन की दृढ़ नींव रखना तथा इसके साथ ही मृत्यु दर को कम करना और स्कूलों के प्रति बच्चों का लगाव पैदा करना है। इसके साथ ही ग्रामीण एकीकरण विभाग भी पौष्टिक आहार सम्बन्धी कई कार्यक्रम चला रहा है। यह कार्यक्रम मूलतः एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिस का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के खानपान की आदत में परिवर्तन लाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः कुक्कुट इकाइयों की स्थापना तथा घर-आंगन में सब्जी आदि उगाना सम्मिलित है ताकि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे व गर्भवती माताएं पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकें। बच्चों के एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष से छोटे बच्चों व गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार दिया जाता है। वर्ष 1987-88 तक प्रदेश में 21 आई0सी0 डी0एस0 परियोजनाएं कार्यरत थी और वर्ष 1988-89 में दो और ऐसी परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं।

9.32 समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों, उन की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करता है। विभाग गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 0—6 साल व बच्चों के लिए विशेष पौषाहार योजना भी चलाता है। अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण व लिए विकास शीर्षक के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं और महिलाओं, बच्चों वृद्ध एवं बेसहारा के कल्याण हेतु समाज कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत की गई है।

9.33 समाज कल्याण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि बेसहारा, अंग, शारीरिक विकलांग और मानसिक रूप से अतिक्रिस्त व्यक्ति का कल्याण करना है। उनको सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कई संस्थाएं चला रखी हैं, जैसे कि बाल तथा बालिका आश्रम, बेसहारा गृह व स्टेट होम इत्यादि।

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन

9.34 इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है जिनकी आय 60 वर्ष से अधिक है और उनकी देख-भाल करने वाला कोई नहीं है और उनकी वार्षिक आय 2000 रु से अधिक नहीं है। यह पेंशन 60 रु प्रति मास की दर से दी जाती है। संशोधित पेंशन कानून के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिनके बच्चे हैं परन्तु उनकी मासिक आय 1000 रु से अधिक न हो। अपंग व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है और उनको यह पेंशन अपंग राहत भत्ता के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार विधवाओं को भी इस पेंशन की प्राप्ति के लिए कोई आय सीमा नहीं है। वर्ष 1989-90 के दौरान प्रदेश में इस प्रकार के पेंशनरों की संख्या 87,768 थी। प्रथम जलाई, 1988 से समस्त कोढ़ग्रस्त व्यक्तियों को 60 रु प्रति मास की दर से पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है।

बाल कल्याण

9.35 निराश्रित बच्चों तथा अनाथों के लिए सरकार व स्वयंसेवी संघों द्वारा कल्या, सराहन, सूननी, मशोवरा, टूटी-कण्डी (शिमला) कुल्लू और लाहल (चम्बा) बाल/बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं। इन आश्रमों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास के अतिरिक्त मैट्रिक तक शिक्षा दी जाती है। सुन्दरनगर में जेयून्नाइल ऐक्ट, 1986 के अन्तर्गत निराश्रित बच्चों के लिए स्थापित एक बाल घर वर्ष 1989-90 के दौरान भी कार्य कर रहा है। बच्चों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त हरौली (ऊना) में एक विशेष स्कूल प्रेक्षण कम होम भी कार्यरत है जिसमें किशोर अप्रभार बाल्य 18 वर्ष की आय तक रखे जाते हैं।

महिला कल्याण

9.36 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही है वह इस प्रकार से हैं :—

- (क) स्टेट होम —निराश्रित स्त्रियों और लावारिस लड़कियों के लिए सरकार 6 स्टेट होम चम्बा, मण्डी, शिमला, कांगड़ा कल्या और बिलासपुर में चला रही है। इसके अतिरिक्त आई0सी0सी0 डब्ल्यू0 द्वारा एक स्टेट होम नाहन में चलाया जा रहा है। इन गृहों में रहने वालों निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि ऐसे आवास छोड़ने के उपरान्त वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के लिए तीन हजार रुपये प्रति स्त्री तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ;
- (ख) कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास —नगरों में कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से विभाग ने 12 कार्यरत महिला छात्रावासों का निर्माण किया है। ये छात्रावास स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय सरकार के 75 प्रतिशत अनुदान से निर्मित किए गए हैं ;
- (ग) बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए अनुदान —उपयुक्त मामलों में ऐसी लड़कियों को प्रा उनके माता-पिता को जिनकी वार्षिक आय 7,500 रु से अधिक न हो, 2,500 रु शादी के लिए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 1989-90 में इस उद्देश्य के लिए 1.25 लाख रुपयों का प्रावधान है और लगभग 50 लड़कियां इससे लाभान्वित होंगी
- (घ) स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं को सहायता —इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपये से अधिक न हो और किसी विशेष व्यवसाय की जानकारी हो या उस व्यवसाय में प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त किया हो, को 1000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। वर्ष 1989-90 में 1.00 लाख रुपये इस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं और लगभग 100 महिलाओं को सहायता दी जाएगी ;
- (ङ) महिला विकास निगम —प्रदेश में महिलाओं को विभिन्न व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए एक महिला विकास निगम की स्थापना की गई है। वर्ष 1989-90 में इस निगम को 1.00 लाख रुपये दिय गए हैं।

विकलांग कल्याण

9.37 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए “विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग” योजना के अन्तर्गत 0.47 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त विकलांगों को छात्र वृत्ति दी जाती है और व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आजीविका कमा सकें। ऐसे व्यक्तियों की जो अपंग लड़कियों से शादी करें, 2,500 रुपये की राशि शादी अनुदान के रूप में दी जाती है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

9.38 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं :—

(क) तकनीक छात्रवृत्तियां.—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों जो कि आई0टी0आई0, आर0आई0टी0 आई0 आर अन्य समूह केन्द्रों इत्यादि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को 100 रुपये प्रति मास प्रशिक्षार्थी के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए 10.80 लाख रुपये बजट में रख गए हैं और 900 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित होंगे ;

(ख) अनुवृत्ति कार्यक्रम.—इसके अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को औजार तथा उपकरण दिए जाते हैं जो विभिन्न व्यवसाय में आई0टी0आई0, से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को भी लिया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान 8.20 लाख रुपये के प्रावधान से लगभग 1,640 व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचेगा ;

(ग) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन.—अस्पृश्यता को दूर करने के लिए 6,000 रुपये प्रति दम्पति जहां लड़की स्वर्ण जाति की हो और 5,000 रुपये प्रति दम्पति जहां लड़की जनजाति की हो दिये जाते हैं। वर्ष 1989-90 में 70 दम्पति इससे लाभान्वित होंगे ;

(घ) आवास अनुदान.—इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का वर्ष से ठके क्षेत्रों में 5,000 रुपये का अनुदान और 4000 रुपये अन्य क्षेत्रों में, आवास निर्माण के लिए दिए जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त इस जाति के सदस्यों को उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत घर की मरम्मत के लिए दिया जाता है। वर्ष 1989-90 में 38.10 लाख रुपये का प्रावधान है, और लगभग 950 परिवार लाभान्वित होंगे ;

(ङ) पेयजल आपूर्ति योजना.— इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे गांव जहां पर स्वर्ण और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं व अनुसूचित जाति के लोग अधिक हों छोटी पेय जल योजनाएं चलाई जा रही हैं, जोकि लोक स्वास्थ्य विभाग के परिक्षेत्र में नहीं है। वर्ष 1989-90 के दौरान 3.12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। और लगभग 10 स्कीमें चलाये जाने की सम्भावना है ;

(च) टाईप व शार्टहेड में निपुणता.—इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पूर्व प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न कार्यालयों में नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी निपुणता को कायम रख सकें। इस प्रकार के प्रशिक्षार्थियों को सूचि रोजगार केन्द्रों से प्राप्त की जाती है और उसके उपरान्त इनकी विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति की जाती है। इन प्रशिक्षार्थियों को 200 रुपये प्रति मास का बजीपा एक वर्ष दिया जाता है या जब तक उनको उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता। इस स्कीम से 30 प्रशिक्षार्थियों को लाभ पहुंचेगा ;

(छ) अनुसूचित जाति परिवारों को मुआवजा जो अत्याचारों से पीड़ित हैं.—इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन पर जातीय आधार पर अन्य परिवारों द्वारा अत्याचार किये गए हों। वर्ष 1989-90 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान है ;

(ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति निगम.—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना की गई है। ये निगम बैंकों की सहायता से अनेक उन्नत कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष 1989-90 के दौरान 32 लाख रुपये की राशि राज्य शेर के रूप में इसके लिए निर्धारित की गई है ;

(झ) हरिजन बस्तियों का उत्थान व पर्यावरण विकास.—इस स्कीम के अन्तर्गत पंचायतों को पक्की गलियां व नालियां इत्यादि बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि अनुसूचित बस्तियों के रहन-सहन के स्तर व पर्यावरण में उत्थान हो सके। वर्ष 1989-90 में 5.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और लगभग 50 गांवों को इसका अन्तर्गत लिया जायेगा।

जन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

9.39 पांचवी योजना की समीक्षा से प्रतीत हुआ है कि अनुसूचित जनजाति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई है। इसलिए जन जाति उपयोजना को जन जाति के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए 1974-75 के वर्ष

से चलाया जा रहा है। उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन-जाति, जन संख्या के विकास खण्डों का चिन्हांकित करना, राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं एवं संस्थानों से साधनों को आरक्षित करना और इस आरक्षित राशि का विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सम्पूर्ण करना और उचित प्रशासनिक एवं कार्मिक नीतियों को अपनाना शामिल है।

9.40 राज्य में किन्नौर एवं लाहौल-स्पीति जिले समस्त रूप में एवं चम्बा जिला की पांगी और भरमौर तहसीलें जन-जातीय हैं। छठी योजनावधि में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति का सूत्रपात किया गया जिसके फलस्वरूप चम्बा तथा भटियात तहसीलों के क्षेत्र जन-जातीय उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत चिन्हांकित किए गए। छठी योजना में जन-जातीय क्षेत्र के सामान्य विकास के बजाय जन-जातीय परिवारों की प्रगति पर बल दिया गया। इस प्रकार प्र.श. की 63 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति जन संख्या उप-योजना प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई। 7वीं योजना के लिए अब तक अपनाये गए माप दण्ड ही मार्ग दर्शन के आधार रखे गए हैं। 1985-86 सातवीं योजना का प्रथम वर्ष था। जन-जातीय उप-योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजना का 8.62 प्रतिशत भाग रखा गया और सातवीं योजना का लक्ष्य 9.00 प्रतिशत था जबकि वास्तविक उपलब्धि 8.9 प्रतिशत थी। वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य की वार्षिक योजना की 300 करोड़ रुपये में जन-जातीय उप-योजना का भाग 27.13 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता 3.27 करोड़ रुपये थी। जन-जातीय क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 0.09 करोड़ रुपये थी। आर्थिक सेवाओं के क्षेत्रों को अधिकतम प्राथमिकता दी गई। अनुसूचित जन-जाति के लोग जो अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित खण्डों से बाहर रहते हैं, को उप-योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1987-88 के वर्ष में लाया गया जबकि उन को विशेष केन्द्रीय सहायता से लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति विकास

9.41 1981 की जन गणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 10.54 लाख थी। जन जातीय उपयोजना जिसका आधार क्षेत्र है, परन्तु अनुसूचित जाति जनसंख्या बिखरी होने के कारण, इस जाति के लिए व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीम/कार्यक्रम अपनाए गए ताकि (1) इनकी आय तथा उत्पादकता में वृद्धि दो सकें (2) ये व्यवसाय कम अपमानित हों, (3) इनकी शिक्षा का विकास सुनिश्चित किया जायें ताकि रोजी रोटी कमाने के लिए वे दूर के स्थानों में भी जा सकें साथ ही उनके रहन-सहन और वातावरण में सुधार लाया जाए। छठी योजना में प्रथम बार विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर पूंजी लगाने का लक्ष्य 9.53 प्रतिशत रखा गया था परन्तु राज्य योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धि 9.94 प्रतिशत रही। यह उपलब्धि भारत सरकार गृह मन्त्रालय (अब कल्याण मन्त्रालय द्वारा) दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता के कारण प्राप्त हो सकी और छठी योजनावधि में केन्द्र से अनुमोदित 5.55 करोड़ रुपये की अपेक्षा 6.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सातवीं योजना के लिए राज्य योजना की राशि सम्पूर्ण राज्य योजना का 11 प्रतिशत रखा गया (अभाजीय व भाजीय घटक के विचार बिना) और वास्तविक उपलब्धि 10.9 प्रतिशत रही। इसी अवधि में विशेष केन्द्रीय सहायता 8.76 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई। वर्ष 1989-90 विशेष योजना का आकार 35.23 करोड़ रुपये का था जिसमें राज्य योजना 33.65 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता 1.58 करोड़ रुपये थी।

9.42 विशेष घटक योजना के लिए जिला स्तर (किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर) पर योजना को सामायिक संचालन हेतु जिला स्तरीय संचालन एवं पुर्नवलोकन समितियां गठित की गई हैं जिसका अध्यक्ष उपायुक्त है। राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय एवं पुर्नवलोकन समिति का गठन भी किया गया है जो विशेष घटक योजना एवं जन-जातीय उप-योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। इस समिति की एक स्थाई उप-समिति भी गठित है जो मौके पर जा कर योजनाओं का और कार्यक्रमों का निरीक्षण करती है और मुख्य समिति को अपने अनुभवों से अवगत कराती है। इसके अतिरिक्त वास्तविक मूल्यांकन हेतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर से मूल्यांकन अध्ययन भी करवाए गए ताकि जहां पर विशेष पण उठाने की जरूरत हो, उठाये जा सकें।

9.43 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 11वें सूत्र के अर्तगत अनुसूचित जन जाति को वर्ष 1989-90 के दौरान लाभान्वित करने का लक्ष्य 20,824 परिवारों को लाभान्वित करके पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया।

10. व्यापार एवं वाणिज्य

वाणिज्यिक बैंकिंग

10.1 सभी शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या में वर्ष 1989 के दौरान 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिनकी संख्या 31 दिसम्बर, 1988 को 638 से बढ़कर 31 दिसम्बर, 1989 को 688 हो गई। राज्य में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 138 (20.0 प्रतिशत) तथा उसके बाद शिमला जिला में 111 (16.1 प्रतिशत) बैंक थे। ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की बढ़ने का कार्य 1989 में जारी रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या 609 हो गई जो कि राज्य में कुल बैंक कार्यालयों की संख्या का 89 प्रतिशत है। यदि इसे जनसंख्या से जोड़ा जाए तो राज्य में प्रति बैंक कार्यालय औसत में जनसंख्या दिसम्बर, 1988 की 7,627 से घटकर दिसम्बर, 1989 में 7,189 हो गई।

10.2 प्रदेश में शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमा राशि दिसम्बर, 1988 के अन्तिम शुक्रवार को 1,005.13 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर, 1989 के अन्तिम शुक्रवार को 1,139.79 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इस दौरान इसमें 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल बैंक में ऋण राशि दिसम्बर, 1988 के अन्तिम शुक्रवार को 343.90 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर 1989 के अन्तिम शुक्रवार को 398.25 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि 15.8 प्रतिशत के लगभग थी। राज्य में ऋण दर दी गई राशि जमा राशि का अनुपात दिसम्बर, 1988 के 34.2 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 1989 में 34.9 प्रतिशत हो गया। राज्य में दिसम्बर 1989 में 89 प्रतिशत बैंक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे परन्तु कुल ऋण का केवल 69.1 प्रतिशत तथा कुल जमा राशि का 69.2 प्रतिशत इन बैंकों द्वारा था। दिसम्बर, 1989 में राज्य के जिला कांगड़ा में बैंकों में जमा राशि 24.1 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 14.2 प्रतिशत थे। जिला शिमला में बैंकों में जमा राशि 23.8 प्रतिशत तथा बैंकों द्वारा दिये गये ऋण 24.0 प्रतिशत थे।

10.3 सभी वाणिज्यिक शैड्यूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि जून, 1986 के अन्त में 336.63 करोड़ रुपये थी जो कि जून 1985 की बकाया ऋण राशि 259.13 करोड़ रुपये से 29.9 प्रतिशत अधिक थी। सभी वाणिज्यिक शैड्यूल्ड बैंकों द्वारा दी गई बकाया ऋण राशि के बारे में क्षेत्रानुसार धात्रा आंकड़े जून 1985 से जून 1986 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। अधिकतर क्षेत्रों में बकाया ऋण राशि में जून, 1985 व जून 1986 के मध्य काफी वृद्धि हुई। नीचे दी गई तालिका में सभी वाणिज्यिक शैड्यूल्ड बैंकों द्वारा जून, 1985 व जून, 1986 के अन्तिम शुक्रवार को महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बकाया ऋण राशि के आंकड़े दर्शाये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में शैड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दी गई बकाया ऋण राशि का आवंटन

क्रम संख्या	क्षेत्र	लाख रुपयों में				
		आखिरी शुक्रवार को उधार दी गई बकाया राशि		प्रतिशत	वृद्धि	
		जून 1985	जून 1986	कमी (+)	कमी (-)	
		बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	बकाया राशि	कुल से प्रतिशत	1985 से 1986 में
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि एवं सहयोगी सेवाएं	42.40	16.36	56.59	16.81	33.47
2.	खन एवं उत्खनन	2.06	0.80	4.24	1.26	105.82
3.	विनिर्माण उद्योग	100.41	38.75	127.99	38.02	27.47
4.	विद्युत	6.13	2.37	0.53	0.16(-)	91.35
5.	निर्माण	1.56	0.60	0.50	0.15(-)	67.95

1	2	3	4	5	6	7
6.	परिवहन संचालक	31.72	12.24	39.92	11.86	25.85
7.	निजि तथा व्यवसायिक सेवाएं	12.01	4.63	14.43	4.29	20.15
8.	निजी ऋण	7.63	2.94	15.78	4.69	106.82
9.	व्यापार	37.06	14.31	56.27	16.71	51.83
10.	अन्य	18.15	7.00	20.38	6.05	12.29
कुल बैंक उधार		259.13	100.00	336.63	100.00	29.91
जिसमें से लघु उद्योगों को		72.40	27.94	64.72	19.23 (-)	10.61

सहकारी बैंक

10.4 राज्य की जनता को हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक भी सुविधाएं प्रदान करते हैं मुख्य कार्यालय सहित शाखा कार्यालयों की राज्य में जून 1989 में संख्या 70 थी। प्रति बैंक कार्यालय (वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक दोनों) जून 1989 में अनुमानित जनसंख्या 6,860 थी। सहकारी बैंकों में कुल जमा राशि जून 1988 की 6,986 लाख रुपये की तुलना में जून, 1989 में 11,129.00 लाख रुपये हो गई इस प्रकार इस दौरान इसमें 59.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

11. परिवहन तथा संचार

सड़कें

11.1 हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास मुख्यतः कुशल संचार प्रणाली पर निर्भर करता है। सड़कें इस प्रदेश वासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यातायात के अन्य साधन नाम मात्र हैं। इसलिए प्रदेश की विकास योजनाओं में सड़क निर्माण को काफी अधिक महत्व दिया गया है। मार्च, 1989 के अन्त तक प्रदेश में 16,568 किलोमीटर वाहन चलने योग्य सड़कें थीं जिन का घनत्व 29.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 34.25 करोड़ रुपये जिसमें 4.80 करोड़ रुपये विशेष घटक योजना तथा 3.90 करोड़ रुपये जन-जातीय उपयोजना भी शामिल है मन्जूर किए गए। वर्ष 1989-90 का लक्ष्य तथा दिसम्बर, 1989 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	मदद्	इकाई	लक्ष्य 1989-90	उपलब्धियां दिसम्बर 1989 तक
1	2	3	4	5
1.	वाहन चलने योग्य (एक लेन)	किलोमीटर	200	140
2.	जल निकास	"	110	61
3.	पक्की तथा विरालित सड़कें	"	90	64
4.	पुल	संख्या	18	10
5.	जीप चलने योग्य	किलोमीटर	12	8

राष्ट्रीय उच्च मार्ग

11.2 हिमाचल प्रदेश में 527 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण एवं सुधार हेतु भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय ने 1100.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की थी। जिसमें से दिसम्बर, 1989 तक 384.33 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत शिमला से वांगटू राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22 को चौड़ा करना, बडोग बाई पास का निर्माण तथा पठानकोट चक्की-मण्डी मार्ग जिस को हाल ही में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-20 का नाम दिया गया है की शुरुआत के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के रख रखाव तथा बाढ़ वर्षा से हुए नुकसानों को पूरा करने हेतु 637.78 लाख रुपये की राशि को उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 1989-90 के अन्त तक पूर्ण राशि के उपयोग में लाए जाने की सम्भावना है।

महत्वपूर्ण सड़कें

11.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुकेरिया-तलवाड़ा-नूरपुर सड़क से चक्की-धार तक सड़क के विस्तार हेतु वर्ष 1989-90 में भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय द्वारा 170.00 लाख रुपये अनुमोदित किए हैं। दिसम्बर, 1989 तक 120.00 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे और वर्ष 1989-90 के अन्त तक सारी धन राशि खर्च किए जाने की आशा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1989 तक 5.5 किलोमीटर सड़क की पक्की तथा विरालित की गई तथा 3 पुल का कार्य पूरा किया गया।

भवन

11.4 आवासीय तथा गैर आवासीय दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा बनने वाले निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। वह भवन जो पूर्ण कर लिए गए हैं या अभी जिन पर निर्माण कार्य जारी है वह इस प्रकार हैं:—

1. राज भवन
2. बस स्टैण्ड
3. पुलिस मुख्यालय
4. सिविल सचिवालय
5. आर्मसडैल भवन
6. उद्योग भवन,
7. युवा परिसर
8. मैडिकल कालेज का प्रशासनिक ब्लॉक
9. सरकट हाऊस
10. क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला
11. अस्पताल परिसर नूरपुर
12. मिनी सचिवालय मण्डी इत्यादि। इसके अतिरिक्त धर्मशाला तथा पण्डोह में 405 पुलिस कर्मियों के लिये बैरकों के निर्माण तथा नवें वित्त आयोग के द्वारा राज्य में अन्य विभागों के कार्यों पर प्रयुक्त की जा चुकी है। इसके साथ-साथ विभाग में अन्य विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, पशु पालन, खाद्य एवं आपूर्ति, शिक्षा तथा मत्स्य पालन इत्यादि के 61 आवासीय तथा 50 गैर आवासीय भवनों का निर्माण भी किया है।

रेलवे

11.5 प्रदेश में रेलवे लाईन की कुल लम्बाई 31 मार्च, 1989 तक 209 कि० मी० थी। यहां दो छोटी लाईनें शिमला कालका (96 कि० मी०) और जोगिन्द्रनगर-पठानकोट (113 कि० मी०) हैं। चौड़ी रेलवे लाईन नंगल ऊना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब तलवाड़ा तक इसका विस्तार विधा जा रहा है।

नागरिक उड्डयन

11.6 सातवीं पंच वर्षीय योजना से पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में भूतर में केवल एक हवाई पट्टी थी। सातवीं योजना के दौरान जुब्बल-हट्टी, शिमला तथा गगल, कांगड़ा नामक दो हवाई अड्डों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। शिमला हवाई अड्डा मई, 1987 में चालू कर दिया गया था और कांगड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन नवम्बर, 1989 में किया गया था। हवाई अड्डों के निर्माण से कांगड़ा तथा शिमला घाटियों का हवा के माध्यम से बाकी देश के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। अभी तक डोडरा बवार, काजा, केलग, किलाड़, रोहडू, वैकुफर में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है तथा भरमौर, रामपुर, चम्बा, इत्यादि में निर्माण कार्य जारी है। शिमला हवाई अड्डा जुब्बल-हट्टी में रनवे का विस्तार कार्य पूरा किया जा चुका है। तथा आशा है कि इस हवाई अड्डे पर अधिक क्षमता वाले हवाई जहाज भी उतर सकेंगे।

पथ परिवहन

11.7 परिवहन के अन्य स्रोत जैसे नभ, स्थल तथा जल परिवहन नहीं के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और बढ़ जाता है और इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना परिवहन सेवा को समन्वित आयोजित, पर्याप्त तथा कार्यसाधक बनाने के लिए की गई थी। निगम प्रदेश के सभी भागों में बस सेवाएं चला रहा है तथा पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के साथ मिल कर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इस समय राज्य में यात्री परिवहन का विशेषतः पुराने हिमाचल में राष्ट्रीय कारण है।

11.8 वर्ष 1988-89 मार्च में, 1989 तक निगम के पास 1,379 बसें थीं जबकि मार्च, 1988 में 1,334 बसें थीं। 31 दिसम्बर, 1989 तक परिवहन की 1,515 बसें थीं जोकि 1,218 मार्गों पर चल रही थीं।

11.9 बसों द्वारा तय की गई दूरी.—वर्ष 1988-89 के दौरान दिसम्बर, 1989 तक निगम की बसों ने 2.57 लाख किलो मीटर प्रतिदिन की दूरी तय की जबकि वर्ष 1987-88 में यह 2.33 लाख किलोमीटर प्रति दिन थी।

11.10 इस समय प्रदेश में 20 क्षेत्र तथा उपक्षेत्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त तारादेवी व मण्डी में 2 मण्डलीय कर्मशालाएं बसों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए हैं। इसके अतिरिक्त जसूर जिला कांगड़ा में आधुनिक कर्मशाला कार्यरत है।

12. सहकारिता

12.1 प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 1987-88 में 3,716 थी जो कि वर्ष 1988-89 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि से 3,841 हो गई है और उनकी अंश पूंजी जो वर्ष 1987-88 में 3,116.05 लाख रुपये थी, वर्ष 1988-89 में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि से 3,671.86 लाख रुपये हो गई। इन समितियों की जमा पूंजी वर्ष के दौरान 24.8 प्रतिशत की वृद्धि से 21,688.48 लाख रुपये हो गई जो कि वर्ष 1987-88 में 17,371.09 लाख रुपये थी। अल्पकालीन व मध्याकालीन ऋण (कृषि और गैर कृषि) जो वर्ष 1987-88 में 3,678.77 लाख रुपये थे, 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 1988-89 में 4,380.93 लाख रुपये हो गये जबकि दीर्घकालीन ऋण जो वर्ष 1987-88 में 312.67 लाख रुपये थे वर्ष 1988-89 में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि से 354.68 लाख रुपये हो गये। कार्यरत पूंजी में वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 में 30.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में पिछले दो वर्षों की प्रगति को दर्शाया गया है :-

सहकारिता की प्रगति

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	वर्ग	1987-88	1988-89 प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1.	समितियों की संख्या	3,716	3,841 3.4
2.	सदस्यता (लाखों में)	9.20	9.56 3.9
3.	अंश पूंजी	3,116.05	3,671.86 17.8
4.	जमा पूंजी	17,371.09	21,688.48 24.8
5.	कुल अल्पकालीन व मध्याकालीन ऋण वितरित (कृषि तथा गैर कृषि ऋण)	3,678.77	4,380.93 19.1
6.	दीर्घ कालीन ऋण वितरित	312.67	354.68 13.4
7.	कृषि उपज का विपणन मूल्य	1,482.95	2,026.27 36.6
8.	फुटकर वितरण		
	(क) उपभोक्ता वस्तुएं	6,499.54	7,025.42 8.1
	(ख) कृषि उर्वरक	1,025.38	1,065.54 3.9
9.	ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी (प्रतिशत)	95	97 2

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

सहकारी ऋण

12.2 सहकारी ऋण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय भूमि विकास बैंक परिसमिति शिमला तथा प्राथमिक विकास बैंक परिसमित धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। यह दोर्वकाजोन ऋण किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दिये जाते हैं।

विपणन

12.3 सहकारी संस्थायें, नगदी फसलों जैसे बीज का आलू, अदरक, चाय तथा सेब की फसल के विपणन का काम कर रही है। ये सहकारी संस्थायें किसानों की कृषि उपज को बड़ी-बड़ी मण्डियों में भेजती है ताकि उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सकें।

उपभोग्यता वस्तुओं का वितरण

12.4 प्राथमिक समितियाँ प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर करती है।

उपकरणों की आपूर्ति

12.5 सहकारी समितियाँ किसानों को उचित समय व उचित मूल्य पर विभिन्न कृषि उपकरणों जैसे उर्वरक, उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है।

13. स्थानीय निकाय

13.1 भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में पंचायतें जो गांव की मूल संस्थाएँ हैं ग्रामीण लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अतः इन प्रमुख प्रजातन्त्र संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। योजनाओं को बनाने तथा इनकी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सरकारी रूप में सम्बन्ध किये बिना हम ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा भौतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते।

13.2 हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1968 के अन्तर्गत तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायतें, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2,597 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियाँ तथा 12 जिला परिषदें कार्यरत हैं।

13.3 वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित कार्य किए गए :-

1. पंचायत घरों का निर्माण तथा मरम्मत
2. पंचायत पुस्तकालयों की सहायता
3. लाभप्रद सम्पत्ति का सृजन
4. जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा नगर पालिका के कार्य करना
5. पंचायत प्रतियोगिता पुरस्कार
6. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण
7. पंचायतों के कार्यकलाप की समीक्षा व प्रगति को आंकने हेतु कक्ष की स्थापना।
8. पंचायत समिति जिला परिषद के भवनों का निर्माण।
9. स्वयं सेवी पंचायत सहायकों एवं पुस्तकाध्यक्ष को अंश कालिन वेतन देने का प्रावधान भी कार्यान्वित करना।

नगर पालिकाएँ

13.4 प्रदेश में इस समय नगर-निगम शिमला सहित 50 शहरी स्थानीय निकाय कार्यरत हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने के कारण सरकार प्रतिवर्ष नागरिक सुख सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान देती है। वर्ष 1989-90 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को 193.63 लाख रुपये (77.77 रुपये योजना के अन्तर्गत तथा 115.86 लाख रुपये गैर योजना के अन्तर्गत) अनुदान दिये जाने का बजट में प्रावधान है जो कि स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के रूढ़-रखव और विकास कार्यों के लिये अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं।

13.5 अप्रैल, 1982 में चुगी के समाप्त कर देने के कारण शहरी स्थानीय निकायों की आय कम हो जाने से सरकार अनुदान सहायता प्रदान कर रही है ताकि इसका कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाया जा सके। वर्ष 1988-89 में इनको 239.53 लाख रुपये गैर योजना के अन्तर्गत अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को दिया गया। शुष्क शौचालयों को हैंड फ्लश में परिवर्तित किये जाने के लिये 31 दिसम्बर, 1989 तक 43.05 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा उपदान के रूप में दिया गया तथा 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया गया जो कि लाभ हानि वित्त लोगों से किस्तों में वसूल किया गया। वर्ष 1988-89 के अन्तर्गत दिसम्बर, 1989 तक 3,178 शुष्क शौचालयों को हैंड फ्लश में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी मूल सेवा कार्यक्रम उना जिले के 5 नगरों में आरम्भ किया गया जो कि उना, गगरेट, सन्तोखगढ़, दौलतपुर और महतपुर में आरम्भ किया गया ताकि निम्न आय वर्ग की उत्तरजिदिका के विकास में वृद्धि हो। इस योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1989 तक 3.58 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

13.6 वर्ष 1988-89 में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिये शहरी स्थानीय निकायों को निम्नलिखित राशि अनुदान के रूप में आवंटित की गई है।

लेखा शीर्ष	योजना	गैर योजना	जोड़
1	2	3	4
3054—सड़कें व पुल	19.01	50.00	69.01
2215—जल आपूर्ति	21.00	15.90	36.90
2217—शहरी विकास	37.76	49.96	87.72
जोड़	77.77	115.86	193.63

14. विशेष अध्ययन

14.1 राज्यों के अर्थ एवं संख्या निदेशालयों के सहयोग से अर्थ व्यवस्था के दोनों कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा दूसरी आर्थिक गणना का कार्य पूरे देश में किया गया। फसल उत्पादन और पौध रोपण में लगे उद्यमों को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। इसका क्षेत्रीय कार्य 1981 की जनगणना की मकान सूची के साथ साथ किया गया। जनगणना के साथ आयोजित करने से यह उपयुक्त समझा गया कि यह सुविधाजनक और मितव्ययी सिद्ध होगा। आर्थिक गणना में उद्यम वह उपक्रम है जो किसी माल के उत्पादन और/या वितरण और/या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो जो परिवार के अपन ही उपयोगके लिए न हो। दूसरी आर्थिक गणना में उद्यम का स्थान, कार्यवाही का स्वरूप, स्वामित्व का प्रकार, स्वामित्व का सामाजिक वर्ग, कार्य कलाप में प्रयुक्त होने वाल शक्ति/ईंधन और कार्य करने वालों की कुल संख्या जिसमें भाड़े के श्रमिक भी शामिल हों और सामान्यतः जो उद्यम में काम कर रहे हों का वर्णन किया गया।

संचालन

14.2 भारत के जनगणना आयुक्त व महापंजीकार और राज्यों के जनगणना निदेशक, जनगणना के क्षेत्रीय कार्य के ताल-मेल और आयोजन के लिए उत्तरदायी थे। आर्थिक गणना के तकनीकी मार्ग दर्शन व सारणीकरण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार, व राज्यों के अर्थ एवं संख्या निदेशालयों के ऊपर था। राज्यों के जनगणना निदेशालयों व सांख्यिकीय निदेशालयों द्वारा संयुक्त रूप से उपमण्डल, जिला और राज्य स्तर पर जनगणना के लिए मकान सूचीकरण व आर्थिक गणना के लिए उद्यम सूची भरने हेतु एक गहन प्रशिक्षण कार्य क्रम आयोजित किया गया।

परिणामों की एक झलक

14.3 दूसरी आर्थिक गणना से यह प्रकट होता है कि प्रदेश में भिन्न-भिन्न आर्थिक कार्यकलापों में (फसल उत्पादन एवं पौध रोपण के अलावा) 1.39 लाख उद्यम थे, जिनमें 3.44 लाख लोगों की रोजगार मिला हुआ था। इनमें से 3.29 लाख (95.5 प्रतिशत) जोग गैर कृषि कार्यकलापों में और शेष 0.15 लाख (4.5 प्रतिशत) कृषि कार्यकलापों में संलग्न थे। कुल उद्यमों में से 1.15 लाख (82.3 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, बाकी 0.24 लाख (17.7 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्रों में थे। 1.01 लाख (72.8 प्रतिशत) उद्यम स्वकार्यरत उद्यम थे, शेष 0.38 लाख (27.2 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे, (प्रतिष्ठान वह उद्यम थे जो कम से कम भाड़े पर मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति की रोजगार देता हो)।

14.4 इससे यह भी प्रकट होता है कि 1.15 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों में से 1.09 लाख (94.4 प्रतिशत) गैर-कृषि क्षेत्र में थे और बाकी 0.06 लाख (5.6 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित थे। 1.09 लाख गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों में से 0.81 लाख (74.5 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे और बाकी 0.28 लाख (25.5 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे।

14.5 नगरीय क्षेत्रों में कुल उद्यमों में से 98.7 प्रतिशत उद्यम गैर कृषि क्षेत्र में थे बाकी 1.3 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे। 0.24 लाख गैर-कृषि उद्यमों में 0.15 लाख (62 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे, शेष 0.09 लाख (38 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे। जबकि कृषि उद्यमों में 69 प्रतिशत स्वकार्यरत उद्यम थे व 31 प्रतिशत प्रतिष्ठान थे।

14.6 प्रत्येक उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या 2.47 थी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्यमों में 68.5 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत थे जबकि यह प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर पर केवल 45 प्रतिशत थी। इसी प्रकार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि व गैर कृषि उद्यमों में लगे श्रमिकों की प्रतिशतता 31.5 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 55 प्रतिशत थी।

14.7 उद्यमों में लगे कुल श्रमिकों में से भाड़े के श्रमिकों की प्रतिशतता काफी थी, जिनकी संख्या लगभग 2.04 लाख (59.2 प्रतिशत) थी, इन 2.04 लाख भाड़े के श्रमिकों में से 1.22 लाख ग्रामीण उद्यमों में थे जबकि शेष 82 हजार नगरीय उद्यमों में थे। भाड़े के श्रमिकों में से केवल 2.0 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में थे।

गैर कृषि उद्यमों का कार्यकलाप बंटन

14.8 गैर कृषि उद्यमों के कार्यकलाप बंटन के आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि विनिर्माण व मुरम्मत सेवाएँ, थोक व परचून व्यापार और सामाजिक सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाएँ तीन बड़े कार्यकलाप थे जिनमें उद्यमों की संख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक थी जो कि 46 प्रतिशत विनिर्माण व मुरम्मत सेवाएँ 23 प्रतिशत थोक व परचून व्यापार और 19 प्रतिशत सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाओं में लगे उद्यम थे। इन तीन कार्यकलापों का कुल 12 कार्यकलापों में से 88 प्रतिशत अंश था, जबकि सम्पूर्ण भारत के लिए यह 89 प्रतिशत था, शेष बचे हुए 9 कार्यकलाप समूह, गैर कृषि उद्यमों प्रतिष्ठानों, में केवल 12 प्रतिशत हिस्सा था।

14.9 ग्रामीण क्षेत्रों में, विनिर्माण व मरम्मत सेवाओं की प्रतिशतता (जो कि 50 प्रतिशत थी) सबसे अधिक थी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रतिशतता थोक व परचून व्यापार की थी, जो कि 38 प्रतिशत आंकी गई। राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतिशतता क्रमशः विनिर्माण व मरम्मत सेवायें (39 प्रतिशत) और थोक व परचून व्यापार (42 प्रतिशत) थी।

14.10 उद्यमों की स्थिति की संख्या व उनकी चयनित विशिष्टतायें नीचे की तालिका में दी गई हैं :—

तालिका--I

हिमाचल प्रदेश में उद्यमों की चयनित विशिष्टतायें

मद	ग्रामीण		शहरी		योग
	संख्या	प्रतिशतता	संख्या	प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6
कुल उद्यम चल रहे उद्यम	1,15,426	82.84	23,916	17.16	1,39,342
(i) मौसमी	16,458 (14.26)	96.45	606 (2.53)	3.55	17,064 (12.25)
(ii) बिना आहाते के	12,651 (10.97)	88.67	1,616 (6.76)	11.33	14,267 (10.24)
(iii) शक्ति/ईंधन सहित	23,386 (20.26)	81.38	5,351 (22.37)	18.62	28,737 (20.62)
(iv) अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में	4,267 (3.70)	93.73	283 (1.18)	6.22	4,550 (3.27)
(v) अनुसूचित जाति के स्वामित्व में	18,836 (17.19)	91.37	1,874 (7.83)	8.63	21,710 (15.58)

नोट:—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े समस्त उद्यमों की प्रतिशतता, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दर्शाते हैं।

14.11 प्रदेश के कुल 1.39 लाख ग्रामीण व शहरी में से मौसमी उद्यमों की संख्या 0.17 लाख, (12.25 प्रतिशत) थी, बिना आहाते के काम कर रहे उद्यमों की संख्या 0.14 लाख (10.24 प्रतिशत) थी, और 0.29 लाख (20.62 प्रतिशत) उद्यम किसी प्रकार के शक्ति/ईंधन के साथ काम कर रहे थे। 0.05 लाख (3.27 प्रतिशत) उद्यमों के स्वामी अनुसूचित जन जाति के लोग थे जबकि 0.22 लाख (15.58 प्रतिशत) उद्यम अनुसूचित जाति के लोगों के थे।

14.12 यह पाया गया कि राज्य में 1,000 की जनसंख्या के पीछे 33 उद्यम थे। राज्य की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तदनु रूप आंकड़े 29 व 73 थे। प्रति दसवर्ग किलोमीटर के पीछे राज्य में उद्यमों की संख्या 25 थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह संख्या क्रमशः 21 व 1,123 थी।

राज्य व समस्त भारत की आर्थिक गणना 19 80 के आंकड़ों की तुलना

14.13 देश में दूसरी आर्थिक गणना के परिणामों के अनुसार 183.6 लाख उद्यम थे जिनमें से 133.8 लाख (73 प्रतिशत) स्वकार्यरत उद्यम थे व शेष 49.8 लाख (27 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे। हिमाचल प्रदेश में कुल उद्यम 1.39 लाख थे जो कि देश के कुल उद्यमों का 0.76 प्रतिशत था। इन में से 1.01 लाख (0.75 प्रतिशत) स्वकार्यरत व शेष 38 हजार (0.76 प्रतिशत) प्रतिष्ठान थे।

14.14 देश में सामान्यतः कार्यरत 53.68 लाख व्यक्तियों में से प्रदेश में केवल 3.44 लाख (0.64 प्रतिशत) व्यक्ति कार्यरत थे। नीचे दी गई तालिका में हिमाचल प्रदेश की स्थिति की समस्त भारत के साथ तुलना की गयी है :—

तालिका-2

हिमाचल प्रदेश की समस्त भारत से तुलना

क्रम संख्या	मह	इकाई	भारत	हिमाचल प्रदेश
1	2	3	4	5
1. उद्यमों की संख्या:				
(i) कुल उद्यम		संख्या लाख में	183.6	1.39 (0.76)
(ii) स्वकार्यरत उद्यम		"	133.8	1.01 (0.75)
(iii) प्रतिष्ठान		"	49.8	0.38 (0.76)
2. श्रमिकों की संख्या :				
(i) कुल श्रमिक		"	536.68	3.44 (0.64)
(ii) भाड़े पर श्रमिक		"	295.92	2.04 (0.69)
3. उद्यमों की स्थिति :				
(i) ग्रामीण क्षेत्र		प्रतिशतता	60.7	82.8
(ii) नगरीय क्षेत्र		"	39.3	17.2
4. श्रमिकों की प्रतिशतता :				
(i) ग्रामीण क्षेत्र		"	45.6	68.5
(ii) शहरी क्षेत्र		"	54.4	31.5
5. भाड़े के श्रमिकों की प्रतिशतता :				
(i) ग्रामीण क्षेत्र		"	34.0	59.9
(ii) शहरी क्षेत्र		"	66.0	40.1

नोट:—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े समस्त भारत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कृषि उद्यमों की मूल विशेषताएं

14.15 कुल 0.07 लाख कृषि उद्यमों जिनमें 0.14 लाख व्यक्ति कार्यरत थे [0.06 लाख (95.3 प्रतिशत) उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे और 0.13 लाख (91.6) प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दे रखा था।

उद्यमों की संख्या व रोजगार

14.16 कृषि उद्यमों की संख्या व उनके द्वारा दिये गये रोजगार की मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए नीचे दी गयी तालिका में दर्शायी गयी है :—

तालिका-3

कृषि उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों व भाड़े पर श्रमिकों की संख्या

उद्यमों के प्रकार	क्षेत्र	स्वकार्यरत उद्यम	प्रतिष्ठान	योग
1	2	3	4	5
1. कृषि उद्यमों की संख्या	ग्रामीण	5,373	1,060	6,433
	शहरी	220	100	320
	योग ..	5,593	1,160	6,753
2. सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	ग्रामीण	9,553	4,594	14,147
	शहरी	322	974	1,296
	योग ..	9,875	5,568	15,443
3. भाड़े के श्रमिकों की संख्या	ग्रामीण	—	4,159	4,159
	शहरी	—	944	944
	योग ..	—	5,103	5,103

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि इन उद्यमों में औसत रोजगार की मात्रा 2.29 व्यक्ति प्रति उद्यम है, स्वकार्यरत उद्यमों में 1.77 व प्रतिष्ठानों में 4.8 व्यक्ति प्रति उद्यम थी। रोजगार की औसत मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्वकार्यरत उद्यमों में क्रमशः 1.78 व 1.46 व्यक्ति प्रति उद्यम थी। प्रतिष्ठानों में 4.33 और 9.74 व्यक्ति प्रति उद्यम क्रमशः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में थे।

रोजगार के वर्गीकरण द्वारा स्वकार्यरत कृषि उद्यमों की मूल विशिष्टताएं

14.17 आंकड़ों का वर्गीकरण करने पर यह स्पष्ट होता है कि 84.14 प्रतिशत स्वकार्यरत उद्यम एक या दो श्रमिकों के रोजगार वर्ग द्वारा चलाये जा रहे थे जबकि 7.65 प्रतिशत उद्यमों में तीन श्रमिक कार्यरत थे। पांच या पांच से अधिक श्रमिकों की श्रेणी में 3.98 उद्यम थे। नीचे दी गई तालिका में स्वकार्यरत उद्यमों का विवरण दिया गया है :—

तालिका-4

स्वकार्यरत कृषि उद्यमों का वितरण

रोजगार की श्रेणी	ग्रामीण		शहरी		योग	
	उद्यमों की संख्या	रोजगार पर व्यक्तियों की संख्या	उद्यमों की संख्या	रोजगार पर व्यक्तियों की संख्या	उद्यमों की संख्या	रोजगार पर व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1—2	4502	5928	204	266	4706	6194
	(83.79)	(62.05)	(92.73)	(82.61)	(84.14)	(62.72)

14.19 षडश में 14.98 प्रतिशत सीमा में दर की दर कायम रखी जायेगी। 14.12 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। 14.12 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। 14.12 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी।

रिजर्व की सीमा		रिजर्व की सीमा			
1	2	3	4	5	6
5 तक	84.93	69.25	81.08	100.00	100.00
6 से 9 तक	6.89	11.86	8.11	100.00	100.00
10 से 49	7.45	16.04	9.55	100.00	100.00
50 से 99	0.48	1.83	0.81	100.00	100.00
100 से 200	0.16	0.65	0.28	100.00	100.00
200 से 499	0.06	0.28	0.12	100.00	100.00
500 से अधिक	0.03	0.09	0.05	100.00	100.00

रिजर्व की सीमा

नियम-5

14.18 रिजर्व की सीमा 0.28 प्रतिशत से 0.29 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। 14.18 प्रतिशत से 14.19 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। 14.18 प्रतिशत से 14.19 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी। 14.18 प्रतिशत से 14.19 प्रतिशत तक बढ़ा दी जायेगी।

रिजर्व की सीमा		रिजर्व की सीमा			
1	2	3	4	5	6
3	417	1251	1284	100.00	100.00
4	234	936	948	100.00	100.00
5	95	475	480	100.00	100.00
6-9	109	752	758	100.00	100.00
10 से अधिक	16	211	211	100.00	100.00

9.84 प्रतिशत शहरी थे। 3.03 प्रतिशत व 21.64 प्रतिशत उद्यमों पर अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति का स्वामित्व था। इसी प्रकार 4.78 प्रतिशत मौसमी गैर कृषि प्रतिष्ठान थे और बिना अहाते के प्रतिष्ठानों की प्रतिशतता केवल 2.48 थी। इस सिलसिले में अधिक विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :—

तालिका-6

गैर कृषि उद्यमों की चयनित विशिष्टतायें

विशिष्टतायें	स्वकार्यरत उद्यम			प्रतिष्ठान		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. सभी उद्यमों की संख्या	81208	14580	95788	27785	9016	36801
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)
2. मौसमी	13893	457	14350	1632	127	1759
	(17.10)	(3.13)	(14.98)	(5.87)	(1.41)	(4.78)
3. बिना अहाते के	9034	1434	10468	795	116	911
	(11.12)	(9.84)	(10.93)	(2.86)	(1.29)	(2.48)
4. स्वामित्व :						
(i) अनुसूचित जन जाति	2687	213	2900	284	65	349
	(3.31)	(1.46)	(3.03)	(1.02)	(0.72)	(0.95)
(ii) अनुसूचित जाति	19115	1609	20724	347	218	565
	(23.54)	(11.04)	(21.64)	(11.25)	(2.42)	(1.54)
5. शक्ति/ईंधन के साथ	18439	2953	21392	4442	2378	6820
	(22.72)	(20.25)	(22.33)	(15.99)	(26.37)	(18.53)
6. स्वामित्व का प्रकार :						
(क) सहकारी	—	—	—	1701	312	2013
				(6.12)	(3.46)	(5.47)
(ख) सावजनिक	—	—	—	19056	3673	22729
				(68.58)	(40.74)	(61.76)

गैर कृषि उद्यमों की मूल विशिष्टतायें

14.20 कुल 1.33 लाख गैर कृषि उद्यमों में से 0.96 लाख स्वकार्यरत उद्यम व शेष 0.37 लाख प्रतिष्ठान थे। नीचे दी गई तालिका में उद्यमों की संख्या व सामान्यता काम करने वालों की संख्या दर्शायी गई है :—

तालिका-7

गैर कृषि स्वकार्यरत उद्यम

रोजगार की श्रेणी	ग्रामीण		शहरी		योग	
	उद्यमों की संख्या	सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	उद्यमों की संख्या	सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	उद्यमों की संख्या	सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1--2	78569 (96.74)	87655 (89.39)	13619 (93.42)	16914 (83.04)	92188 (96.24)	104479 (88.22)
3	1509 (1.86)	4527 (4.62)	655 (4.49)	1965 (9.65)	2164 (2.26)	6492 (5.48)
4	605 (0.75)	2420 (2.47)	187 (1.28)	748 (3.67)	792 (0.83)	3168 (2.68)
5	216 (0.27)	1080 (1.10)	64 (0.44)	320 (1.57)	280 (0.29)	1400 (1.18)
6--9	261 (0.32)	1784 (1.82)	47 (0.32)	320 (1.57)	380 (0.32)	2104 (1.78)
10. और अधिक	48 (0.06)	682 (0.70)	8 (0.05)	102 (0.50)	56 (0.06)	784 (0.66)
सभी श्रेणियां	81208 (100.00)	98058 (100.00)	14580 (100.00)	20369 (100.00)	95788 (100.00)	118427 (100.00)

PART II

STATISTICAL TABLES

CONTENTS

Table	Page
1. Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh ..	2
2. District-wise Area, Population, Density & Number of Households ..	2
3. Distribution of Population by Workers and Non-Workers ..	3
4. Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural labourers, Household Industry and Other Workers ..	3
5. Handicapped Population of Himachal Pradesh ..	4
6. Projected Population of Himachal Pradesh ..	4
7. Production of Principal Crops ..	5
8. Index Numbers of Area under Principal Crops ..	6
9. Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops ..	7
10. District-wise Number and Area of Operational Holdings 1985-86 ..	8
11. Livestock, Poultry and Agricultural Implements ..	9
12. Outturn and Value of Major and Minor Forest Produce ..	10
13. Area under Forests ..	10
14. Co-operation ..	11
15. Generation and Consumption of Electricity ..	12
16. Area under Fruits ..	13
17. Production of Fruits ..	13
18. Himachal Pradesh Government Employees ..	14
19. Employment Exchange Statistics ..	14
20. Education ..	15
21. Medical and Public Health ..	16
22. Roads ..	17
23. Nationalised Road Transport ..	17
24. Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh ..	18
25. Index Numbers of Wholesale Prices in India ..	19
26. Incidence of Crimes ..	20

Units of measurements and symbols used in the brochure

Metric unit	Equivalent to old unit
One kilometre	.. 0.62137 mile
One hectare	.. 2.47105 acres
One litre	.. 0.22102 gallon
One quintal	.. 2.6792 maunds
One metric ton or tonne	.. 0.98420 ton
One cubic metre	.. 35.37319 cubic feet

Symbols used-

- .. Not available
- Nil or negligible
- P Provisional.
- R Revised

TABLE-1

SALIENT FEATURES OF POPULATION CENSUS IN HIMACHAL PRADESH

Year	Total population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per Sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1951 ..	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961 ..	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971 ..	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981 ..	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6

Source:-(i)General Population Tables-IIA,Census of India,1971
(ii)Census of India,1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

TABLE-2

DISTRICT-WISE AREA, POPULATION, DENSITY AND NUMBER OF HOUSEHOLDS
1981 CENSUS

District	Area (Sq. Kilometres)	Population	Density per Sq. kilometre	Number of households
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	1,167 (2.10)	2,47,368(5.78)	212	42,886
Chamba ..	6,528 (11.72)	3,11,147(7.27)	48	59,883
Hamirpur ..	1,118 (2.01)	3,17,751(7.42)	284	58,151
Kangra ..	5,739 (10.31)	9,90,758(23.14)	173	1,77,622
Kinnaur ..	6,401 (11.50)	59,547(1.39)	9	12,457
Kullu ..	5,503 (9.88)	2,38,734(5.58)	43	46,495
Lahaul-Spiti ..	13,835 (24.85)	32,100(0.75)	2	6,446
Mandi ..	3,950 (7.09)	6,44,827(15.06)	163	1,16,487
Shimla ..	5,131 (9.22)	5,10,932(11.94)	100	95,609
Sirmaur ..	2,825 (5.07)	3,06,952(7.17)	109	53,603
Solan ..	1,936 (3.48)	3,03,280(7.08)	157	55,761
Una ..	1,540 (2.77)	3,17,422(7.42)	206	58,394
Himachal Pradesh ..	55,673(100.00)	42,80,818(100.00)	77	7,83,794

Note- Figures in brackets indicate percentage to total

Source:-(i)Census of India,1981 Series 7,H.P.Part-IIB
Primary Census Abstract.

(ii)Census of India,1981,Final Population Totals,H.P.

TABLE-3
DISTRIBUTION OF POPULATION BY WORKERS AND NON-WORKERS
1981 CENSUS

District	Total population	Total main workers	Marginal workers	Non-Workers	Percentage of main workers to total pop.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur ..	2,47,368	78,662	24,374	1,44,332	31.80
Chamba ..	3,11,147	1,09,269	42,319	1,59,559	35.12
Hamirpur ..	3,17,751	78,542	39,409	1,99,800	24.72
Kangra ..	9,90,758	2,64,240	76,024	6,50,494	26.67
Kinnaur ..	59,547	32,552	1,545	25,450	54.67
Kullu ..	2,38,734	1,07,645	17,196	1,13,893	45.09
L & Spiti ..	32,100	18,967	2,487	10,646	59.09
Mandi ..	6,44,827	2,41,340	56,819	3,46,668	37.43
Shimla ..	5,10,932	2,37,102	26,527	2,47,303	46.4
Sirmaur ..	3,06,952	1,23,454	18,801	1,64,697	40.22
Solan ..	3,03,280	1,04,688	23,092	1,75,500	34.52
Una ..	3,17,422	74,564	14,381	2,28,477	23.49
H.P ..	42,80,818	14,71,025	3,42,974	24,66,819	34.36

Source:-Census of India, 1981, Series-7, India, Part-II B(i)
-Primary Census Abstract, General Population

TABLE-4
DISTRIBUTION OF MAIN WORKERS BY CULTIVATORS, AGRICULTURAL
LABOURERS, HOUSEHOLD INDUSTRY AND OTHER WORKERS-1981 CENSUS

District	Total Main Workers	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	78,662	58,867	1,106	1,944	16,745
Chamba	1,09,269	75,039	691	1,196	32,343
Hamirpur	78,542	54,246	1,661	2,495	20,140
Kangra	2,64,240	1,49,232	13,611	7,243	94,154
Kinnaur	32,552	20,174	1,727	766	9,885
Kullu	1,07,645	86,703	1,869	961	18,112
L & Spiti	18,967	9,558	450	44	8,915
Mandi	2,41,340	1,85,543	2,107	4,265	49,425
Shimla	2,37,102	1,58,120	7,017	1,752	70,213
Sirmaur	1,23,454	90,236	2,628	2,177	28,413
Solan	1,04,688	68,559	2,486	1,985	31,658
Una	74,564	45,252	4,719	2,178	22,415
H.P	14,71,025	10,01,529	40,072	27,006	4,02,418

Source:-Census of India, 1981 Series-7, India, Part-II B(i)-
Primary Census Abstract, General Population.

TABLE-5

HANDICAPPED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH-1981 CENSUS

District	Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1.	2.	3.	4.	5.
Bilaspur ..	179	194	202	575
Chamba ..	268	229	354	851
Hamirpur ..	209	203	253	665
Kangra ..	519	510	671	1,700
Kinnaur ..	189	24	277	490
Kullu ..	234	117	412	763
Lahaul-Spiti ..	32	16	26	74
Mandi ..	685	549	665	1,899
Shimla ..	645	300	553	1,498
Sirmaur ..	432	180	288	900
Solan ..	240	206	219	665
Una ..	292	167	175	634
Himachal Pradesh ..	3,924	2,695	4,095	10,714

Source:-Census of India, 1981, Series 7, Himachal Pradesh
Part-V tables on Houses and Disabled Population.

TABLE-6

PROJECTED POPULATION OF HIMACHAL PRADESH

Period	Projected population ('00 persons)	Period	Projected population ('000 persons)
1.	2.	3.	4.
1st March,			
1981	42,808	1991	51,039
1982	43,669	1992	51,813
1983	44,521	1993	52,575
1984	45,363	1994	53,325
1985	46,199	1995	54,061
1986	47,029	1996	54,781
1987	47,850	1997	55,484
1988	48,662	1998	56,166
1989	49,463	1999	56,826
1990	50,255	2000	57,460
		2001	58,067

Source:-Report of the Expert Committee on Population
Projection set up by the Planning Commission.

TABLE-7

PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS

(in '000 tonnes)

Crops	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (R)	1988-89 (P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
FOOD GRAINS					
A. Cereals:					
1. Rice	117.23	125.40	105.55	76.12	89.83
2. Maize	571.64	521.07	562.99	414.98	483.13
3. Ragi	5.67	4.02	4.19	1.63	2.27
4. Small Millets	8.68	8.28	6.95	4.54	5.87
5. Wheat	269.45	492.02	451.39	351.97	502.54
6. Barley	27.26	37.28	35.37	32.64	34.40
Total-Cereals	999.93	1,188.07	1,166.44	881.88	1,118.04
B. Pulses:					
7. Gram	0.43	4.21	2.95	0.97	1.48
8. Other Pulses	7.68	8.55	7.49	4.19	4.49
Total pulses	8.11	12.76	10.44	5.16	5.97
Total-Foodgrains	1,008.04	1,200.83	1,176.88	887.04	1,124.01

Source:- Directorate of Land Records Himachal Pradesh.

TABLE-8
INDEX NUMBERS OF AREA UNDER PRINCIPAL CROPS
(Base=Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A. Cereals:					
(1) Kharif:					
Rice	102.38	102.48	98.15	103.76	97.52
Maize	105.88	109.19	106.32	107.71	106.51
Ragi	70.10	67.11	56.95	68.11	59.81
Millets & others	93.61	86.96	88.98	80.07	87.99
Total-Kharif	103.35	105.18	102.06	104.09	102.07
(2) Rabi:					
Wheat	106.08	108.77	106.31	104.84	105.79
Barley	96.26	90.70	95.14	91.53	87.60
Total-Rabi	105.17	107.10	105.28	103.61	104.10
Total-Cereals	104.24	106.12	103.64	103.86	103.06
B. Pulses:					
Gram	27.05	25.52	45.19	61.01	49.60
Mash	97.12	100.73	89.65	83.66	73.84
Other Pulses	85.12	82.79	81.35	94.82	98.52
Total-Pulses	74.64	74.91	75.16	81.43	75.72
Total-Food Crops	102.23	104.00	101.70	102.34	101.21
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	52.82	59.62	70.23	74.07	58.12
Sesamum	119.01	115.39	89.60	103.06	120.33
Rape & Mustard	108.85	96.36	109.21	127.62	113.29
Linseed	86.80	93.84	93.47	92.50	95.37
Total-Oil Seeds	103.18	99.69	95.47	105.91	107.03
B. Miscellaneous:					
Potato	87.50	86.67	92.42	97.33	94.27
Sugarcane	120.48	109.88	88.55	89.34	97.87
Ginger	80.64	95.95	103.82	109.91	95.39
Tea	98.98	94.89	95.41	99.51	95.50
Total-Miscellaneous	92.57	91.51	93.34	97.73	94.98
Total-Non-food crops	97.39	95.22	94.31	101.44	100.45
Total-Crops	102.00	103.57	101.34	102.29	101.45

Source:-Economics & Statistics Department, H.P.

TABLE-9
INDEX NUMBERS OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS
 (Base: Triennium ending 1981-82=100)

Commodity	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88(P)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. FOOD CROPS					
A. Cereals:					
(i) Kharif:					
Rice	122.96	126.63	135.46	114.02	88.22
Maize	126.04	121.30	110.57	119.47	88.06
Ragi	95.26	75.73	53.74	56.04	21.82
Millet & Others	91.76	65.17	61.65	51.61	33.79
Total-Kharif	124.54	120.97	114.16	116.61	85.32
(ii) Rabi:					
Wheat	78.28	69.53	126.95	116.47	90.81
Barley	78.81	64.72	88.50	83.97	77.49
Total- Rabi	78.33	69.08	123.38	113.45	89.57
Total-Cereals	104.90	98.92	118.08	115.27	87.13
B. Pulses:					
Gram	11.70	7.26	71.45	49.94	16.46
Mash	95.53	44.77	40.83	34.76	21.73
Other Pulses	87.53	66.10	83.45	74.30	38.98
Total-Pulses	67.70	40.17	63.51	51.81	25.58
Total-Food Crops	103.42	96.57	115.90	112.74	84.67
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds:					
Groundnut	84.20	75.62	80.48	38.56	3.01
Sesamum	102.68	61.58	68.32	18.74	49.00
Rape & Mustard	60.13	30.65	103.17	65.81	54.40
Linseed	77.68	66.85	98.32	82.53	60.28
Total-Oil Seeds	83.11	55.82	86.02	48.05	47.18
B. Miscellaneous:					
Potato	92.99	78.02	67.30	82.11	58.75
Sugarcane	99.67	100.46	56.43	54.95	42.01
Ginger	39.03	75.65	71.47	43.98	16.66
Tea	122.95	58.90	118.26	115.07	129.34
Total-Miscellaneous	80.60	79.80	67.98	69.81	47.28
Total-Non-food crops	81.19	74.12	72.25	64.65	47.25
Total-Crops	101.84	94.98	112.80	109.33	88.02

Source:-Economics & Statistics Department.H.P.

TABLE-10

**DISTRICT-WISE NUMBER AND AREA OF OPERATIONAL HOLDINGS
-1985-86**

District	Number	Area(hectares)
1.	2.	3.
Bilaspur	41,266	54,881
Chamba	60,187	58,381
Hamirpur	59,905	73,501
Kangra	1,90,196	2,10,081
Kinnaur	10,009	13,810
Kullu	46,368	42,552
Lahaul & Spiti	4,074	6,092
Mandi	1,15,099	1,23,456
Shimla	74,498	1,13,356
Sirmaur	41,265	1,02,053
Solan	45,091	91,587
Una	64,924	90,490
Himachal Pradesh	7,52,882	9,80,240

Source: Directorate of Agricultural Census, H.P.

TABLE-11

LIVESTOCK, POULTRY AND AGRICULTURAL IMPLEMENTS

(In thousands)

Category	1972	1977	1982
A. Livestock:			
1. Cattle	21,75	21,06	21,73
2. Buffaloes	5,44	5,60	6,16
3. Sheep	10,40	10,55	10,90
4. Goats	9,06	10,35	10,60
5. Horses and ponies	16	15	17
6. Mules and donkeys	12	14	19
7. Pigs	3	5	8
8. Other livestock	6	5	6
Total-Livestock	47,02	47,95	49,89
B. Poultry	1,89	3,30	4,61
C. Agricultural implements:			
1. Ploughs	5,02	5,18	6,24
2. Carts	3	3	3
3. Cane crushers	3	4	3
4. Ghanies	1	1	..

Source:-Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE-12

OUTTURN AND VALUE OF MAJOR AND MINOR FOREST PRODUCE

Year	Major produce			Minor produce Value in '000 Rs.)	
	Timber (Standing Volume '000 cu. metres)	Fuel* (tonnes)	Resin	Fodder and grazing	Other Pro- duce
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1985-86	531.5	8,675	18,516	649	4,411
1986-87	548.1	29,392	15,432	1,955	4,924
1987-88	365.0	10,438	17,917	683	10,236
1988-89(p)	388.0	12,685	14,532	750	6,718

*Firewood extracted/collected includes charcoal extracted also.

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh

TABLE-13

AREA UNDER FORESTS

(Sq. Kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forest not under the control of Forest Deptt.	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1985-86	1,896	33,454	910	493	948	37,701
1986-87	1,896	33,471	893	493	948	37,701
1987-88	1,896	33,482	872	493	948	37,691
1988-89(p)	1,896	33,224	868	569	908	37,465

Source:-Forest Department, Himachal Pradesh

TABLE-14

CO-OPERATION

Item	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.
I. Societies (No):				
Agricultural	2,110	2,111	2,104	2,110
Non-Agricultural	1,331	1,392	1,536	1,655
Urban banks	8	2	7	7
State and Central banks	4	4	4	4
Other secondary societies	63	63	65	65
TOTAL	3,516	3,578	3,716	3,841
II. Membership ('000):				
Agricultural societies	709.0	731.0	750.0	773.0
Non-Agricultural Societies	118.0	126.0	133.0	143.0
Urban banks	4.0	5.0	5.0	6.0
State and Central banks	17.0	17.0	17.0	19.0
Other secondary societies	15.0	15.0	15.0	15.0
TOTAL	863.0	894.0	920.0	956.0
III. Working Capital (lakh Rs.)				
Agricultural Societies	59,36.25	67,85.13	79,52.23	90,92.71
Non-Agricultural Societies	15,58.13	28,23.19	33,99.52	42,61.52
Urban banks	3,29.17	4,35.09	5,54.35	7,40.87
State & Central banks	11633.86	14529.30	17368.92	24269.33
Other secondary societies	2765.21	2849.05	3013.65	3730.47
TOTAL	22222.62	27421.73	32288.67	42094.90
IV. Loans Advanced (lakh Rs.):				
Agricultural societies	1524.08	1644.58	1950.78	2265.32
Non-Agricultural societies	169.02	225.07	234.29	264.60
Urban banks	369.97	665.09	306.64	375.62
Primary Land Mortgage Banks & State & Central Banks	13235.47	16683.46	28360.99	38375.71
V. Loans outstanding (lakh Rs.)				
Agricultural societies	2740.96	3028.24	3499.62	4118.09
Non-Agricultural societies	205.62	246.88	310.90	383.56
Urban banks	155.09	108.34	153.68	260.03
Primary Land Mortgage Banks & State & Central Banks	5216.98	6796.06	9661.39	15050.70

Source:- Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE-15

GENERATION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY

(In million kwh)

Item	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Electricity generated	488.8	596.8	614.3	517.8	698.8
2. Electricity purchased from BMB etc.	383.4	392.1	505.2	875.6	802.0
3. Electricity consumed:					
(a) Domestic consumption	100.9	113.3	137.0	153.4	170.2
(b) Commercial light, public water works & sewage pumping	43.4	49.0	57.8	62.3	65.0
(c) Industrial power	265.6	339.0	413.0	476.5	476.9
(d) Street lighting	2.2	2.7	2.6	3.6	3.5
(e) Irrigation & agriculture	17.7	21.0	22.7	23.5	23.3
(f) Others	40.2	38.3	46.6	49.7	56.3
Total Consumption	470.0	563.3	679.7	769.0	795.2
4. Electricity sold outside the State	217.3	223.9	202.7	322.4	416.7
5. Percentage of villages electrified to total No. of villages	86.4	90.5	95.4	100.0	100.0

Source: State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE-16

AREA UNDER FRUITS

(Hectares)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1983-84	48,292	22,184	9,009	21,926	12,640	1,14,051	
1984-85	49,840	23,649	9,804	23,802	13,485	1,20,580	
1985-86	51,103	24,944	10,455	27,365	14,903	1,28,770	
1986-87	52,399	25,959	10,930	29,589	16,108	1,34,985	
1987-88	54,912	26,726	11,628	31,226	17,559	1,42,051	
1988-89	57,447	27,328	12,061	32,995	19,453	1,49,284	

Source:-Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE-17

PRODUCTION OF FRUITS

('000 tonnes)

Year	Apple	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other tropical fruits	Sub-Total	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1983-84	257.91	21.86	2.21	12.08	10.22	304.28	
1984-85	170.63	26.41	2.22	3.95	12.71	215.92	
1985-86	174.62	21.14	1.74	4.72	5.52	207.74	
1986-87	359.32	12.43	2.80	11.92	14.04	400.51	
1987-88	259.28	26.86	2.72	10.87	8.96	308.69	
1988-89	165.16	11.52	2.63	8.47	9.57	197.35	

Source:-Horticulture Department, Himachal Pradesh

TABLE-18

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT EMPLOYEES

Date of Census	Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1.	2.	3.	4.	5.
31st March,				
1982	87,269	3,664	5,345	93,087
1983	89,588	3,768	5,616	70,962
1984	91,391	3,865	5,097	82,978
1985	94,724	3,507	5,221	80,355
1986	96,936	4,725	5,189	83,726
1987	1,01,395	5,971	6,521	86,753

Source:-Economics & Statistics Department, H.P.

TABLE-19

EMPLOYMENT EXCHANGE STATISTICS

Year	Number of candidates registered	Number of placements	Number of vacancies notified	Number on live register
1.	2.	3.	4.	5.
1983	83,063	6,893	11,626	1,86,161
1984	79,724	6,005	10,798	2,58,004
1985	74,263	6,930	9,730	3,16,281
1986	81,265	7,142	11,668	3,45,895
1987	84,546	7,676	10,146	3,49,276
1988	85,697	7,439	9,174	3,67,959
1989	1,19,204	7,804	11,643	4,27,866

Source:-Directorate of Labour & Employment, H.P.

TABLE-20
EDUCATION

Item	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88(P)
1.	2.	3.	4.	5.
Primary/Junior Basic Schools:				
1. Institutions	6,639	6,802	6,904	7,074
2. Students (Stage I-V) 6-11 years ('000)	620	629	644	645
3. Teachers (No.)	16,024	15,968	16,571	17,008
Middle/Senior Basic Schools:				
1. Institutions	1,057	982	1,020	1,068
2. Students (Stage Vi-VIII) 11-14 years ('000)	264	286	301	325
3. Teachers (No.)	5,821	5,411	5,632	5,995
High/Higher Secondary Schools/10+2:				
1. Institutions (No.)	787	885	920	932
2. Students (Stage IX-XII) 14-17 years ('000)	109	109	113	129
3. Teachers (No.)	10,094	10,785	10,908	12,144
Colleges of General Education:				
1. Institutions	32	34	37	38
2. Students ('000)	27	28	27	24
3. Teachers (No.)	833	853	885	972

Source:- Education Department, Himachal Pradesh.

TABLE-21

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Item	Unit	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Allopathic institutions:					
(a) Hospitals	No.	58	57	57	57
(b) Primary Health Centres	"	131	177	185	200
(c) Dispensaries	"	230	221	218	215
TOTAL		419	455	460	472
2. Beds available					
	"	6318	6514	6996	7213
3. Ayurvedic institutions:					
(a) Hospitals*	"	11	11	11	12
(b) Dispensaries	"	427	427	427	452
(c) Ayurvedic Pharmacies	"	2	2	2	2
(d) Research Institutions	"	1	1	1	1
TOTAL		441	441	441	467
4. Beds available					
	"	432	432	534	534

Source:-Directory of Medical, Public-Health & Ayurvedic institutions in H.P., issued by the Directorate of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh.

*includes wards also

TABLE-22

ROADS

(In Kilometre)

Type of road	As on 31st March				
	1985	1986	1987	1988	1989
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.Motorble double lane	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
2.Motorble single lane	12,669	13,009	13,354	14,219	14,574
3.Jeepable	409	363	321	694	709
4.Less than jeepable	4,641	4,672	4,610	4,238	4,308
TOTAL	19,713	20,038	20,279	21,145	21,585

Note-Figures include National Highways also.
Source:-Public Works Department, Himachal Pradesh

TABLE-23

NATIONALISED ROAD TRANSPORT

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1984-85	1,238	11	48	1,297	950	74,432
1985-86	1,259	11	46	1,316	1,016	80,298
1986-87	1,300	8	48	1,356	1,093	83,300
1987-88	1,334	7	52	1,393	1,125	87,900
1988-89	1,379	7	51	1,437	1,207	85,200

Source:-Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE-24

CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS IN HIMACHAL PRADESH

Year/Month	For Industrial Workers Base:1965=100		For Urban non- manual Employees Shimla Centre Base:1960=100
	General Index	Food Index	
1.	2.	3.	4.
1983	382	386	438
1984	414	420	475
1985	440	439	511
1986	478	467	536
1987	495	484	573
1988	567		133**
1989*	165	169	147
January	159	164	140
February	159	164	141
March	160	165	142
April	163	167	143
May	162	164	144
June	161	163	147
July	163	165	149
August	168	173	151
September	171	178	153
October	170	177	153
November	171	177	153
December	168	171	151

Source:-Labour Bureau, Government of India.

*Based on revised series with base 1982=100

**Based on revised series with base 1984-85=100

TABLE-25

INDEX NUMBERS OF WHOLESALE PRICES IN INDIA

(Base 1981-82=100)

Items	Weights	1982- 83	1983- 84	1984- 85	1985- 86	1986- 87	1987- 88	1988- 89
Primary Articles:								
Total	32.30	107	118	126	126	137	153	160
Food Articles:								
Total	17.39	111	127	132	134	148	161	177
Foodgrains	7.92	109	119	117	125	129	141	162
Non Food Articles	10.08	101	112	125	120	134	163	160
Minerals	4.83	103	100	105	107	104	101	99
Fuel, Power, Light and Lubricants	10.66	107	113	117	130	139	143	151
Manufactured Products:								
Total	57.04	104	110	118	124	129	139	152
Food products	10.14	97	108	114	117	129	141	148
Textiles	11.55	105	110	120	120	116	127	140
Chemicals and Chemical products	7.36	104	107	112	118	125	132	136
Basic Metal Alloys & metal Products	7.63	105	112	123	140	141	150	176
Machinery and Transport Equipment	6.27*	103	107	112	121	127	132	151
All Commodities	100.00	104.9	112.8	120.1	125.4	132.7	143.6	154.3

Source:--Economic Survey, 1989-90

*Machinery and machine tools

TABLE--26

INCIDENCE OF CRIMES

District	1985	1986	1987	1988	1989
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bilaspur	556	635	657	659	62
Chamba	461	576	682	599	61
Hamirpur	334	321	331	330	38
Kangra	1,899	2,033	2,118	2,214	22,2, 2,46
Kinnaur	174	236	227	225	25
Kullu	677	633	550	660	66
Lahaul-Spiti	83	68	67	141	15
Mandi	1,396	1,508	1,623	1,837	11,1, 1,86
Shimla	1,698	1,585	1,839	2,016	22,2, 2,20
Sirmaur	774	989	883	896	93
Solan	631	759	885	824	84
Una	458	493	609	746	75
Railway & Traffic	11	9	15	10	
Himachal Pradesh	9,152	9,845	10,486	11,157	11,1, 1,76

Source:-Police Department, Himachal Pradesh

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, SriAurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....*D. 5.279*.....
Date.....*28/5/90*.....

